खण्ड-465, अंक-3
शुक्रवार, 22 आषाढ़, शक संवत् 1929
(13 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 465 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
जनपद श्रावस्ती के थाना सिर्सिया के मौजा धन्नी पुरवा में मुस्लिम महिलाओं के साथ कथित बलात्कार सम्बन्धी नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास (जारी)	1-13
प्रश्नोत्तर	13-30
'नपद श्रावस्ती के थाना सिर्सिया के मौजा धन्नीपुरवा में मुस्लिम महिलाओं के साथ कथित बलात्कार सम्बन्धी नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	30-32
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	32-33
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के कतिपय गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनायी गई पानी की टंकियों से जलापूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका शमसाबाद में बाईपास का पक्का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	33
रायबरेली के हरचन्दपुर ब्लाक के ग्राम प्यारे स्थित राम प्रकाश गुप्ता बालिका इण्टर कालेज के प्रबन्धतंत्र द्वारा सेवित योजना से प्राप्त धनराशि को हड़पने एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	33-34
सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील के अन्तर्गत विरोधी दल के कार्यकर्ता पर राजनीतिक द्वेषवश दर्ज किये गये मुकदमों को रुकवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
लखनऊ में कार्यरत जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) के कार्य-कलापों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	34-35
मकान नं0 19/82 पटकापुर, कानपुर में जर्जर मकान गिर जाने के कारण तीन महिलाओं की मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35
नियोजन सचिव के आदेशानुसार दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों का समस्त विवरण दिनांक 15 जुलाई, 2007 तक उपलब्ध कराये जाने की समय-सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35-36

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	36
उत्तर प्रदेश (क्रीड़ा संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	36
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	37
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ...	37-38
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग (स्वीकृत) ...	38-39
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)...	39
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	40-41
"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष आर्थिक पैकेज दिये जायें" के सम्बन्ध में संकल्प (चर्चा जारी)	41-42
"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में स्थित छावनी परिषद् में सांसदों एवं क्षेत्रीय विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाय" के सम्बन्ध में संकल्प (चर्चा जारी)	42
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	42-44
जनपद लखीमपुर खीरी के ईसानगर धौरहरा तथा मियां बेहड़ विकास खण्डों में पूर्व में मण्डी परिषद् द्वारा अधोमानक निर्माण के फलस्वरूप सड़कों के जर्जर होने की स्थिति की जांच कराने तथा उनके पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	44-47

विषय				पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के महाविद्यालयों में इण्टरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को समुचित प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	...	...	...	47-51
जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत थाना कोतवाली में धीरज नामक लड़के के अपहरण विषयक मुकदमें में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्य न करके अन्तिम रिपोर्ट लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	...	...	...	51-52
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील में राज आयल एजेन्सी द्वारा कोटेदारों को मिट्टी का तेल न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	52-53
जनपद संत कबीर नगर और गोरखपुर से होकर बहने वाली आमी नदी के जल के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	...		...	53-54
जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ कस्बे में प्रशासनिक मण्डी व पुलिस अधिकारियों द्वारा गल्ला व्यवसायी की दुकान को कथित रूप से राजनैतिक दबाववश सील करने के सम्बन्ध में डा0 अनिल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...			54-55
जनपद अलीगढ़ के अलीगढ़ शहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जलभराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जमीरउल्ला खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	55-57
जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मोहम्मदी गोला शाहजहांपुर के अधूरे व जीर्ण-शीर्ण मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई, निर्माण, गन्ना विकास एवं आबकारी मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	57-58
नत्थियां	...	...	...	59-92

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 13 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 342

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अजय तोमर, डा0	बागपत	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली	अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अजय प्रताप सिंह उर्फ		अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अजय यादव, श्री	एटा	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अजय सिंह, श्री	जालौन	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ	
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अनीस अहमद खां उर्फ		अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	अशोक कुमार, श्री	औरैया
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
अब्दुल वारिस खां, श्री	मुजफ्फरनगर	आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी	आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद	आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी	आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी

आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र एडवोकेट, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती

अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा

राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामबीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	लखनऊ
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम नरायन यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सनातन, श्री	बलिया	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर	सुशील कुमार शर्मा, श्री	चन्दौली
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुभाष, श्री	बलिया	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	हरिओम, श्री	जालौन
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :- आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद श्रावस्ती के थाना सिर्सिया के मौजा धन्नीपुरवा में मुस्लिम महिलाओं के साथ कथित बलात्कार सम्बन्धी नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, धन्नीपुरवा गांव में सामूहिक बलात्कार चार मुस्लिम औरतों के साथ किया गया और पूरे गांव को लूटा गया, मारपीट की गई और औरतों को नंगा घुमाया गया। यह स्थिति आ गई है और यह आपकी सरकार के एक मंत्री के इशारे पर उनके आदमियों द्वारा कराया गया। इससे शर्मनाक और कोई घटना नहीं है, यह सरकार क्या करना चाहती है ? मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब, आज यह सूचनायें नहीं ली गयी हैं।

श्री वकार अहमद शाह-

मान्यवर, वहां का प्रशासन मंत्री के दबाव में है, अध्यक्ष जी, आप संरक्षक हैं, आप पूरे प्रदेश के लोगों के संरक्षक हैं, अगर मुसलमानों का यही हाल होता रहा तो क्या होगा ? मान्यवर, आजादी की जंग में जिन लोगों ने अपना खून बहाया है, उनके परिवारों के साथ यह घटना की जा रही है, खुलेआम की जा रही है। 10 तारीख को सबेरे दिन में 11 बजे यह घटना की गयी। पुलिस का प्रशासन बिल्कुल खामोश, अधिकारी खामोश, क्योंकि वह मंत्री के डर के मारे कुछ नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक सर्वदलीय कमेटी भेज दीजिए, तत्काल जांच कर लाये, असलियत मालूम हो जायेगी कि इस सरकार के मंत्री खुलेआम क्या कर रहे हैं ? मान्यवर, पूरा मुसलमान समाज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है इस सरकार में। मान्यवर, पूरा गांव सड़कों पर उतर आया है। औरतों ने रो-रो करके टी0वी0 के सामने अपनी व्यथा कही है। उस गांव की हालत यह है कि पूरे गांव के लोग पलायन कर गए हैं। मान्यवर, इससे दुःखद घटना और कोई नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब, आज नियम 56 की सूचनायें नहीं ली गयी हैं। आप सोमवार को दे दें, प्रथम नम्बर पर सुन लेंगे। इस सूचना को सोमवार को दे दें। 311 में आप दिए हैं। चौधरी साहब आप बतायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियमों में उठाने की जो बात है, जो आपका निर्देश होगा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि नियमों में आज उठाया जाए या न उठाया जाए, मान्यवर, यह ऐसी घटना नहीं है कि मात्र उल्लेख कर देने से यह काम समाप्त हो जा रहा है, सीधे-सीधे मा0 वकार साहब ने यह बात उल्लिखित की है सदन में एक मंत्री के संरक्षण में जो गांव है, धन्नीपुरवा में, जनपद श्रावस्ती के थाना सिर्सिया के धन्नीपुरवा गांव में चार औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना 10 जुलाई को दिन में 11.00 बजे की गई। परिस्थिति यह है कि मंत्रि-परिषद् में एक मंत्री के उसमें

शामिल रहते वहां की स्थानीय पुलिस कैसे कोई कार्यवाही करेगी ? इसलिए हमारी मांग सीधे-सीधे यह है कि पहले उस मंत्री के इस्तीफे की घोषणा हो, उसके बाद यह नोटिस ली जायेगी, तब उस पर चर्चा होगी, सदन तक उस पर चर्चा करेगा।

श्री अध्यक्ष-

हमारी भी सुन लें, मा0 चौधरी साहब, मैं इसकी गम्भीरता को देख रहा हूं, इस तरह की जिस घटना का जिक्र किया है, किसी भी महिला के साथ, किसी भी समाज की हो, जो जिक्र कर रहे हैं, मैं भी इसको गम्भीरता से ले रहा हूं।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इस घटना के बारे में भिनगा और श्रावस्ती में हजारों औरतों ने अपनी व्यथा कही है और उसके बाद भी सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। मान्यवर, यह सरकार उनके साथ क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

मैं कह भी रहा हूं कि हम इसको गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, क्या जो आरोपित मंत्री हैं, वह इस्तीफा दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी साहब, बगैर आरोप के आप हर चीज की जांच की मांग कर रहे हैं। आपने जिक्र कर दिया, यह जांच का विषय है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी सरकार पर जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी है और अगर सरकार खुद ही शामिल हो जायेगी, बलात्कार में और सामूहिक बलात्कार में ...

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, वह भी तो जांच का विषय है।

(कई लोगों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। यह असत्य है, किसी भी तरह से कोई मंत्रि-मण्डल का सदस्य किसी भी इस तरह की घटना में शामिल नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने सरसरी तौर पर कह दिया, यही दृष्टि है इस सरकार की। मंत्री के संरक्षण में, उनके निर्देश पर यह घटना हुई है और उससे जब स्वयं यहां अस्वीकार किया जा रहा है, जहां आपका संरक्षण हमको प्राप्त है, तब मान्यवर, वहां के थाने की पुलिस की क्या औकात है ? मान्यवर, इस सदन की समिति के अलावा और कोई सही उपाय जांच का नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते हुए वेल में आ गए जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कुछ सुनें तो। एक रास्ता निकाला जाए सदन में। इस तरह से हल्ला करके पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। कार्यवाही रोककर न्याय नहीं मिल पाएगा। कार्यवाही में व्यवधान करके इस तरह से हल्ला करके पीड़ितों को न्याय दिलाना, आपका यह आचरण ठीक नहीं है। आप पीड़ित परिवारों के प्रति सचेत हैं तो इस तरह से न्याय नहीं दिला पायेंगे। सरकार भी कुछ कहना चाहती है। चौधरी साहब आप उसको सुन लीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं तो वहां से कहें। आप अपनी कुछ बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे। चौधरी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि केवल एक माहौल बनाना चाहते हैं। अगर आप केवल एक माहौल बनाना चाहते हैं तो नारा लगा लीजिए। माननीय चौधरी साहब चलिए, हम सरकार पक्ष को बुला रहे हैं। आप बात कर लीजिए। हम संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला रहे हैं। आप तैयार हैं, नहीं तैयार हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला रहा हूं चलिए बात कर लीजिए। अगर दोषियों को दण्ड दिलाना है, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी है तो चलिए बात कर लीजिए। जिस घटना का आपने चित्रण किया है मैं इसको गम्भीरता से ले रहा हूं। आप सरकार से बात कर लें, फिर जो चाहें करें यह आपको अधिकार है।

(सपा के सदस्यगण नारे लगाते रहे)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अलावा हमें कहीं न्याय की उम्मीद नहीं है। बाहर जहां तमाम सदस्यों पर तमाम मुकदमों की फेहरिस्त हो तो इस सदन के अलावा हमें कहीं उम्मीद नहीं है। इस सदन में हमें इसलिए उम्मीद है कि आप हमारे संरक्षक हैं, आप बैठे हैं। एक तो आप विधान मण्डल की समिति वहां पर जांच करने के लिए भेज दें और जिस मंत्री को चाहें आप उस जांच समिति का अध्यक्ष बना दें। इसके अलावा न्याय का कोई मार्ग नहीं बचा है। इस सदन में अगर न्याय, इंसाफ नहीं मिलेगा तो मान्यवर, इसके बाहर जो सरकार कर रही है, वह नंगा ताण्डव कर रही है।

(समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यगण वेल पर खड़े रहे और नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा।)

मान्यवर, अभी तक तो पुलिस शामिल थी लेकिन अब इनके मंत्री भी शामिल हो गये हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें एक सर्वदलीय समिति बना दें जो वहां जाकर निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट दे।

श्री अध्यक्ष-

आप कोई एजेन्सी से इसकी जांच करा लें। समिति के माध्यम से कोई न्याय नहीं मिल पाता है, यह औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन लोगों से कहिए कि यह अपने स्थानों पर चले जायें जिससे सरकार का भी कुछ वर्जन आ जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें एक बार फिर से यह कहना पड़ रहा है कि आप सदन को बहुत अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं और हमारा यह मन था अगर यह संगीन हादसा न हुआ होता, मैंने आज समाचार-पत्रों में पढ़ा कि अध्यक्ष जी आपको पुरस्कृत किया गया है, कम से कम मेरा यह मन था कि कार्यवाही शुरू होने से पहले मैं अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से बधाई दूं, लेकिन इस दुख भरे माहौल के बावजूद भी हम आपको बधाई देना चाहते हैं और इस बधाई के साथ मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यह वाक्या अध्यक्ष होने के नाते, विधायक होने के नाते, नेता होने के नाते, यह शर्मनाक, दर्दनाक, सिर झुकाने वाला और समाज को झकझोर देने वाला वाकिया आपके संज्ञान में है या नहीं है। अगर आपके संज्ञान में है तो आपका मन उस पीठ पर एक जिम्मेदार हैसियत से बैठकर क्या कहता है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन मंत्री ने कल बहुत जोर की आवाज के साथ, मान्यवर, यही हम संवेदनहीनता और संवेदनशीलता की बात करना चाहते हैं, उसने नहरों में जाकर देखा है, उसने हमारा तेल निकलते देखा है उसने दो कौड़ी की बात कही है।

श्री अध्यक्ष-

आजम खां साहब आप केवल उस घटना तक ही सीमित रहें, अन्य बिन्दुओं पर न जायें।

श्री लालजी वर्मा-

हमें भी सुन लीजियेगा। जब आप इनको सुन रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार को उस घटना के बारे में नहीं मालूम। जो सरकार इस घटना के चंद घण्टे पहले संवेदनशील थी उसके मंत्री, मान्यवर, मैं अपनी बात पर बल दे रहा हूं। मान्यवर, मुझे कहने तो दें, तो जो सरकार इतनी संवेदनशील है, जो इतनी एक्टिव थी, इतनी करामती थी, इस सरकार को, इतना भयानक काण्ड हुआ, सामूहिक बलात्कार किया गया, नंगा घुमाया गया, इसके बारे में सरकार को नहीं मालूम हो सका।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस घटना के प्रति गम्भीर हूं। आपस में बैठकर हम इसका हल निकालें। यदि आप घटना के प्रति वाकई चिन्तित हैं तो मिलकर इसका हल निकाल लेते हैं। मेरे कक्ष में एक बैठक हो जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अगर उसको नहीं मालूम हो सका तो इसकी गभीरता और संवेदनशीलता से कोई सारोकार नहीं है और अगर मालूम है तो हम आपसे इस बात की आशा करते हैं कि अगर सरकार से कोई जघन्य अपराध हुआ है, अगर यह मालूम है तो सरकार को यह बताना चाहिए कि इतने वक्त में ऐसे अपराध के लिए क्या कार्यवाही की है ? मान्यवर, हाईकोर्ट स्टेडियम के लिए रात के दो बजे आदेश देती है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजम खां साहब आप केवल घटना के बिन्दु तक ही सीमित रहें, अन्य बिन्दुओं पर न आयें। जो वकार साहब ने घटना का जिक्र किया है उसी तक सीमित रहें।

माननीय वकार साहब ने आज जिस गम्भीर घटना को बताया है, मैंने उसको सुना और मैं उसको गम्भीर मानता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग चाहते क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सिर्फ इस बिन्दु पर कि अगर सरकार संवेदनशील है या संवेदनशील थी, बहुत से काम उसने किये हैं, संवेदनशीलता के। इस मामले में उसकी संवेदनशीलता क्या है ? उसकी अपनी जानकारी क्या है और उस जानकारी की बुनियाद पर आज सुबह 11.15 बजे तक उसकी कार्यवाही क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको सरकार बतायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपनी बेन्चों पर आ जायें और सुन लें। अगर हमारी बातों से संतुष्ट न हों तो आपके जो मन में आये वह आप करें, लेकिन पहले शान्तिपूर्वक हमारी बात को सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें और सरकार का पक्ष सुन लें। अगर आप उनकी बातों से संतुष्ट न हों तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें।

माननीय वकार साहब ने इस घटना को बताया है, मैंने इस घटना की गम्भीरता को स्वीकार किया है। मैं इनका पक्षधर हूं। माननीय चौधरी साहब घटना की गम्भीरता अगर है और मैं भी कह रहा हूं तो उस पर सरकार का भी पक्ष आने दें। फिर किसी बिन्दु पर पहुंचा जाये। मैं वकार साहब को बहुत सम्मान दे रहा हूं, इन्होंने जिस घटना का जिक्र किया है, मैं उसको गम्भीरता से ले रहा हूं, जिस तरह से वकार साहब ने मौखिक तौर पर मुझे अभी बताया और आपने भी बताया है। तो इस पर आप सरकार का भी पक्ष सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय चौधरी साहब, आप यहां से क्या कह रहे हैं, इस तरह की गलत परम्परा मत डालिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब मैं आपको बता दे रहा हूं, गम्भीरता से जो चित्रण किया गया है उस घटना का, उसकी सत्यता, असत्यता अलग बात है मैं इस घटना को गम्भीरता से ले रहा हूं और चाहता हूं कि इस पर कोई न कोई निर्णय हो। दुःखी परिवारों को या जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके बारे में सरलता से आप डिस्कश कर दें। कहीं और जोड़ कर बात को घुमाया न जाय। आज जिस घटना का जिक्र हुआ है, हमने पहले कहा था कि आज नियम-311, नियम-56 नहीं ले रहा हूं, सोमवार को ले लेंगे तो आपने कहा कि नहीं आज ही लें, नहीं तो इस घटना की गम्भीरता खत्म हो जायेगी। इसके बावजूद भी आपने रखा, माननीय आजम खां साहब ने भी कहा। सरकार से भी मैं कह रहा हूं अगर आपके पास इस घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना आ गई हो, क्योंकि नियम-311 में लिया नहीं गया, नियम-56 में अगर कोई सूचना सरकार ने मंगा ली हो तो वह भी बतायें कि अब तक क्या हुआ और अगर इस तरह की घटनायें हैं, किसी की भी बहू-बेटी के साथ हों, हम लोग उसके पक्षधर कतई नहीं हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप इस बात को भी समझें कि इतने गम्भीर मामले की सूचना अभी तक सरकार को नहीं है। एक मंत्री के इशारे पर उसके कारिन्दों के जरिये इस तरह का अपराध हुआ हो, उसकी सूचना अभी तक सरकार को नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों से यह चाहूंगा कि आप सभी लोग पहले अपनी बेन्चों पर बैठ लें, हम क्या कहना चाहते हैं पहले उसको सुन लें। उसके बाद भी आपके पास विकल्प है। ऐसा तो है नहीं कि इसी पर बात खत्म हो जायेगी। हम इस घटना को गम्भीरता से लेते हैं। सरकार किसी भी तरह से अपराध करने की छूट किसी भी व्यक्ति को नहीं देगी चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो और निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, लफ्जों से खेलने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

लफ्ज पहले निकलेंगे, उसी के बाद ही तो काम होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब यह सुनना भी नहीं चाहेंगे, जांच भी नहीं कराना चाहेंगे। तो कैसे काम चलेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इतने जघन्य अपराध की सूचना सरकार को है या नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसी भी अपराध की जांच होती है और यह जांच भी नहीं कराना चाहते हैं। सुनना भी नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जो भी जानकारी हो सरकार के पास, वह आप बता दें।

श्री राम किशुन-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

वहां से बैठ करके अगर आप बोलेंगे तो कुछ नहीं सुना जायेगा। यह अच्छी परम्परा नहीं है राम किशुन जी। आप लोग इस मामले को डायवर्ट न कीजिए। हमने इस मामले को गम्भीरता से लिया है। जो हमारी बहू-बेटियों के साथ किसी के साथ घटना घटित हुई है, हमने उसे गम्भीरता से लिया है। वहां से नहीं सुना जायेगा, राम किशुन जी, यह परम्परा नहीं रही हैं आप जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह लोग यहां बैठे रहेंगे, तो हम क्या कहेंगे। यह लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वहां से बोलने की परम्परा नहीं रही है। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं बहुत गम्भीर हूं, इस प्रकरण पर।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के वेल में आये हुए मा0 सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

अभी उस घटना का जिक्र माननीय वकार साहब कर रहे थे हमें भी दुख हुआ है। वकार साहब वरिष्ट सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि इसका कोई विकल्प निकले, प्रभावित लोगों को न्याय मिले और दोषी लोगों पर कार्यवाही हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमें सिर्फ मात्र इतना जानना है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सक्षम होंगे यह बताने में कि क्या ऐसी कोई बात हुई है। माननीय मंत्री जी के कहने पर उनके लोगों ने ऐसा काण्ड किया है कि उन औरतों को नंगा करके नचाया गया है और सामूहिक बलात्कार हुआ है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि पहले वह सीटों पर जायें तो ज्यादा अच्छा होगा और उसके बाद पूरी बात हो जाय।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, वकार साहब इसके बाद आपके पास विकल्प है। सरकार का पक्ष आप पूर्णतया सुन लें। अगर न संतुष्ट हों तो उसके बाद आपको पूरा अधिकार है। अगर इस आधार पर न्याय मिल सकता हो तो उसको सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसी भी तरह की जो घटना होती है और अगर जो चर्चा कर रहे हैं अगर इस तरह की घटना है तो वह निन्दनीय घटना होगी। जांच कराने में हम किसी तरह से भाग नहीं रहे हैं। अभी पूरी सूचना हम मंगा रहे हैं आपको अधूरी सूचना नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको पूरी सूचना दें। थोड़ी बहुत सूचना हमारे पास है उसके आधार पर यहां पर कुछ कहेंगे तो उचित नहीं होगा। आप एक घण्टा वहां बैठ लें यहां पर क्वेश्चन ऑवर हो जाये उसके बाद पूरी जानकारी हम दे देंगे। कार्यवाही उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी दे देंगे, यह ज्यादा अच्छा होगा। 12.20 बजे तक के लिये हम केवल कह रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के उप नेता माननीय आजम खां साहब जी की ओर से एक बात आयी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि हम 12.20 बजे इसका जवाब दे देंगे। मान्यवर, सूचना आती है और सरकार को क्या करना है वह बताती है। मान्यवर, इसके अलावा आप देखें। यह प्रश्नकाल का समय है सारे के सारे सदस्य जो यहां पर चुनकर आते हैं वह महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हैं। जो एक घण्टे का समय वह चाह रहे हैं इतना समय उनको मिलना चाहिये कम से कम, हम उससे सहमत हैं। माननीय अध्यक्ष जी हमारा भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। अभी रिलायंस के दादरी प्रोजेक्ट पर एक महत्वपूर्ण सवाल लगा हुआ है और दूसरे प्रश्न हैं। हम सबका अधिकार है इस बात को आपको समझना चाहिये। आप सारे सदन को अच्छी तरह से चला रहे हैं। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि इस तरह से बाकी सारे लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात हो। सारे सदस्यों के अधिकार हैं कुछ लोग जो हाईजैक करके इस तरह की घटनायें कर रहे हैं यह उचित नहीं है। अगर इस तरह से दोनों पक्षों में बातचीत होती रहेगी तो इस तरह से तो नहीं चल पायेगा। हम लोगों की भी बात सुनी जाये।

श्री अध्यक्ष-

इस सदन को चलाने के लिये मेरी पूरी इच्छा है कि शांतिपूर्ण ढंग से यह चले। लेकिन हमारे बस में सब कुछ अकेले नहीं है जब तक सभी लोगों का इसमें हमें सहयोग नहीं मिलेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सब जानते हैं कि प्रश्नकाल सबसे कीमती होता है विपक्ष का यह समय होता है और प्रश्नकाल में समय खराब नहीं होना चाहिए सही है लेकिन इस प्रश्न पर यह कहना कि प्रश्नकाल का समय खराब हो रहा है यह हमारे साथ पूरे प्रदेश के साथ अल्पसंख्यकों के साथ बड़ी ज्यादती होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का एतराज है तो उनको यह होना कोई नयी बात नहीं है।

श्री सतीश महाना-

अल्पसंख्यकों के साथ यह बात कही जा रही है, यह मान्यवर क्या बात है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमें कोई इनसे शिकवा नहीं है मान्यवर, लगभग 11.30 होने को है और कल 10 तारीख को साढ़े ग्यारह बजे का यह वाक्या है 24 घण्टे में जिस संवेदनशील सरकार को भयमुक्त समाज देने वाली सरकार को अपराधमुक्त समाज देने वाली सरकार को, सारी, तीसरा दिन है आज 10 तारीख का वाक्या है 3 दिन के बाद भी जिस सरकार को यह नहीं मालूम हो सका उससे यह उम्मीद करना कि 12 बजकर 20 मिनट पर वह सारी पोजीशन बता देंगे इसका खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कुछ भरोसा तो होता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 10 तारीख को साढ़े ग्यारह बजे होने वाली घटना की आज 13 तारीख की साढ़े ग्यारह बजे तक, जानकारी सरकार को नहीं है, यह इनका भयमुक्त समाज है। तो हमें आप सिर्फ इतना बता दें कि यह वाक्या हुआ या नहीं हुआ, यह घटना सच्ची है या झूठी है। उसके बाद हम तय कर लेंगे कि हमें कैसे करना है, आपकी बात को मान लेंगे। इतना बताने में 3 रोज पहले की घटना, 10 तारीख को साढ़े ग्यारह बजे की घटना आज 13 तारीख ठीक साढ़े ग्यारह बज रहे हैं, 3 दिन हो गये भयमुक्त समाज देने वालों को, भयमुक्त समाज देने वाले को, भयमुक्त समाज देने वाले को।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय उप नेता जी जिस अन्दाज से जिस ढंग से बोलते हैं वह तो उनको मुबारक हो। मान्यवर, जहां तक सवाल है जानकारी प्राप्त करने का, जानकारी बहुत सी चीजों की होती है लेकिन पूर्ण जानकारी चूंकि सदन में आपने इस मसले को उठाया है हम नहीं चाहते हैं कि इसको हल्के ढंग से लिया जाय, हम पूरी जानकारी देना चाहते हैं और मैंने बीसों बार देखा है जिस तरह से एक्टिंग करते हैं माननीय आजम खां मान्यवर, जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं मैं उस ढंग का उस तरह से व्यवहार नहीं करता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप यह बता दें कि आपको इस वाकये की सूचना है सरकार को या नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं, मुझे है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर है तो बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

हम केवल उतनी सूचना नहीं देना चाहते हम उस पर और भी जानकारी देना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, महिलाओं के साथ जो हुआ है वह बताये नहीं, मालूम है तो बतायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, हम इनको पूरी सूचना देना चाहते हैं। अभी जितनी सूचना है हमें उस पर और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और वह जानकारी प्राप्त करके हम पूरी सूचना देना चाहते हैं इसलिए कि सदन में यह हुआ है एक-एक घण्टे, दो-दो घण्टे के अवसर मिले हैं। हमारे पास जो सूचना है उस सूचना को देखकर हम चाहते हैं कि हम पूरी सूचना दें, पूरी जानकारी दें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर आप चाहते हैं कि पूरी सूचना प्राप्त हो तो हम यही आग्रह आपके माध्यम से चाहेंगे कि हमें मौका दें, हम 12.20 बजे तक पूरी सूचना की जानकारी दे देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जितनी सूचना हो वह दे दें, 12.20 पर जो आपकी विस्तृत सूचना होगी उससे जानकारी ले लेंगे। जो सूचना आपके पास इस वक्त है वह आप दे दें। इसमें क्या परेशानी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो घटना है अगर किसी तरह की घटना है यह सरकार गम्भीर है। किसी छोटी घटना को भी यह सरकार गम्भीरता से लेती है उसके आधार पर निष्पक्षता के साथ कार्यवाही करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। लेकिन अगर सिर्फ राजनीति करने के लिये आप उस घटना की सही जांच कराना नहीं चाहते तो मान्यवर, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने इस बात को साबित किया है कि हमारे लिये हमारा पराया कोई नहीं है, जो भी अपराध करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा। हमारा और पराया कोई नहीं है। मान्यवर, इसलिए हम उसको गम्भीरता से ले रहे हैं और गम्भीरता से लेने के कारण, हम आधी अधूरी सूचना के आधार पर जवाब नहीं देना चाहते। हम केवल पुलिस के वर्जन पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, हम उसकी जांच कराकर सही तस्वीर रखना चाहते हैं। इसलिए मान्यवर, हम समय चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल राजनीति प्रेरित होकर, केवल अपने राजनीतिक हथियार के रूप में, लोगों के साथ न्याय हो या न हो, इसकी परवाह नहीं है केवल अपनी राजनीतिक गोटी के लिये सदन को हाईजैक करना चाहते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। मान्यवर, अल्पसंख्यकों की जितनी हितैषी, बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी हैं, उतना यह लोग कदापि नहीं हैं और यह सरकार अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और मान्यवर, अल्पसंख्यकों के साथ-साथ किसी भी समाज के साथ होने वाले अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम पूरी तरह से गम्भीर हैं।

(वेल में आये हुये माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी के कारण घोर व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका चौधरी-

(वेल से) मान्यवर, मुस्लिम महिलाओं से सामूहिक बलात्कार पर मेरी श्रध्दांजलि ले रही हैं। यह इनकी संवेदनशीलता है। हम इनसे कौन से इन्साफ की उम्मीद करें। आप सोचिये कि देखिए कि

सर्वदलीय समिति जायेगी जांच करने, हम आपके आदेश का पालन करते हैं। हमें सदन की समिति पर पूरा विश्वास है। सरकार तो मेजें थपथपा रही है। महिलाओं को नंगा करने पर मेजें थपथपाई जा रही हैं। इनको शर्म से डूब मरना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, आप इधर बात करें। दो चीज हैं। एक माननीय आजम खां साहब ने एक बिन्दु उठाया है कि अगर सरकार को इस घटना की सूचना हो तो बतावे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमको कुछ सूचना है लेकिन पूरी सूचना नहीं है। मैं सदन में चाह रहा हूं कि हम पूरी सूचना दें इसके लिये हमें एक घण्टे का मौका दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

स्वागत आपकी बात का, आपके आदेशों का स्वागत। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने फरमाया कि हम रजनीति कर रहे हैं। हम क्या करें घण्टा बजायें, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ें, क्या करें, यह सेवा आश्रम चला रहें हैं। यह राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

चलिये अवसर मिलेगा तो करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जो मदारी तमाशा दिखाते हैं, उसके लिये तो यह विधान सभा बनी नही है। अब कुछ लोग अगर इस विधान सभा को तमाशा का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, क्या क्या एक्शन कर रहे हैं, मान्यवर उस तरह से तो मैं नहीं नाच पाऊंगा। जिस तरह से हाथ झुमा-झुमा कर यह नाचने का काम कर रहे हैं।

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे अपनी संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुये करिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह सामूहिक बलात्कार पर कुछ कहा भी न जाये तो हम क्या करें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

(वेल से) मान्यवर, यह टिप्पणी वापस ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

इतने आचरण के संकेत तो होते रहते हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, कुछ बातें इधर से उधर से नापसन्दगी की हो तो उस पर डाइवर्जन न करे। इस घटना को मैंने गम्भीरता से लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

कोई बात नहीं, मान्यवर, मान्यवर बिन्दु पर रहिये। सरकार यह बतलाये।

श्री अध्यक्ष-

उधर से कोई वर्जन आता है, इधर से कोई वर्जन आता है तो यह सदन में होता रहता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, कोई संज्ञान न लें, ठीक है। हमें यह बतलायें कि सरकार को जानकारी है या नहीं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में नारे लगाते रहे।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर आप लोग चाहें तो बैठ लें और पूरी सूचना सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, जिस बात को आजम खां साहब ने रखा था, सरकार के पास सूचना आ गई है, वह पूरी बात बताना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं तो वह बता दें, न बैठें तो रहने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या मान्यवर, मदारी के लिए बंदरिया मंगा ली गई है ? कहां है बंदरिया कई रोज से गायब है बुलाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब जो भी हो उसके लिए मैं नहीं कह सकता। हम लोगों के लिए बहुत कहा जाता है आजम खां साहब यह वाकये कभी-कभी होते रहते हैं, इसको बहुत नोटिस नहीं लिया जाता है तमाम ऐसे आचरण माननीय सदस्यों के होते हैं, जिनसे बहुत टेस लगती है लेकिन पार्लियामेंटिरियन है तो बर्दाश्त कर लेता है। हम लोगों के ऊपर भी तमाम कमेंट्स होते हैं, कागज फेंके जाते हैं लेकिन हृदय को बड़ा कर लिया जाता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, बहुत संवेदनशील मसला अब उठा है तीन दिन बाद, घटना बहुत गम्भीर है, तीन दिन बाद उठी है और शासन के पास तीन दिन बाद भी पूरी सूचना नहीं है। उठाने वाले भी बहुत संवेदनशील हैं और जवाब न देने वाले भी संवेदनशील हैं। वह 40 मिनट का समय मांग रहे है, अब क्या उनका औचित्य है निर्णय करने का, इस पर मैं विचार करना नहीं चाहता। लेकिन हम सबका भी बराबर का अधिकार है और इस परिस्थिति में हम मौन साक्षी बनकर नहीं रह सकते लेकिन मजबूर हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अच्छा है कि हम लोग सदन से बाहर चले जा रहे हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ तथ्य जो वकार साहब ने रखे हैं, निहायत चिन्ता का विषय है, दुःखद है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार बताना चाह रही है। आप लोग अपने-अपने आसन पर चलें और सरकार की बात सुन लें। हमने इसको पूरी गम्भीरता से लिया है और चाहते हैं कि किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। इसमें न्याय होना चाहिए, हल्ला-गुल्ला करके न्याय नहीं मिल पायेगा। यह जो कर रहे हैं यह आपका अधिकार है, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें सही जांच हो जाए। क्या आप लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते हैं ? आप लोग अपने आसन पर चलिये। मैं अपने विवेक का प्रयोग करना चाहता था और घटना को गम्भीरता से लेते हुए न्याय चाहता था।

(वेल में आये हुये समाजवादी पार्टी के सदस्यगण वेल में बैठे रहे)

श्री अध्यक्ष-

मैं 12.00 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 12 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 10 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 12 बजकर 10 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश की अनपरा "सी" बिजली परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की एक हजार मेगावाट क्षमता की अनपरा "सी" बिजली परियोजना को पूरा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या और उसकी प्रगति क्या है ? क्या उक्त परियोजना को निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

ऊर्जा एवं ग्रामीण समग्र विकास मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

जी हां।

2×500 मेगावाट अनपरा 'सी' तापीय परियोजना की स्थापना का कार्य निजी क्षेत्र के निवेशक मेसर्स लैन्को अनपरा पावर प्रा0 लि0 द्वारा किया जा रहा है। फर्म के साथ आवश्यक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं तथा लैण्ड लीज एग्रीमेन्ट दिनांक 22-06-2007 को सम्पादित किया जा चुका है। फर्म द्वारा परियोजना पर कार्य आरम्भ करने की सम्भावित तिथि नवम्बर, 2007 है। परियोजना की प्रथम इकाई से मार्च, 2011 तथा दूसरी इकाई से जुलाई, 2011 में उत्पादन होना प्रस्तावित है।

अनपरा 'सी' तापीय परियोजना निजी क्षेत्र के निवेशक द्वारा ही स्थापित की जा रही है।

प्रदेश के सीमित संसाधनों व परियोजना को शीघ्रता से स्थापित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना की स्थापना निजी निवेशक द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में विद्युत संकट के निवारण हेतु निजी उद्यमियों से विद्युत क्रय करने की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री राजेन्द्र सिंह-

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विद्युत सप्लाई मांग के अनुरूप न होने से उत्पन्न संकट के निवारण के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या मा0 मंत्री जी प्रदेश के निजी उद्यमियों जिनके पास सरप्लस बिजली है, से विद्युत को क्रय करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विद्युत उत्पादन एवं मांग के अन्तर की पूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित है।

जी हां।

मै0 कनोरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 सोनभद्र से 13 मे0वा0 विद्युत क्रय किये जाने हेतु अनुबन्ध किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 59-61 पर।)

बेतवा नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना प्रारम्भ कराने की मांग

*3-श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेतवा नदी पर झांसी बांध पर 30 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

बेतवा नदी उ0 प्र0 एवं मध्य प्रदेश के बीच अन्तर्राज्यीय होने के कारण प्रस्तावित ढुकुवा जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश शासन की अनापत्ति/सहमति प्रतीक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

दादरी स्थित रिलायन्स पावर कार्पोरेशन से हुए अनुबन्ध के अनुसार पावर प्लान्ट लगाने का कार्य

*4-श्री सतीश महाना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी स्थित रिलायन्स पावर कार्पोरेशन से हुए अनुबन्ध के अनुसार उत्तर प्रदेश में पावर प्लान्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याव-

दादरी जनपद गाजियाबाद में गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु दिनांक 16-06-04 को रिलायन्स इनर्जी जेनरेशन लि0 से स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट किया गया है। स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट के अनुसार कम्पनी 3750 मे0 वा0 बिजली का उत्पादन करेगी, जिसे 8000 मे0 वा0 तक विस्तार दिया जा सकता है। स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट के अनुसार एग्रीमेन्ट के हस्ताक्षर की तिथि से 07 वर्षों के अन्दर कम्पनी कामर्शियल आपरेशन प्रारम्भ करने का प्रयास करेगी। इस परियोजना से 40 प्रतिशत विद्युत उ0 प्र0 को प्राप्त होगी। परियोजना लगाने हेतु कम्पनी को भारत सरकार से इन्वायरनमेन्टल क्लियरेन्स प्राप्त हो चुका है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा के दयालबाग में नया बिजली घर बनाने की मांग

1-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में दयालबाग, विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जारूआ कटरा में नया बिजली घर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह बिजली घर कब तक बन जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मियों को एल0एम0वी0 10 की सुविधा प्रदान करने की सी0बी0आई0 जांच

2-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि गलत तरीके से राज्य कर्मियों को एल0एम0वी0 10 की सुविधा प्रदान करने की सी0बी0आई0 जांच विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 6-3-2007 जोकि प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जांच किसको सौंपी गई तथा मई, 2007 तक हुई क्षति की भरपाई कैसे की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रकरण को निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत कर निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

जनपद बागपत के बामनौली में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

3-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के बामनौली में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य पूरा करने हेतु क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विद्युत उपकेन्द्र बामनौली का निर्माण कार्य माह मार्च, 2008 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के हैदर मिर्जा रोड, गोलागंज में विद्युत चोरी रोकने की जांच

4-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के हैदर मिर्जा रोड, गोलागंज में अनेकों लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से कटिया डालकर या बिना मीटर के विद्युत चोरी कर, मिनी फैक्ट्री, पी0सी0ओ0 तथा सिलाई केन्द्र का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्ले में विद्युत चोरी रोकने के लिये जांच कराकर कोई ठोस उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

संज्ञान में आने पर दिनांक 4-7-2007 को प्रश्न में वर्णित क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की विजलेंस टीम के साथ निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र में निम्न चार व्यक्तियों के प्रतिष्ठानों में अनियमितता पायी गयी जिसकी प्राथमिकी थाना बजीरगंज में दर्ज करा दी गयी है।

1-श्री विजय प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री विश्वनाथ गुप्ता।

2-श्री मोहम्मद इस्लाम पुत्र अज्ञात।

3-श्री आन मोहम्मद पुत्र अज्ञात।

4-श्री अजीजुद्दीन पुत्र श्री महनुद्दीन।

प्रश्न नहीं उठता।

5-श्री राजाराम त्यागी-

[4थे बुधवार के अता0 प्र0 सं0-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विभिन्न जिलों/महानगरों से विद्युत के सापेक्ष प्राप्त राजस्व

6-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों/महानगरों से 2006-07, 2007-08 में उन्हें मिलने वाली विद्युत के सापेक्ष कितना तथा कितना प्रतिशत राजस्व प्राप्त

हुआ है ? क्या माननीय ऊर्जा मंत्री विद्युत आपूर्ति को जिला/महानगरों से प्राप्त राजस्व प्रतिशत से सम्बद्ध करने की नीति पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विभिन्न जिलों/महानगरों को 2006-07 में कुल रु0 7861.35 करोड़ मूल्य की विद्युत मिली जिसके सापेक्ष रु0 6784.93 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ जो कि 86.31% है। वर्ष 2007-08 में माह 6/07 के अन्त में कैश बुक के आधार पर गैर सरकारी राजस्व वसूली लक्ष्य रु0 1961.78 करोड़ के विरुद्ध कुल रु0 1508.20 करोड़ की वसूली हुई जो कि 76.88% है।

जी नहीं।

किसी क्षेत्र में राजस्व वसूली का प्रतिशत उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं में से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं एवं भुगतान न करने वाले सभी उपभोक्ताओं को सम्मिलित करते हुए होता है। राजस्व वसूली के प्रतिशत के आधार पर क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं की आपूर्ति कम करने से भुगतान करने वाले उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे। अतः विद्युत चोरी को रोककर मानक के अनुसार वसूली करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

7-डा0 धर्मपाल सिंह-

[3सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा के ब्लाक गोवर्धन, फरह में कटिया कनेक्शन धारकों के विद्युत बिल को माफ करने की मांग

8-श्री पूरन प्रकाश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक मथुरा, गोवर्धन, फरह में कितने कटिया कनेक्शन पिछले 10 वर्षों में दिये गये ? क्या इन सभी कटिया कनेक्शन धारकों को तार, खम्भा उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इन कटिया कनेक्शन धारकों द्वारा विद्युत का उपयोग न करने पर भी विभाग द्वारा 15, 20 हजार का बिल बनाकर भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त बिल माफ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक मथुरा, गोवर्धन, फरह में 3866 कटिया कनेक्शन दिये गये हैं।

खम्भे और तार वहां पर निर्गत नहीं किये गये क्योंकि कटिया कनेक्शन उपभोक्ता द्वारा स्वतः संयोजन चलाने के घोषणा पर निर्गत किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वतः कटिया कनेक्शन उपभोक्ता द्वारा धनराशि जमा करने पर दिये जाते हैं। तद्पश्चात् विद्युत बिल उनके संयोजन लेने की तिथि से निर्गत किये गये हैं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में विद्युत के जर्जर तारों को बदलने की मांग

9-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मोहम्मदी में विद्युत तारों की जर्जर स्थिति होने के कारण अप्रिय घटनायें तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने हेतु निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ओमनगर (पूरन नगर) में बल्ली हटाकर पी0सी0सी0 पोल लगाने की मांग

10-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत ओमनगर (पूरननगर) जिला उन्नाव में बल्ली हटाकर पी0सी0सी0 पोल लगाने विषयक उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर महासंघ के महामंत्री का पत्र दिनांक 31-8-2006, 28-9-2006 जो कि प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, निदेशक (वितरण) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

पत्र दिनांक 31-8-2006 को प्राप्त हुआ है।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ओम नगर (पूरन नगर) में पी0सी0सी0 पोल लगाने का कार्य भारत सरकार की ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

महाप्रबन्धक (वितरण) फैजाबाद क्षेत्र को सम्बोधित अवैध कनेक्शन के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में पत्र

11-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सलाहकार, उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र संख्या-248 दिनांक 13-9-2006 जोकि महाप्रबन्धक (वितरण), फैजाबाद क्षेत्र को सम्बोधित है और जो अवैध कनेक्शन विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रकरण पर जांच कराई गई एवं दोषी सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ, माताटीला इकाई के पत्र पर कृत कार्यवाही

12-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ, माताटीला इकाई का पत्र दिनांक 16-5-2007 जो कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकने विषयक है जिलाधिकारी, ललितपुर को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जिलाधिकारी ललितपुर को जांच हेतु पत्र लिखा गया है। आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश माथुर, निदेशक, राष्ट्रपति सचिवालय का मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही

13-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 एवं पांचों कम्पनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु बने उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट का करोड़ों रुपया निजी वित्त संस्थाओं एवं शेयर मार्केट में लगाने विषयक राष्ट्रपति सचिवालय के संयुक्त सचिव श्री अशोक कुमार मंगोत्रा का पत्र संख्या-17/05/पी-1/2007, दिनांक 3-5-2007 जोकि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

श्री सतीश माथुर, निदेशक, राष्ट्रपति सचिवालय का मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-17/05/पी-11/2007, दिनांक 03 मई, 2007 प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-5 (53)/2002 ई0सी0बी0 एण्ड पी0आर0 दिनांक 24-1-2005 में प्राविधानित नियम के अन्तर्गत उ0 प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट द्वारा पब्लिक फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशनल्स एवं अन्य पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स के बाण्डस में रु0 420.11 करोड़ राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित बैंकों में रु0 991.78 करोड़, शासकीय प्रतिभूतियों में रुपया 171.28 करोड़ तथा निजी म्यूचुअल फण्ड्स की विभिन्न स्कीमों में जिनको दो

क्रेडिट एजेन्सी से इन्वेस्टमेन्ट ग्रेड रेटिंग ए0ए0ए0 प्राप्त है, में 48.83 करोड़ कुल रुपये 1632 करोड़ का निवेश किया गया है।

ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के नोटिफिकेशन में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत ही निवेश किया गया, जो नियमानुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड माताटीला, ललितपुर द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

14-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ, माताटीला इकाई के अध्यक्ष/सचिव एवं प्रदेश मंत्री का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 14-4-2007 जोकि अध्यक्ष/निदेशक (वित्त) उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है और जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, माताटीला, ललितपुर द्वारा की गयी अनियमितता विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है। जांच हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पूरे माता दीन पाण्डे में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

15-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-पूरे मातादीन पाण्डे (मिझूटी), पो0-सोरांव (बल्दीराय), तहसील मुसाफिरखाना, मौजा-दक्खिन गांव जिला सुल्तानपुर में विद्युतीकरण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पूरे मातादीन पाण्डेय पो0-सोरांव (बल्दीराम) तहसील मुसाफिरखाना मौजा-दक्खिन गांव का विद्युतीकरण भारत सरकार नई दिल्ली की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इस कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विचार

16-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अध्यक्ष (चेयरमैन), प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) का पद रिक्त है ? यदि हां, तो रिक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) का पद रिक्त है।

रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी जिले में हाईटेंशन तारों के नीचे सेफ गार्ड लगाने की मांग

17-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में हाइटेंशन तारों के नीचे सेफ गार्ड लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर में अघोषित विद्युत कटौती रोकने की मांग

18-श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी नगर में अघोषित विद्युत कटौती होने के कारण बुनकर परिवारों का पलायन हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार वाराणसी नगर में नियमित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वाराणसी नगर में अघोषित कटौती होने के कारण बुनकर परिवारों के पलायन की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

वाराणसी नगर में प्रतिदिन 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है तथा ग्रिड में विद्युत की उपलब्धता के आधार पर प्रतिदिन आपूर्ति करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

19-श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के पूरा बाजार में 33/11 के0 वी0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण की मांग

20-श्री लल्लू सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत आपूर्ति की समस्या को देखते हुए पूरा बाजार जनपद फैजाबाद में निर्माणाधीन 33/11 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशन के कार्य को समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराकर चालू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पुरवों के विद्युतीकरण हेतु बनाई गयी योजना में पूरा बाजार जनपद-फैजाबाद में एक अदद 33/11 के0वी0 का नया उपकेन्द्र प्रस्तावित किया गया है। योजना की स्वीकृति हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया। योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के जिला पंचायत में नई सड़कें एवं मरम्मत हेतु किये गये विकास कार्य

21-श्री पूरन प्रकाश-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में पिछले वित्तीय वर्ष में जिला पंचायत मथुरा के अन्तर्गत जिला पंचायत के माध्यम से जनपद के पांच विधान सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी नई सड़कें बनने एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत हुईं ? क्या यह सही है कि पांच विधान सभा क्षेत्रों में विकास न होकर एक क्षेत्र विशेष में सारी सड़कें स्वीकृत हुईं ? यदि हां, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायतीराज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

जनपद मथुरा में पिछले वित्तीय वर्ष में जिला पंचायत, मथुरा के अन्तर्गत जिला पंचायत के माध्यम से विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत पांचों विधान सभा क्षेत्रों में 278 नई सड़क एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत हुई थी।

जी नहीं, पांचों विधान सभा क्षेत्रों में विकास कार्य स्वीकृत किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के ग्राम पोखरा कलां में प्रस्तावित पावर हाऊस के निर्माण कार्य पूर्ण करने की मांग

22-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पोखरा कलां, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में पावर हाउस का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

33 के0वी0 उपकेन्द्र पोखरा कलां, जनपद सीतापुर हेतु रु0 180 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। उपकेन्द्र का निर्माण कार्य 11/06 में शुरू हुआ था। निर्माण कार्य उ0प्र0 पावर

कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा हैं 95 प्रतिशत जनपदीय कार्य पूरा हो चुका है। आगे वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहने पर दिसम्बर, 2007 तक उपकेन्द्र के ऊर्जीकृत होने की सम्भावना है।

जनपद हाथरस के नगला वीर सहाय में स्वीकृत 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण की मांग

23-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगला वीर सहाय (जरेरा) तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस में स्वीकृत 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माणाधीन कार्य कब तक पूर्ण कराकर चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

33/11 के0वी0 उपसंस्थान नगला वीर सहाय उपकेन्द्र के सभी स्ट्रक्चर खड़े किये जा चुके हैं, विद्युत उपकरण लगाये जाने हेतु तथा उपकेन्द्र का कार्य प्रगति पर है एवं प्रस्तावित लगभग 18 कि0मी0 33 के0वी0 लाइन के खम्भे भी खड़े किये जा चुके हैं, लेकिन लाइन के रूट में पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग को भूमिगत क्रास कराने हेतु रेलवे विभाग, बरेली से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। रेलवे विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के सेन्टर स्टोर, माताटीला विद्युत गृह ललितपुर में अनेक सामानों को मार्केट में बेचने विषयक प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

24-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत सेन्टर स्टोर, माताटीला विद्युत गृह ललितपुर में 66 के0 वी0 एच0टी0 बुशिंग, जी0 सी0 शीट, एंगिल आयरन एवं लैफ्ट बैंक कालोनी पावर हाउस में 3 कि0मी0 एस0ई0 एस0आर0 डाग कन्डक्टर पी0एल0 की लाइन तथा एल0टी0 कापर कन्डक्टर 6 नम्बर आदि मार्केट में बेचने विषयक अध्यक्ष/सचिव/प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 23-4-2007, 1-5-2007 जो अध्यक्ष एवं निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

सम्बन्धित प्रकरण में जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, माताटीला, ललितपुर के कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं समस्याओं के समाधान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

25-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, माताटीला, ललितपुर द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं समस्याओं के

समाधान विषयक उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ माताटीला इकाई का पत्र दिनांक 14-12-2006, 20-2-2007 एवं 3-4-2007 जो कि अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, माताटीला, ललितपुर को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

संघ के पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं के अन्तर्गत इंगित समस्याओं पर संघ के पदाधिकारियों से वार्ता कर उनके समाधान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ से कस्बा करनावल तक उ0 प्र0 परिवहन निगम की संचालित बस सेवा

26-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ से कस्बा करनावल तक उ0 प्र0 परिवहन निगम की संचालित बस सेवा समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर पुनः बस सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

यह सेवा दिनांक 4-7-2007 से पुनः संचालित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

27-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[दिनांक 12-7-2007 के अता0 प्र0 सं0-31 द्वारा उत्तरित]

जनपद बागपत के कतिपय विद्युत उपकेन्द्रों में बिजली आपूर्ति की योजना

28-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बागपत में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तितरौहा, बिनौली, संतनगर, कान्हड़, दाहा, गडवारा, निरपुडा, जौहडी, बडाबदब, बिजरौल उपकेन्द्र डबल ग्रुप में होने के कारण भी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति मात्र 4-5 घंटे हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उप केन्द्रों से 18 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विद्युत उपकेन्द्र सन्तनगर गेडबरा, निरपुडा, दाहा, जौहडी, कान्हड़, बिजरौल एवं बड़ावद में प्राप्त विद्युत आपूर्ति के अनुरूप ही 8-10 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। 132 के0वी0 उपसंस्थान बड़ौत की अत्यन्त अतिभारिता के कारण बिनौली एवं तितरौदा 33 के0वी0 पोषकों को डबल ग्रुप के बाद भी 12 घण्टे से अधिक आपूर्ति नहीं मिल पाती है फलस्वरूप उपकेन्दों पर अतिभारित 11 के0वी0 पोषकों को मात्र 6-7 घण्टे ही विद्युत आपूर्ति हो पा रही है।

जी हां।

उक्त उपकेन्द्रों से नियमित विद्युत आपूर्ति करने के लिये 220 के0वी0 उपकेन्द्र बड़ौत पर स्थापित परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि (2×100) एम0वी0ए0 से (1×160+1×100) एम0वी0ए0 तथा 132 के0वी0 उपकेन्द्र बड़ौत पर स्थापित परिवर्तकों की क्षमता (2×20+40) एम0वी0ए0 से (2×40+20) एम0वी0ए0 किया जाना अपरिहार्य है। 220 के0वी0 उपकेन्द्र बड़ौत पर स्थापित परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 220 के0वी0 उपकेन्द्र बड़ौत से पोषित 132 के0वी0 उपकेन्द्र लोनी का उच्चीकरण 220 के0वी0 उपकेन्द्र में किये जाने का कार्य किया जा रहा है जो मार्च, 2008 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। उपरोक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 220 के0वी0 उपकेन्द्र बड़ौत एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्र बड़ौत की अतिभारिता समाप्त हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

गोमतीनगर बस डिपो, लखनऊ के श्री सुहैल अहमद क्षेत्रीय प्रबन्धक, द्वारा कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

29-श्री सुधीर कुमार-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि 26 जनवरी, 2007 को गोमतीनगर बस डिपो, लखनऊ में झण्डारोहण कार्यक्रम के दौरान श्री सुहैल अहमद, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने सम्बन्धी यू0 पी0 रोडवेज इम्पलाइज यूनियन के महामंत्री श्री तेज बहादुर शर्मा का शिकायती-पत्रांक-के0का0/यूनियन/परिवाद/स0 क्षे0प्र0 (गो0नि0) 2007-28 दिनांक 25-4-2007 प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 परिवहन निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामअचल राजभर-

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ महानगर परिवहन सेवा से करायी गयी। जांच के आधार पर श्री सुहैल अहमद, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोप पत्र निर्गत किया गया है तथा इन्हें स्थानान्तरित करते हुए परिवहन निगम मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जनपदों को विद्युत कटौती से मुक्त रखने की जानकारी

30-श्री सतीश महाना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जनपदों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है ? क्या सरकार कानपुर शहर को भी विद्युत कटौती से मुक्त करने की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद आगरा, जनपद मथुरा, जनपद फिरोजाबाद, जनपद हाथरस एवं जनपद एटा के क्षेत्रों को मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धार्मिक पर्व एवं विशेष आयोजनों पर एवं क्षेत्र के पिछड़ेपन के आधार पर अन्य जनपदों को पूर्णतः या आंशिक रूप से भी समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार मुक्त किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण सम्भव नहीं है।

प्रदेश में खनन कार्य करने वाले मजदूरों का जीवन बीमा करने की योजना

31-श्री उदयभान करवरिया-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में खनन कार्य करने वाले मजदूरों हेतु किसी प्रकार की जीवन बीमा की योजना चलाई गयी है ? यदि हां, तो इस योजना से वर्ष 2006-07 में कितने मजदूर लाभान्वित हुए हैं ? क्या खनन मजदूरों हेतु जीवन बीमा को अनिवार्य किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम अतकोहना में विद्युत आपूर्ति

32-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के वि0 खं0 नकहा के ग्राम अतकोहना में सन् 2003 से विद्युत सप्लाई नहीं की जा रही है, जिससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

18-07-2006 में आंधी आने के कारण 11 के0वी0लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी थी परन्तु समस्त उपभोक्ताओं पर बकाया होने के कारण मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया था बिलों के भुगतान हेतु लिखित आश्वासन के उपरान्त दिनांक 02-07-2007 को लाइन ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम गांवड़ी का विद्युतीकरण किये बिना बिजली के बिल वसूलने का औचित्य

33-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम गांवड़ी ब्लाक बिनौली में विद्युतीकरण कब किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त गांव में 35 लोगों के नाम बिजली के बिल की वसूली लगभग 20 वर्षों से की जा रही है ? यदि हां, तो बिना विद्युतीकरण किये बिजली का बिल वसूलने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त गांव में विद्युतीकरण कराये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ग्राम गांवड़ी ब्लाक बिनौली विद्युतीकृत नहीं है।

जी हां।

ग्राम गांवड़ी के निकट से निजी नलकूपों के दो 63 के0वी0ए0 के परिवर्तकों की एल0टी0 लाइन गुजर रही है जिससे केबिल डालकर 35 उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन अवमुक्त किये गये हैं जिनसे नियमानुसार विद्युत बिल की वसूली की जा रही है।

जी नहीं, उक्त ग्राम चालू ग्रामीण विद्युतीकरण की किसी भी योजना में चयनित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त ग्राम चालू ग्रामीण विद्युतीकरण की किसी भी योजना में चयनित नहीं है।

जनपद हरदोई की तहसील संडीला में अवैध रूप से संचालित विनियर एवं आरा मशीनों को बन्द कराने की मांग

34-श्री शाहिद मंजूर तथा श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत कितनी विनियर एवं आरा मशीनें बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित हैं ? क्या सरकार उसकी जांच कराकर अवैध रूप से संचालित मशीनों को बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

वर्तमान में जनपद हरदोई की तहसील संडीला में कोई विनियर या आरा मिल बगैर लाइसेन्स के संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज की क्षेत्र पंचायत घुघली और परतावल की बैठकों का विवरण

35-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश के तहत क्षेत्र पंचायतों की सामान्य बैठक एक वित्तीय वर्ष में तीन बार होना निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि महराजगंज जनपद की क्षेत्र पंचायत घुघली और परतावल की बैठक चुनाव होने के बाद लगभग 18 माह में केवल एक बार ही हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बिना समितियों के गठन के क्षेत्र

पंचायतों में विकास कार्य किस प्रकार कराये जा रहे हैं ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र पंचायत घुघली में 03 एवं क्षेत्र पंचायत परतावल में 04 बैठकें हुई हैं।

समिति के गठन के उपरान्त ही क्षेत्र पंचायत के विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इण्टर कालेजों में कैम्प लगाकर ड्राइविंग लाइसेन्स बनाने की जानकारी

36-श्री लल्लू सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुविधा की दृष्टि से इण्टर कालेजों में कैम्प लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जाने की योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में वर्ष 2005 से अब तक कब-कब कैम्प लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये गये ? क्या सरकार इस योजना को और अधिक सुविधाजनक बनाये जाने हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इण्टर कालेजों में कैम्प लगाकर ड्राइविंग लाइसेन्स बनाये जाने की कोई योजना नहीं है। केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 तथा उ0 प्र0 मोटर यान अधिनियम 1998 में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है।

जनपद मुजफ्फरनगर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) का जीर्ण-शीर्ण भवन एवं चहारदीवारी बनवाने की जानकारी

37-श्री हुकुम सिंह-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि मुजफ्फरनगर में स्थित राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) का भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होने के कारण कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है ? यदि हां, तो उक्त भवन की मरम्मत एवं चहारदीवारी का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री वेद राम भाटी)-

जी नहीं।

चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरनगर के चहारदीवारी निर्माण हेतु रु0 8.40 लाख की बजट व्यवस्था करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के सरफराजगंज (ठाकुरगंज) जिन्नातों वाली मस्जिद के निकट विद्युत पोल लगाने की मांग

38-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के मोहल्ला सरफराजगंज (ठाकुरगंज) निकट एरा मेडिकल कालेज के निकट स्थित जिन्नातों वाली मस्जिद के निकट खम्भे से अनेक विद्युत कनेक्शन लकड़ी की बल्ली लगाकर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लकड़ी की बल्ली के स्थान पर विद्युत पोल लगवाकर विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 7-7-2007 को लकड़ी की बल्लियों के स्थान पर विद्युत पोल लगा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के सिरसी मौजा, बदिया खेड़ा, नवाबगंज आदि ग्रामों में विद्युत आपूर्ति को ठीक कराने की मांग

39-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के सिरसी मौजा, बदिया खेड़ा, वि0 क्षेत्र सि0 कर्ण व गाजीगंज, वि0 क्षेत्र नवाबगंज, खरौली वि0 क्षेत्र लि0 कर्ण आदि ग्रामों में विद्युत चोरी के कारण या खम्भे टूटने से विद्युत बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बाधित विद्युत आपूर्ति को शीघ्र ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्न के सन्दर्भित ग्रामों में आंधी-तूफान के कारण खम्भे टूटने से विद्युत आपूर्ति बाधित है।

जी हां।

प्राक्कलन बना लिया गया है। टूटे खम्भों को पुनः स्थापित करने का कार्य दिनांक 31-07-2007 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के सादुल्लानगर में 33 के0वी0ए0 का पावर हाउस स्थापित करने की मांग

40-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर में 33 के0वी0ए0 का पावर हाउस स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त पावर स्टेशन कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्तमान में सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर में 33 के0वी0ए0 का पावर हाउस स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर के रेहरा बाजार के तार एवं पोल बदलने की मांग

41-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के रेहरा बाजार तथा बाबागंज श्रीनगर बाजार के विद्युत तार एवं खम्भे जर्जर अवस्था में हैं ? यदि हां, तो इन्हें बदलवाने की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद बलरामपुर के रेहरा बाजार के तार एवं ... बदलने हेतु निरीक्षण कराकर रु0 12.21 लाख का प्राक्कलन बनाया गया है। यह कार्य ...गाली सुधार के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक पूरा करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

जनपद श्रावस्ती के थाना सिर्सिया के मौजा धनीपुरवा में मुस्लिम महिलाओं के साथ कथित बलात्कार सम्बन्धी नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को रिपोर्ट देना चाहते हैं। उसको सुन लें 12.20 के बाद उन्होंने सूचना देने को कहा था अब वह सदन को सूचना देना चाहते हैं।

(समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप न्याय नहीं कराना चाहते हैं आजम खां साहब, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सूचना देना चाहते हैं। आप सुन लें। इसको गम्भीरता से लिया गया है। सरकार ने जो जानकारी हासिल की है वह बताना चाहते हैं। मानवीयता के आधार पर सरकार को मौका दें दुखी परिवारों के प्रति यह सरकार संवेदनशील है।

(घोर व्यवधान)

(वेल में आए हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप स्थान ग्रहण करें, आजम खां साहब, मा0 सदस्यों को अपने स्थान पर जाने के लिए कहें और सदन की और कार्यवाही चलने दें। बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, सदन का। मैं तो सोमवार को सुनने के लिए तैयार हूं लेकिन यदि आप इसी आधार पर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप भी सरकार से कुछ जानना चाहते हैं तो जान लें, अगर एकतरफा जनवाना ही चाहते हैं तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। सरकार कुछ कहना चाहती है, सरकार उस घटना के बारे में बताना चाहती है, जानकारी देना चाहती है। आप कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं हैं इस घटना की गम्भीरता को आप ऐसे ले रहे हैं , जो चाहें करें, आपका अधिकार है। चौधरी साहब, आप आगे आ जायें, इतना पीछे क्यों रहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, हम जानकारी देना चाहते हैं और कार्यवाई भी करना चाहते है। यह सरकार अल्पसंख्यक के साथ-साथ सभी वर्गों की हितैषी है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जायेगा। हम इस पर खुलेमन से कार्यवाही करना चाहते हैं और इसकी जानकारी देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि मा0 सदस्य अपने स्थानों पर चले जायें अगर नहीं जाते हैं तो आप. आगे का एजेण्डा लेने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजम खां साहब, सरकार कुछ कार्यवाही करना चाहती है और जानकारी भी देना चाहती है, आप बैठ जायें और सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम तो कार्यवाही करना चाहते हैं और हम इसकी जांच भी करना चाहते हैं लेकिन मा0 सदस्य अगर नहीं चाहते हैं कि कोई कार्यवाई हो, तब भी कार्यवाही होगी, मान्यवर, और कोई दोषी बख्शा नहीं जायेगा। लेकिन ये लोग इस पर पर्दा डालना चाहते हैं, फिर भी इनकी इन बातों के बावजूद भी सरकार कृतसंकल्पित है कि इस पर कार्यवाही होगी और कोई दोषी किसी भी तरह से बख्शा नहीं जायेगा।

(व्यवधान जारी)

मान्यवर, हमने वहां जो थानाध्यक्ष था जिसने एफ0आई0आर0 लिखने में कुछ विलम्ब किया, उसको हमने निलम्बित भी कर दिया है। ऐसी स्थिति में भी अगर यह लोग सदन नहीं चलाना चाहते तो आप दूसरा आइटम ले लें। अगर यह नहीं सुनना चाहते हैं और कार्यवाही भी नहीं चाहते हैं तो भी

हम इसमें कार्यवाही करेंगे, चाहे जो भी हो कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसके बाद भी यह लोग नहीं सुनना चाहते तो मान्यवर, दूसरा आइटम ले लें।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब, उस जिले में आपका आना जाना है। सरकार कार्यवाही करना चाहती है। दरोगा को निलम्बित भी कर दिया है। अगर आप कार्यवाही कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। सरकार कार्यवाही करना चाह रही है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम सुन तो लीजिए, अपना विकल्प फिर भी आपके पास है। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, कार्यवाही कराना भी नहीं चाह रहे हैं। किसी दोषी के खिलाफ कार्यवाही कराने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे क्या फायदा है ?

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 जुलाई, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई।

पहली सूचना डा0 पी0 के0 राय जी की है इन्होंने जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुही राज के कतिपय गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनायी गयी पानी की टंकियों से जलापूर्ति करने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह जी की है, इन्होंने आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका शमसाबाद में बाई पास का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तीसरी सूचना श्री अखिलेश कुमार सिंह जी की है इन्होंने रायबरेली के हरचन्दपुर ब्लाक के ग्राम प्यारे स्थित राम प्रकाश गुप्ता बालिका इण्टर कालेज के प्रबन्धतंत्र द्वारा सेवित योजनाओं से प्राप्त धनराशि को हड़पने एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

चौथी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है इन्होंने सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील के अन्तर्गत विरोधीदल के कार्यकर्ता पर राजनीतिक द्वेषवश दर्ज किये गये मुकदमों को रुकवाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

पांचवीं सूचना श्री धनंजय सिंह जी की है इन्होंने लखनऊ में कार्यरत जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) के कार्य कलापों की जांच कराने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

छठी सूचना श्री सलिल विश्नोई जी की है इन्होंने मकान नं0 19/82 पटकापुर कानपुर में जर्जर मकान गिर जाने के कारण तीन महिलाओं की मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

सातवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता जी की है इन्होंने नियोजन सचिव के आदेशानुसार दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों का समस्त विवरण दिनांक 15 जुलाई, 2007 तक उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

आठवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की है, वह उपस्थित नहीं हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्य की सूचना अस्वीकार की गई श्री जोखू लाल यादव।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के कतिपय गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनायी गई पानी की टंकियों से जलापूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पी0 के0 राय-

[अध्यक्ष महोदय, तहसील तमकुही राज जनपद कुशीनगर में ग्राम मटिया श्री राम, बाकखास, पिपरा घाट पिरोजहां में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पानी की टंकियां बनी हैं लेकिन बिजली की अनापूर्ति घटिया पाइपलाइन की वजह से जगह-जगह पाइप लाइन फट जाती है जिसके कारण ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। यह वह क्षेत्र है जहां पानी दूषित है शुद्ध पानी न मिलने की वजह से बीमारियां हो रही हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ग्रामीण जनता को बीमारियों से बचाने के लिए शीघ्र इन पानी की टंकियों से कराना सुनिश्चित करने की मांग करता हूं।]

आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका शमसाबाद में बाई पास का पक्का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, आगरा जनपद की विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में शमसाबाद नगर पालिका हैं। आबादी 40,000 के करीब है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के आने वाले सभी भारी वाहन शमसाबाद के मुख्य बाजार से निकलने के कारण हर समय जाम की स्थिति रहती है। इस समस्या के निराकरण के लिये प्रस्तावित बाईपास का निर्माण शुरू हो गया था तथा कच्ची मिट्टी की सड़क का निर्माण भी हो गया है। परन्तु पक्का निर्माण काफी दिनों से शुरू नहीं हुआ है।

लोकहित में निर्माण कार्य तुरन्त कराये जाने की जरूरत है। आशा है सरकार इस महत्वपूर्ण विषय के समाधान की कोशिश तुरन्त करेगी।]

रायबरेली के हरचन्दपुर ब्लाक के ग्राम प्यारे स्थित राम प्रकाश गुप्ता बालिका इण्टर कालेज के प्रबन्धतंत्र द्वारा सेवित योजना से प्राप्त धनराशि को हड़पने एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अखिलेश कुमार सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, जनपद रायबरेली के ब्लाक-हरचन्दपुर-ग्रा0 प्यारे स्थित राम प्रकाश गुप्ता बालिका इण्टर कालेज का प्रबन्धतंत्र सेवित योजना से प्राप्त 10 लाख रु0 की धनराशि हड़पकर अभी तक 10 लाख रु0 और प्राप्त करने जा रहा है। कालेज के भवन का बड़ा भू-भाग ग्राम समाज की भूमि कब्जा करके बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त भवन निर्माण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया जा रहा है। लो0नि0वि0 द्वारा आपत्ति करने पर अधिकारियों/कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। शासन से प्राप्त धनराशि की शिकायत करने की जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली की भी हिम्मत नहीं हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से तत्काल गम्भीर जांच कराने व तब तक शासन से सेवित योजना से मिलने वाली 10 लाख की धनराशि को तत्काल रुकवाने व दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील के अन्तर्गत विरोधी दल के कार्यकर्ता पर राजनीतिक द्वेषवश दर्ज किये गये मुकदमों को रुकवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक प्रतिद्वन्दता के कारण विभिन्न स्थानों पर स्थानीय राजनीतिज्ञों के द्वारा अपने विरोधियों के आराजियों पर जबरन उक्साकर लोगों द्वारा कब्जा कराया जाना जिससे कि लोग विवादों में फंसे, आम बात हो गई है इसी सन्दर्भ में ग्राम कठौतिया तप्पा बुढ्ढी तहसील इटवा के निवासी श्री चन्द्रभान सिंह जी राजनीति में सपा के समर्थक हैं तथा जिनके परिवार में जिला पंचायत सदस्य प्रधान सहकारी बैंक के निदेशक आदि पदाधिकारी हैं तथा इनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा न तो किसी थाने में दर्ज है और न ही किसी न्यायालय में विचाराधीन है, मात्र राजनैतिक प्रतिबद्धता वस इनके आराजी नं0 68 घ पर इन्हीं के गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उकसा कर घर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और यह भी प्रयास है कि यदि वह इनको मना करेंगे तो उनके विरुद्ध हरिजन उत्पीड़न आदि का मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजकर चुनाव का बदला लिया जायेगा। पिछले 7 जुलाई, 07 से ही इनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है कहीं मिट्टी गिराई जा रही है तो कहीं नीव खोदी जा रही है कहीं पर ईटा रखा जा रहा है और इन्हें आक्रोशित करने का प्रयास किया जा रहा है फिर भी शान्तिपूर्ण ढंग से इन्होंने थाना त्रिलोकपुर में शिकायत किया, पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को आवेदन देकर इस घटना को रोकवाने का प्रयास किया, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी व थाना प्रभारी को सूचना देकर इसे रोकवाकर किसी गम्भीर घटना से बचाने का प्रयास किया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही ही नहीं हुई।

अतएव आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर इसे रोकवाने का आदेश निर्गत करने की मांग करता हूं।]

लखनऊ में कार्यरत जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) के कार्य-कलापों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धनंजय सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में शिक्षा विभाग में जिला स्तरीय अधिकारियों की मनमानी कार्यशैली तथा भ्रष्टाचार के कारण अधीनस्थ कर्मियों एवं शिक्षक समुदाय में काफी असन्तोष तथा कुंठा व्याप्त है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ही ले तो जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) जिन्हें माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से यहां लाया गया है, की कार्यशैली तथा अधीनस्थों के प्रति सोच से काफी आक्रोश है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इन्हें एक नहीं अनेकों बार जनप्रतिनिधियों द्वारा तथा विभाग द्वारा सतर्क करने के बावजूद इनकी भ्रष्टाचारी नीयत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी गत दिसम्बर माह में इन्हें विभाग द्वारा दण्डित किया गया है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि ऐसे दागी तथा प्रतिगामी विचारधारा वाले अधिकारियों को राजधानी जैसे संवेदनशील स्थान पर पदस्थ करने की स्थिति कितनी युक्ति-युक्त है। ऐसी सोच तथा कार्यशैली से सरकार की छवि निरन्तर धूमिल हो रही है जो सरकार की "सर्वजन हिताय" विचाराधीन के सर्वथा विपरीत है।

अस्तु मैं आपके माध्यम से सरकार से सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराये जाने के साथ ही सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

मकान नं0 19/82 पटकापुर, कानपुर में जर्जर मकान गिर जाने के कारण तीन महिलाओं की मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सलिल विश्नोई-

[अध्यक्ष महोदय, एक दुर्घटना दिनांक 18 जून, 2007 को रात्रि 8.30 बजे मकान नम्बर 19/82, पटकापुर, कानपुर में घटित हुई। अचानक मकान भरभरा कर गिर जाने के कारण तीन महिलायें (1) श्रीमती विद्या देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी श्री मंगली प्रसाद (2) श्रीमती मीना उम्र 32 वर्ष पत्नी श्री अंजनी स्वरूप (3) श्रीमती शैल देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व0 गौरी कान्त मिश्रा की मृत्यु हो गई तथा श्री राजकुमार मिश्रा उम्र 25 वर्ष व मास्टर तुषार उम्र 4 वर्ष दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। श्री राजकुमार मिश्रा अभी हैलट अस्पताल में जीवन-मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मृतक परिवारों का घर गृहस्थी का सामान अचानक मकान गिरने से नष्ट हो गया तथा इन गरीब परिवारों की रोजी रोटी भी छिन गई है। अतः इन परिस्थितियों में इन मृतक आश्रितों एवं घायलों को उचित आर्थिक सहायता शासन द्वारा दिये जाने की मांग करता हूं। जिला प्रशासन कानपुर नगर ने भी अपनी संस्तुति शासन को भेजी है।

महोदय, मैं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर नियम-301 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही के द्वारा शासन को आर्थिक सहायता देने हेतु निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

नियोजन सचिव के आदेशानुसार दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों का समस्त विवरण दिनांक 15 जुलाई, 2007 तक उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सचिव नियोजन दिनांक 7 जून, 2007 उत्तर प्रदेश शासन नियोजन अनुभाग-4 संख्या-836/35-4-2006 लखनऊ दिनांक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

11-06-2007 के द्वारा दशमोत्तर कक्षाओं (हाई स्कूल से ऊपर) में कक्षा-11 स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में जिन छात्रों ने प्रवेश लिया है, उनमें छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों का समस्त विवरण निर्धारित प्रपत्र पर भरकर समस्त जनपदीय अधिकारियों तथा जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राचार्यों/संस्थाध्यक्षों द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2007 तक भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं। जबकि प्रदेश के इण्टर एवं महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि सामान्यतः 31 जुलाई, 2007 है। इन प्रपत्रों के पूर्ण किये जाने की प्रक्रिया में नये लाभार्थी छात्रों को जीरो ओपनिंग बैलेन्स के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में छात्रों द्वारा खाता खुलवाया जाना भी शामिल है। साथ ही संस्थाध्यक्षों पर लाभार्थियों की शुद्धता एवं पात्रता की जिम्मेदारी भी डाली गयी है।

ऐसे में दिनांक 15 जुलाई, 2007 तक संस्थाध्यक्षों/प्राचार्यों द्वारा समस्त विवरण उपलब्ध कराया जाना कैसे सम्भव होगा। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश (क्रीड़ा संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश (क्रीड़ा संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3, इसमें कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, इसमें भी कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5, इसमें भी कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6, इसमें भी कुछ नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

* ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,80,51,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,80,51,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सुधीर कुमार गोयल)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,51,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,51,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-43

परिवहन विभाग

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम अचल राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,21,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,21,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,77,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

जितनी अनुदान मांगें रखी जा रही हैं, उसमें यदि माननीय मंत्री जी अपना लिखित भाषण और कटौती के प्रस्तावक माननीय सदस्यगण अपना लिखित रूप से भाषण आज दे देंगे तो वह कार्यवाही का अंग† बना लिये जायेंगे।

* श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,77,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 62-92 पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री वेदराम भाटी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,82,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मद संख्या-07 (6) को भी रख दें।

श्री वेदराम भाटी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,67,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-07 (5) और 07 (6) पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।

* श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(सदन की वेल में उपस्थित तथा रिपोर्टर्स टेबुल पर खड़े समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति से इसके ऊपर कटौती का प्रस्ताव रख दिया है। जैसा कि आपने विशेष रूप से यह निर्देशित कर दिया है कि कटौती के प्रस्तावक अपना लिखित रूप से भाषण उपलब्ध करा देंगे तो वह कार्यवाही का अंग बन जायेगा, तो मैं अपना भाषण लिखित रूप में दे दूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,82,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,67,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री कुबेर सिंह तथा डा0 कौशल किशोर को पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष

आप अपना संकल्प नहीं रख रहे हैं। अब मैं दूसरे नम्बर पर अंकित संकल्प को रखने के लिये श्री राधा मोहन दास अग्रवाल को बुला रहा हूं।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना" के सम्बन्ध में संकल्प

राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाय।"

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने संकल्प रख दिया है। इस पर चर्चा जारी रखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

आज की कार्यसूची में तीसरा संकल्प श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी का है।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में स्थित छावनी परिषद् में सांसदों एवं क्षेत्रीय विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाय" के सम्बन्ध में संकल्प

* श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में स्थित छावनी परिषद् में सांसदों एवं क्षेत्रीय विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाय।"

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने संकल्प रख दिया है। इस पर चर्चा जारी रखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

(समाजवादी पार्टी के वेल में खड़े मा0 सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसके बाद आप नियम 51 की सूचनाओं को लेने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे हैं उन सदस्यों की सूचनायें यदि नियम 51 के अन्तर्गत हों तो उन्हें न लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 51 की सूचनाओं को लेता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13-07-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की डा0 भीमराव विश्वविद्यालय, आगरा के कुलपति द्वारा बी0-एड0 सत्र 2005-06 की परीक्षा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी सूचना श्री प्रजापालन	की	जनपद-एटा के विधान सभा-एटा क्षेत्रान्तर्गत नलकूपों के खराब होने से उत्पन्न सिंचाई की गहन समस्या के सम्बन्ध में तथा
तीसरी सूचना श्रीमती नन्दिता शुक्ला	की	जनपद-गोण्डा के मुजेहना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।
चौथी सूचना डा0 कौशल किशोर	की	जनपद-कानपुर देहात के तहसीलदार-रसूलाबाद द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,
पांचवीं सूचना श्री पंकज मलिक	की	मुजफ्फरनगर शहर में पश्चिम से होकर गुजरने वाली काली नदी पर अर्द्ध-निर्मित पुल का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,
छठी सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'	की	जनपद-ललितपुर में श्रीवर्णी जैन कालेज समिति, ललितपुर द्वारा कन्या महाविद्यालय हेतु प्रदत्त भूमि पर पुलिस द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
सातवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	की	लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज, मेरठ तथा प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल मेरठ में हृदय रोगियों तथा गुर्दे इत्यादि की बीमारियों हेतु स्थापित मशीनों के खराब होने तथा एतदर्थ बजट की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
आठवीं सूचना श्री मदन चौहान	की	जनपद-गौतमबुद्धनगर जिला अस्पताल-नोयडा में डाक्टरों की कथित लापरवाही से हुई एक बच्चे की मौत की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।
नवीं सूचना श्री अशोक सिंह चौहान	की	मैनपुरी नगर में करहल चौराहे से लेकर बड़े चौराहे तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
दसवीं सूचना श्री धनंजय सिंह	की	जनपद-जौनपुर के रारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मल्हिनी बाजार को राष्ट्रीय राजमार्ग-56 से जोड़ने हेतु गोमती नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में, इन सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया गया।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री अब्दुल वारिस खां

2-श्री जोखू लाल यादव

3-श्री सर्वेश सिंह

4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह

5-चौधरी सत्येन्द्र सिंह

6-श्री राम किशुन

7-श्री मो0 जावेद अंसारी

8-श्री आर0 के0 चौधरी

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

10-श्री पूरन प्रकाश

11-श्री विनोद चतुर्वेदी

12-डा0 हरगोविन्द भार्गव

13-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

14-श्री सुरेश्वर सिंह

15-श्री महेश चन्द्र गुप्ता

16-श्री धर्मपाल सिंह डी0 पी0 यादव

17-श्री दीप नारायण सिंह

18-श्री जगन प्रसाद गर्ग

19-श्री उदयभान करवरिया

20-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल

21-श्रीमती कृष्णा राज

22-डा0 राजेन्द्र सिंह

23-श्री कौकब हमीद

जनपद लखीमपुर खीरी के ईशानगर, धौरहरा तथा मियां बेहड़ विकास खण्डों में पूर्व में मण्डी परिषद् द्वारा अधोमानक निर्माण के फलस्वरूप सड़कों के जर्जर होने की स्थिति की जांच कराने तथा उनके पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, विधान सभा श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा....

* ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददूदू प्रसाद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[दिनांक 03-07-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी है :-

"आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद खीरी में विकास खण्ड ईशानगर व धौरहरा व रमियाबेहड़ में पूर्व में बनी मण्डी परिषद् सड़क लेपन स्तर निर्माण हुआ था, परन्तु घटिया सामान व गुणवत्ता के अनुरूप नहीं बनी तथा पूर्ण रूप से उजड़ गयी है। अतः जांच व नया निर्माण जनहित में बहुत आवश्यक है।"

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईशानगर धौरहरा तथा रमिया बेहड़ में कुल 27 नग सम्पर्क मार्गों का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा कराया गया है, जिसमें से कुल 11 नग सम्पर्क मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य हैं। मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित कराये गये समपर्क मार्गों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	विकास खण्ड	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	निर्माण का वर्ष	सम्पर्क मार्ग की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	ईशा नगर	ईशा नगर रोड से लोकाही तक	1.00	1996-97	ठीक है।
2	ईशा नगर	कटौली से चन्द्रासा	1.75	1997-98	ठीक है।
3	ईशा नगर	अख्तारपुर से सिद्धनपुरवा तक	1.45	1997-98	ठीक है।
4	ईशा नगर	अख्तारपुर से सिद्धनपुरवा नारी बेहड़	0.90	2000-01	ठीक है।
5	ईशा नगर	कटौली से चन्द्रासा कलां	2.70	2001-02	प्रिमिक्सिंग कोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त
6	ईशा नगर	ईशा नगर से मूड़ी	3.90	2001-02	प्रिमिक्सिंग कोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त
7	ईशा नगर	बेंती सहदेव लिंक मार्ग से साहइबेहड़ होकर गोपालपुर तक	4.05	2001-02	प्रिमिक्सिंग कोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त
8	ईशा नगर	बेतुआमूड़ी संकल्प पुरवा से त्रिलोकिया तक	3.00	2001-02	500 मी0 में प्रिमिक्सिंग कोट क्षतिग्रस्त

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3	4	5	6
9	ईशा नगर	जठरा से मुड़िया होते हुए सिरसी से फूलपुर तक	2.50	2002-03	90 प्रतिशत प्रिमिक्सिंग कोट क्षतिग्रस्त
10	ईशा नगर	बुद्धिपुरवा से अम्बेडकर ग्राम मिलिक	2.70	2002-03	प्रिमिक्सिंग कोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त
11	ईशा नगर	सरैया से जठरा तक	3.20	2005-06	कहीं-कहीं प्रिमिक्सिंग क्षतिग्रस्त। स्वयं के व्यय पर ठीक कराने हेतु ठेकेदार को निर्देश दिये गये हैं।
12	ईशा नगर	ऐरा से मटेहनी होते हुए घुरघुटा तक	3.30	2005-06	ठीक है।
13	ईशा नगर	एल0आर0पी0 मार्ग से लुधौनी तक	2.00	2004-05	ठीक है।
14	धौरहरा	एल0आर0पी0 रोड से मटेहनी तक	1.30	1995-96	ठीक है।
15	धौरहरा	सरसवा बेलवा मोती मार्ग से ग्राम रैनी तक	2.50	1996-97	ठीक है।
16	धौरहरा	सरयू नगर से परसा	2.00	1997-98	ठीक है।
17	धौरहरा	एल0आर0पी0 रोड से मुसेपुर होते हुए खमरिया	2.50	1998-99	ठीक है।
18	धौरहरा	बेलवा मोती मार्ग से घुरघुट्टा तक	2.00	2003-04	20 प्रतिशत क्षतिग्रस्त
19	धौरहरा	महाराज नगर से जुगनूपुर तक	4.20	2005-06	ठीक है।
20	धौरहरा	होलागढ़ से बेहनन पुरवा तक	2.00	2005-06	ठीक है।
21	धौरहरा	खरिवहिया बाली मार्ग से पहाड़िया व समरदा वदाल	2.40	2005-06	ठीक है।

1	2	3	4	5	6
22	धौरहरा	बसन्तापुर खरवहिया मार्ग पर खरवहिया से वाली तक	3.30	2005-06	ठीक है।
23	रमियाबेहड़	नौवापुर से तेलियार	2.00	1998-99	ठीक है।
24	रमियाबेहड़	लम्बइया पुल से होलागढ़ तक	3.30	2002-03	100 प्रतिशत प्रिमिक्सिंग कोट क्षतिग्रस्त
25	रमियाबेहड़	लोकाही से नकहिया तक	3.00	2005-06	प्रिमिक्सिंग कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त। ठीक कराने हेतु ठेकेदार को निर्देश दिये गये हैं।
26	रमियाबेहड़	सोहरिया से बेहननपुरवा तक	1.50	2005-06	ठीक है
27	रमियाबेहड़	निघासन टकेरवा मार्ग से खरवहिया चहारापुर से सेमरा बाजार तक।	3.00	2000-02	90 प्रतिशत प्रिमिक्सिंग क्षतिग्रस्त

उपर्युक्त सम्पर्क मार्गों में से क्षतिग्रस्त प्रदर्शित क्रमांक-5 से 11 तक, 18, 24, 25 व 27 पर अंकित सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों की जांच हेतु निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा श्री विनय शंकर पाण्डेय, उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर दी गयी है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन मार्गों का निर्माण कार्य अधोमानक पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक क्षतिग्रस्त मार्गों का प्रश्न है। क्रमांक-11 व 25 पर अंकित मार्ग अभी अनुरक्षण अवधि में हैं। अतः इनकी मरम्मत का कार्य ठेकेदार के व्यय पर कराये जाने हेतु उप निदेशक (नि0) द्वारा ठेकेदार को निर्देश दे दिये गये हैं। अन्य 9 नग सम्पर्क मार्गों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने एवं तत्समय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर मरम्मत कार्य कराने पर विचार किया जायेगा।]

प्रदेश के महाविद्यालयों में इण्टरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को समुचित प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, विधान सभा श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददूू प्रसाद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराया है कि प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में छात्र इण्टरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण करके प्रवेश हेतु भटक रहे हैं, परन्तु महाविद्यालयों में सीट कम होने के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहा हैं प्रदेश सरकार नये महाविद्यालयों को खोलने अथवा सीटें बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिससे छात्रों में भारी असंतोष व्याप्त है। कुछ विश्वविद्यालयों ने सायंकालीन कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति दी है, परन्तु उनकी फीस बहुत ज्यादा है तथा उनमें अनुभवी शिक्षकों को मौका न देने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। कुछ महाविद्यालयों में दलित छात्रों को शासन द्वारा फ्री-शिप दिये जाने के बाद भी फीस वसूली जा रही है। इससे सम्पूर्ण छात्र समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। उक्त मामले पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध, सहयुक्त/घटक-124 राजकीय महाविद्यालय, 345 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 1423 अनानुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। विगत तीन वर्षों में यू0 पी0 बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का विवरण निम्वत् है :-

वर्ष	सम्मिलित छात्र/छात्रा	उत्तीर्ण छात्र/छात्रा
2005	9,70,713	8,82,570
2006	16,17,261	14,39,386
2007	17,43,384	15,18,536

3-उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यू0 पी0 बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2007 में मात्र 79,150 छात्र/छात्रा ही वर्ष 2006 के सापेक्ष अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। जबकि यू0पी0 बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2006 में 5,56,816 छात्र/छात्रा वर्ष 2005 के सापेक्ष अधिक उत्तीर्ण हुए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि शैक्षिक सत्र 2006-07 में प्रवेश प्राप्त कुल छात्र/छात्राओं की संख्या 16,35,108 है जिनमें से छात्रों की संख्या 10,37,136 तथा छात्राओं की संख्या 5,97,972 है।

4-उपर्युक्त के अतिरिक्त शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश समस्या के निराकरण हेतु समग्र व्यवस्था किये जाने के आदेश शासनादेश संख्या-2555/सत्तर-2-2007-2(166)/2003, दिनांक 25 जून, 2007 द्वारा कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश तथा समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्गत किये गये हैं जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रवेश की समस्या के निराकरण हेतु शैक्षिक सत्र 2006-07 में शासनादेश संख्या-1678/सत्तर-2-2006-2(166)/2003, दिनांक 23 मई, 2006, शासनादेश संख्या-1870/ सत्तर-2-2006-2(166)/ 2003, दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या-3371/सत्तर-2-2006-2(166)/2003, दिनांक 21 अगस्त, 2006 में किये गये प्राविधानों को यथावत् शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिए लागू माने जाने के निर्णय की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया है। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश समस्या के समाधान हेतु उपरिसंदर्भित शासनादेशों में मुख्य रूप से निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं :-

(1) ए0आई0सी0टी0ई0 अथवा एन0सी0टी0ई0/बी0सी0आई0 आदि की परिधि से भिन्न पाठ्यक्रमों में सम्बन्धित विश्वविद्यालय/राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत 25 प्रतिशत सीट वृद्धि की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया है।

(2) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्रदेश में स्थापित विभिन्न केन्द्रों में प्रवेश हेतु अधिकाधिक छात्रों को प्रोत्साहित किया जाय तथा यथावश्यकता केन्द्रों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि की जाय।

(3) अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति देने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया गया है। ये कक्षाएं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित की जायेंगी तथा इन कक्षाओं में प्रवेश पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण के नियम लागू होंगे। सांध्यकालीन कक्षाओं के लिए शासन से अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है जिन अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों को सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की जाय उनमें अनिवार्य रूप से प्रथम पाली प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 12.45 बजे से अपराह्न 5.15 बजे तक संचालित की जाय।

(4) सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों यथा-बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0 काम0 में अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था के आवेदन पर नियमित कक्षा के साथ अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि की अनुमति हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि यह अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अनुमन्य की जायेगी और अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि हेतु शासन से अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) कुलपतियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों में स्नातक स्तर पर प्रवेश की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु न्यूनतम उपाचार्य स्तर के अध्यापक को विश्वविद्यालय का नोडल अधिकारी नामित करें जिसका यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्त वर्णित निर्देशों के अनुसार विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रवेश की प्रक्रिया को सुगम बनायें तथा यदि कोई

कठिनाई आती हो तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त महाविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श कर समस्या का निराकरण करायें।

(6) समस्त जिलाधिकारीगण से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपनी अध्यक्षता में नियमित रूप से जनपद के समस्त स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नियमित समीक्षा करेंगे तथा इस कार्य में उनकी सहायता सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित नोडल अधिकारी व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे समय-समय पर पारित शासनादेशों के अनुसार जनपद में स्थित समस्त प्रकार के महाविद्यालयों में समन्वय स्थापित करते हुए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की नियमित समीक्षा कर पाक्षिक रिपोर्ट सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5-नये महाविद्यालयों को खोलने अथवा सीटें बढ़ाने पर विचार न किये जाने के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि राज्य सरकार प्रदेश में निजी क्षेत्र में नये महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/सस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में अनापत्ति के प्रस्ताव दिनांक 31 जुलाई, 2007 तथा सम्बद्धता के प्रस्ताव दिनांक 31 अगस्त, 2007 तक उपलब्ध कराये जाने के आदेश कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को दिनांक 28 जून, 2007 को दिये गये हैं जिससे कि इस सत्र में नये महाविद्यालयों की स्थापना/संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो और प्रवेश हेतु इच्छुक छात्रों को किसी प्रकार की प्रवेश सम्बन्धी समस्या का सामना न करना पड़े।

6-सांध्यकालीन कक्षाओं की फीस बहुत अधिक होने तथा उनमें अनुभवी शिक्षकों को मौका न देने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण सर्वप्रथम शासनादेश संख्या-1960/सत्तर-2-97-2 (85)/97, दिनांक 11-11-1997 द्वारा किया गया है जिसमें बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम शिक्षण शुल्क रुपया 5000/-प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। इन्हीं दरों को शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 द्वारा यथावत् रखा गया है अर्थात् स्नातक स्तर पर बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 पाठ्यक्रम के लिए शुल्क सीमा रु0 5000/-प्रति छात्र प्रतिवर्ष पूर्ववत् रखे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों से स्ववित्त पोषित सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गयी है।

7-यह सूच्य है कि सांध्यकालीन कक्षाएं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित की जाती हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण वर्ष 1997 में किया गया। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में गुणवत्तायुक्त शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, उनके वेतन निर्धारण एवं अर्हताओं के सम्बन्ध में विस्तृत प्राविधान शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2 (85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 यथासंशोधित द्वारा किये गये हैं जिसमें यह उल्लेख है कि स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अर्हताएं तथा शर्तें

वही होंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित हैं। इस प्रकार स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की अर्हता यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने का प्रश्न नहीं है। दलित छात्रों से फीस वसूली किये जाने की कोई तथ्यात्मक सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

8-प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों एवं स्नातक स्तर पर पठन-पाठन के लिए इच्छुक सभी छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से समस्त अशासकीय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि एवं सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अनुमन्य की गयी है जिससे कि कोई भी इच्छुक छात्र/छात्रा पठन-पाठन की व्यवस्था से वंचित न रहे।]

जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत थाना कोतवाली में धीरज नामक लड़के के अपहरण विषयक मुकदमें में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्य न करके अन्तिम रिपोर्ट लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रश्नगत नोटिस में दी गयी सूचना के सम्बन्ध में...

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददूदू प्रसाद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि वादिनी श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री धर्मेन्द्र डोम निवासिनी मातवरगंज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा न्यायालय में 156 (3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना कोतवाली, आजमगढ़ में दिनांक 14-11-2006 को मु0अ0सं0-1930/06, धारा 364 भा0द0वि0 बनाम (1) राजेश पुत्र जीवन (2) भकोल पुत्र लक्ष्मी (3) लक्ष्मी पुत्र अज्ञात निवासीगण मातवरगंज, थाना कोतवाली, आजमगढ़ पंजीकृत हुआ, जिसमें वादिनी द्वारा अंकित कराया गया है कि उसके पुत्र धीरज उम्र नौ वर्ष दिनांक 02-02-2006 को समय करीब 7.00 बजे रात्रि में बगल में टी0वी0 देख रहा था कि अभियुक्त राजेश आदि गाड़ी में बैठाकर उसका अपहरण कर ले गये। पकड़ कर कहां ले गये और उसका क्या किये, अभी तक स्पष्ट नहीं है। विवेचक द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल के 1-बालछेमी पत्नी पप्पू डोम 2-कलावती पत्नी इन्द्रजीत 3-मुन्ना डोम पुत्र बाबूराम 4-पप्पू लाल 5-उर्मिला पुत्री मुन्ना डोम 6-श्रीमती मीता देवी पत्नी पप्पूलाल 7-श्रीमती सुशीला पत्नी झुम्मन 8-बीरू डोम पुत्र जीवन डोम

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदि के बयान अंकित किये गये, जिन्होंने बताया कि लड़का धीरज गूंगा-बहरा है और मांग कर खाता-पीता है तथा मांगने के लिये दूर-दूर चला ज़ाता है और स्वतः दो-तीन दिन पर वापस आ जाता है। अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही से पाया गया वादिनी का लड़का धीरज प्रायः घर से स्वयं अन्य लड़कों के साथ चला जाता है और स्वयं कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। अपहरण की घटना की पुष्टि नहीं हुई है तथा बगल में दिनांक 02-02-2006 को करीब 7.00 बजे रात में टी0वी0 चलने तथा किसी गाड़ी के जाने की भी पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार अपहरण की घटना की पुष्टि न होने के कारण विवेचक द्वारा दिनांक 15-11-2006 को विवेचना समाप्त की गयी है। फिर भी वादिनी के गुमशुदा लड़के धीरज को तलाश कर बरामद करने हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देश दिये गये हैं तथा बरामदगी के प्रयास जारी हैं।]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में राज आयल एजेन्सी द्वारा कंटेदारों को मिट्टी का तेल न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री प्रमोद तिवारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा ..

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[नियम-51 के अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ के तहसील-लालगंज के अन्तर्गत राज आयल एजेन्सी रामपुर द्वारा विगत 04 वर्षों से मिट्टी तेल नहीं दिये जाने तथा राज आयल एजेन्सी कुख्यात अपराधी एवं हिस्ट्रीशीटर श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री गिरेन्द्र सिंह ग्राम विजईमऊ, थाना-संग्रामगढ़, जनपद-प्रतापगढ़ की है, के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई थी।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अन्तरमण्डलीय प्रवर्तन दल चित्रकूट धाम कैम्प इलाहाबाद से दिनांक 10-7-2007 को कराई गई। जांच हेतु सात टीमें गठित की गईं जिसमें विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, लेखपाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सम्मिलित थे। टीम द्वारा 13 ग्रामों की पड़ताल की गई। भारत पेट्रोलियम द्वारा वर्ष 2002 में श्री प्रशान्त कुमार को किरोसिन का ब्लाक वितरक नियुक्त किया गया था। वर्तमान में इनके द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड, रामपुर-संग्रामगढ़, लालगंज एवं बिहार के फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं को कुल 104 के0एल0 मिट्टी तेल की आपूर्ति की जाती है। इनके द्वारा प्रारम्भ में श्री गिरीश सिंह निवासी-कालाकांकर से साझेदारी की गई थी। बाद

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में एक अन्य प्रभावशाली व्यक्ति श्री प्रदीप सिंह निवासी-विजयीमऊ, प्रतापगढ़ से अनियमितता के उद्देश्य से नई साझेदारी कर ली गई।

जांच में अनियमितता पाई गई कि मिट्टी तेल के अधिकांश फुटकर विक्रेताओं द्वारा ग्रामीणों के मध्य तेल का वितरण नहीं किया गया और वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई।

जांच दल द्वारा की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।]

जनपद सन्त कबीर नगर और गोरखपुर से होकर बहने वाली आमी नदी के जल के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आमी नदी डुमरियागंज तहसील जनपद सिद्धार्थनगर ...

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[में ग्राम-सिकहरा स्थित सिकहरा तालाब से निकलती है तथा जनपद सिद्धार्थनगर, जनपद संतकबीरनगर एवं जनपद-गोरखपुर से बहते हुए जनपद गोरखपुर में कौड़ीराम के पास स्थित ग्राम सोहगौरा के पास राप्ती नदी में मिल जाती है। यह नदी उद्गम स्थान से राप्ती नदी में मिलने के पूर्व लगभग 80 कि0मी0 दूरी तय करती है। आमी नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र होने के कारण सतत् प्रवाही नहीं है। इस नदी के किनारे बसे शहरों के सीवेज एवं औद्योगिक उत्प्रवाह ही उसके प्रमुख जल स्रोत हैं। आमी नदी की मानीटरिंग क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर स्तर से मार्च, 2007 में की गई हैं आमी नदी का जल केवल सिंचाई हेतु संतोषजनक होता है।

जनपद गोरखपुर स्थित गीडा क्षेत्र की प्रमुख प्रदूषणकारी इकाइयों में एक आसवानी इकाई, तथा तीन टैक्सटाइल मिलें हैं। उपरोक्त समस्त इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की व्यवस्था स्थापित है। आसवानी इकाई मेसर्स इण्डिया ग्लाइकोल लि0 में औद्योगिक अल्कोहल 200 कि0ली0/दिन उत्पादन क्षमता पर कार्यरत है तथा उद्योग से जनित अत्यधिक प्रदूषित उत्प्रवाह (स्पेण्टवाश) के शुद्धिकरण हेतु फाइव स्टेज फालिंग फिल्म टाइप इवैपरेटर के माध्यम से स्पेण्टवाश को कंसन्ट्रेट कर, उद्योग में निर्मित पक्के लैगूनों में एकत्रित करके उसे राइस हस्क के साथ मिलाकर ब्वायलर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग हेतु उक्त प्रकार की प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था/उपाय एक नवीनतम् व स्वच्छ तकनीकी पर आधारित व्यवस्था है। उद्योग की नियमित मानीटरिंग व सतत् जांच उ0 प्र0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से की जाती है। दिनांक 25-5-07 को किये गये नवीनतम् निरीक्षण में उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह नमूने की जांच करने पर उसे बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया तथा उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 26-6-07 के द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

गीडा स्थित तीन टैक्सटाइल मिलें मेसर्स लारी टैक्सटाइल डांइग इण्डस्ट्रीज, प्रा0 लि0 मेसर्स बथवाल उद्योग प्रा0लि0, मेसर्स अम्बे प्रोसेसर्स है। इन सभी उद्योगों में कपड़े की रंगाई तथा प्रोसेसिंग की जाती है और उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु इन उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को सुचारु संचालन एवं नियमित रख-रखाव सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर बोर्ड के पत्र दिनांक 7-5-07, 2-6-07 व 26-6-07 के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

गीडा गोरखपुर के अलावा संतकबीरनगर स्थित मेसर्स रायना पेपर बोर्ड मिल इण्डस्ट्रीज लि0 खलीलाबाद जो कि एक पेपर इकाई है का भी उत्प्रवाह आमी नदी में मिलता है। इस उद्योग में मिडिया क्राफ्ट पेपर 50 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है तथा उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है, परन्तु उत्प्रवाह गुणता मानकों से अधिक होने के कारण उद्योग में एग्रो पल्पिंग के बन्दी हेतु निदेश दिनांक 21-3-07 को जारी किया गया है। वर्तमान में उद्योग में लिग्निन रिकवरी प्लान्ट के अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने की सूचना राज्य बोर्ड को दी गई है। इस प्रकार लिग्निन रिकवरी प्लान्ट के सुचारु एवं नियमित संचालन से निश्चित रूप से उद्योग के उत्प्रवाह गुणता में सुधार होगा।

उपरोक्त के अलावा आमी नदी में नगरपालिका परिषद् खलीलाबाद तथा नगर पंचायत मगहर का अशुद्धिकृत मल जल उत्प्रवाह भी मिलता है। इन परिषदों व नगर पंचायतों को भी समुचित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु नोटिस निर्गत किये गये हैं।]

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ कस्बे में प्रशासनिक मण्डी व पुलिस अधिकारियों द्वारा गल्ला व्यवसायी की दुकान को कथित रूप से राजनैतिक दबाववश सील करने के सम्बन्ध में डा0 अनिल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक हाथरस से आख्या प्राप्त की गयी ...

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[प्राप्त आख्यानुसार मा0 सदस्य द्वारा यह कहा जाना कि गल्ला व्यवसायी श्री बुन्दू कुरैशी की दुकान राजनीतिक दबाववश सील की गयी, यह सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि एस0एम0आई0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खाद्य गोदाम, हसायन के विरुद्ध अनियमितताओं की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा दिनांक 25-6-07 को वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारियों की जांच समिति गठित कर आकस्मिक सघन स्थलीय निरीक्षण करवाया गया था। प्रकाश में यह तथ्य आया था कि उक्त खाद्य गोदाम से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न गायब है जिसके बारे में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कस्बा सिकन्दराराऊ के तीन गल्ला व्यवसायियों 1-सर्वश्री मो0 शब्बीर खां पुत्र शमसुउद्दीन 2-बुन्दू कुरेशी पुत्र अलाउद्दीन तथा 3-रामबाबू गुप्ता की दुकान में गायब हुआ गल्ला रखा हुआ है। सर्वप्रथम मो0 शब्बीर खां पुत्र श्री शमसुउद्दीन की दुकान पर की गयी जांच के दौरान लगभग 235 बोरियां (कट्टों) में गेहूं, बाजरा, मूंग, मसूर आदि भरे गये इनमें से 125 से अधिक बोरियों पर उ0 प्र0 सरकार खाद्य विभाग अंकित पाया गया। इस दुकान की हो रही जांच को देखकर अन्य दो दुकानदार श्री बुन्दू कुरैशी व अब्दुल गफ्फार पुत्रगण श्री अलाउद्दीन व राम बाबू गुप्ता अपनी-अपनी दुकानों में ताला लगाकर वहां से गायब हो गये। इन बन्द तालों को उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ के नेतृत्व में यथावत् सील करवा दिया गया। तदुपरान्त अगले दिन दुकानें खुलवा कर जांच किये जाने पर तीनों ही दुकानों में अभिलेखीय स्टाक की तुलना में अधिक खाद्यान्न पाया गया जिस पर करापवंचन निर्धारित कर आरोपित धनराशि की वसूली की गयी थी। इस प्रकार गल्ला व्यवसायी श्री बुन्दू कुरैशी का किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं किया गया है।

2-यह उल्लेख किया जाना पूर्णतः असत्य व निराधार है कि सील की गयी उक्त गल्ला व्यवसायी की दुकान के अन्दर उसका परिवार मौजूद था। गल्ला व्यवसायी श्री बुन्दू कुरैशी द्वारा अपनी दुकान में ताला लगाकर फरार हो जाने के बाद उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ द्वारा लगे तालों को ही यथावत् सील किया गया था जिसकी कार्यवाही के दौरान काफी संख्या में स्थानीय नागरिक व मोहल्ले के लोग मौजूद थे जिसमें श्री बुन्दू कुरैशी के परिचित व्यक्ति भी शामिल थे। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत आवास कई निकटवर्ती आवासों के अन्दर ही अन्दर मिला हुआ है एवं उसमें से बाहर निकलने का रास्ता व जीना भी उपलब्ध है। ऐसी दशा में किसी परिवार का घर में कैद हो जाने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। उक्त सम्पूर्ण प्रशासनिक जांच/कार्यवाही के दौरान विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे जिनके हस्ताक्षर सील सम्बन्धी कार्यवाही की फर्द पर करवाये गये थे। अतः यह कार्यवाही विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक कार्यवाही थी एवं वैधानिक प्राविधानों की परिधि के अन्तर्गत की गयी थी।]

जनपद अलीगढ़ के अलीगढ़ शहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जलभराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जमीरउल्ला खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री हाजी जमीरउल्ला खां, माननीय सदस्य विधान सभा ...

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददू प्रसाद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना दिनांक 03-07-2007 में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलीगढ़ शहर, 357, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत शाहजहमल, भुजपुरा व जीवनगढ़ व जमालपुर में जल भराव का संकट बना रहता है। सड़क न होने के कारण आये दिन सड़कों पर जाम लगा रहता है जिससे क्षेत्रीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नगर निगम द्वारा मेयर एवं नगर आयुक्त, अलीगढ़ शहर वासियों के लिये जन सुविधाओं को सफल कराने में पूरी तरह नाकाम हैं। थोड़ी वर्षा होने पर जल भराव की समस्या, इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की भारी मात्रा में कमी और कुछ खराब पड़े हुए हैं। जिसके कारण जनता को पानी के लिये तरस जाना पड़ता है। इन सबकी जानकारी अधिकारियों को दे दी जाती है। जिसके बावजूद भी कार्य नहीं कराया जाता है। अलीगढ़ जनपद में बिजली की कटौती बहुत बड़े पैमाने में की जाती है। यहां विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ए0एम0यू0 है जिसमें देश-विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। दलित एवं पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बस्तियों में विशेष अभियान चलाकर विद्युत आपूर्ति कराने एवं पानी की सुविधा मुहैया कराने, सड़क, नाली आदि की समस्या बनी हुई है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अलीगढ़ के क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

2-इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम अलीगढ़ जल भराव की समस्या के निदान हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। नगर की भौगोलिक स्थिति कटोरेनुमा होने के कारण नगर में पानी की निकासी का कोई प्राकृतिक साधन नहीं है। सम्पूर्ण नगर की पानी की निकासी पम्पिंग पर ही निर्भर है। नगर के शाहजमाल क्षेत्र में विशेष रूप से जल भराव होता था। इस क्षेत्र की जल भराव की समस्या के निदान हेतु शाहजमाल पोखर, खैर रोड से लेकर, नादा पुल अलीगढ़ ड्रेन तक लगभग ढाई किलोमीटर तक नाले का निर्माण कराया गया है। जिसके कारण इस क्षेत्र में भी जल भराव की समस्या का निदान सम्भव हुआ है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा मेडिकल रोड, जाफरी ड्रेन तक लगभग दो किलोमीटर तक नाले का निर्माण कराया गया है। शाहजमाल तथा भुजपुरा क्षेत्र में 280 हैण्डपम्प तथा जमालपुर में 154 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं। उपरोक्त क्षेत्रों में 434 हैण्डपम्प, 09 नलकूप तथा 3 ओवर हेड टैंक स्थापित हैं। इसके साथ-साथ जमालपुर क्षेत्र में 1 और नलकूप स्वीकृत किया गया है जिसकी स्थापना शीघ्र शुरू हो जायेगी। शाहजमाल क्षेत्र में लोगों द्वारा निचले क्षेत्रों में अविकसित रूप से अनियोजित भवनों का निर्माण कर लिया गया है। निचले क्षेत्रों में बारिश के समय जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। चूंकि इन निचले क्षेत्रों में जल निकासी का कोई प्राकृतिक साधन नहीं है। इसलिये इन क्षेत्रों में पम्पिंग सेट लगाकर जल भराव की समस्या का समय-समय पर निदान किया जाता है। शाहजमाल क्षेत्र की जल निकासी के लिये एक योजना तैयार कर 4 बड़े नालों का निर्माण रु0 140.00 लाख की धनराशि व्यय करके कराया गया है जिससे कि इस क्षेत्र की जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके साथ-साथ शाहजमाल क्षेत्र में शाहजमाल, इस्लाम नगर उबैस नगर, महबूद नगर आदि में रु0 107.32 लाख की धनराशि व्यय करके सड़क, खड़न्जा, नाली आदि के 46 निर्माण कार्य कराये गये हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर करने के लिये नगर निगम द्वारा अब तक रु0 247.32 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। भुजपुरा क्षेत्र का अधिकांश भाग नगर निगम गठन के पश्चात् नगर निगम में शामिल किया गया है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से गांव का क्षेत्र था। यह पूरा क्षेत्र खेतों के रूप में पहचाना जाता रहा है। नगर निगम द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर इस क्षेत्र में सड़क, नालियों, खड़न्जों के 30 निर्माण कार्य कराये गये हैं। जिस पर रु0 85.56 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। इस क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के लिये ट्यूबवेल, हैण्डपम्प स्थापित कराने के साथ-साथ पेयजल की पाइप लाइन डाली गयी है। इस क्षेत्र में जल भराव की कोई समस्या संज्ञान में नहीं आई है। जमालपुर क्षेत्र भी नगर निगम सीमा में गठन के पश्चात् नगर निगम सीमा में आया है। नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र में सड़क, नाला, खड़न्जा आदि के 21 निर्माण कार्य कराये गये जिस पर 28.09 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। इसके साथ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इस क्षेत्र में नलकूपों की स्थापना 154 हैण्डपम्प तथा पेयजल की पाइप लाइन डाली गयी। मा0 विधायक द्वारा जिस क्षेत्र का वर्णन किया गया, यह सभी क्षेत्र अनियोजित बसे हुये हैं। नगर के बड़े नालों एवं सीवर की सफाई का कार्य भी युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। महानगर की भौगोलिक स्थिति एवं जल निकासी का कोई प्राकृतिक साधन न होने के कारण उ0 प्र0 जल निगम निर्माण खण्ड द्वारा अलीगढ़ महानगर की जल निकासी की वृहत् योजना यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 (भारत सरकार) कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित की जा रही है।]

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मोहम्मदी गोला-शाहजहांपुर के अधूरे व जीर्ण-शीर्ण मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई, लोक निर्माण, गन्ना विकास एवं आबकारी मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रश्नगत सूचना के माध्यम से माननीय सदस्य ने अवगत कराया है ...

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत मोहम्मदी-गोला-शाहजहांपुर मार्ग अधूरा एवं जीर्ण-शीर्ण हो गया है जिससे आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है तथा आए दिन कहीं न कहीं कोई घटना होती रहती है। मोहम्मदी-गोला-शाहजहांपुर मार्ग का सुधार व

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शंकरपुर चौराहे से शाहजहांपुर तक मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। मा0 सदस्य ने इसे तात्कालिक एवं लोक महत्व का विषय बताते हुए शीघ्र कार्यवाही कराने की मांग की है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गोला-शाहजहांपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-93) की गोला से शाहजहांपुर तक कुल लम्बाई 58.62 कि0मी0 है। इस मार्ग के चैनेज-00 से 49.00 कि0मी0 तक का भाग जनपद लखीमपुर में एवं कि0मी0 50.00 से 58.62 तक का भाग जनपद शाहजहांपुर में पड़ता है। जनपद लखीमपुर खीरी में पड़ने वाले 49.00 कि0मी0 भाग में से 35 कि0मी0 भाग (कि0मी0-1 से 35 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1403/23-12-2002-03 एन0एच0/2001, दिनांक 06-06-2002 द्वारा रु0 967.84 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष मार्ग के इस भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस भाग में मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 7.00 मी0 तथा राइडिंग सरफेस एस0डी0बी0सी0 का है। मोहम्मदी कस्बा इस मार्ग के कि0मी0 30 में स्थित है। मार्ग के इस भाग में यातायात घनत्व अधिक होने के कारण सरफेस पर क्रैक्स व पैच हो रहे हैं जिनकी मरम्मत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार यथासम्भव की जा रही है।

3-जनपद लखीमपुर में पड़ने वाले 49.00 कि0मी0 भाग में कि0मी0 35 पर शंकरपुर चौराहा स्थित है। शंकरपुर चौराहे से जनपद लखीमपुर की सीमा तक मार्ग की लम्बाई 14.00 कि0मी0 तथा इसकी चौड़ाई 3.70 मीटर है। मार्ग के इस भाग में राइडिंग सरफेस, प्रथम सतह लेपन एवं द्वितीय सतह लेपन का है। इसके आगे शाहजहांपुर तक मार्ग की लम्बाई 9.62 कि0मी0 (कि0मी0 50 से 58.62 तक) है। इसमें से कि0मी0 54.00 से 57.50 कि0मी0 तक का भाग 5.35 मीटर तथा कि0मी0 57.50 से 58.62 कि0मी0 तक का भाग 7.00 मीटर चौड़ाई में लेपित है। मार्ग के कुल अवशेष भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग रु0 12.00 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता होगी जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, सोमवार को 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 50 मिनट पर सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2007 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 13 जुलाई, 2007 ई0

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर।)

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से सम्बन्धित :-

प्रदेश में अतिरिक्त बिजली उत्पादन हेतु नई परियोजनाओं पर निम्नानुसार कार्य किया जा रहा है :-

1- 2x210 मेगावाट पारीछा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना :

इस परियोजना के अन्तर्गत 210 मे0वा0 की दो इकाईयां परीछा में स्थापित की जा रही हैं। पहली इकाई नवम्बर, 2006 में कामर्शियल भार पर आ चुकी है तथा दूसरी इकाई ट्रायल रन पर चल रही है। परियोजना के पूर्ण होने पर 80 प्रतिशत पी0एल0एफ0 के आधार पर 2900 मि0यू0 प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन होगा।

2- 2x250 मेगावाट पारीछा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना :

इस परियोजना की स्थापना हेतु बॉयलर, टरबाइन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्सन, टेस्टिंग, कमिशनिंग तथा सम्बन्धित सिविल कार्यों हेतु मै0 बी0एच0ई0एल0 को आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस परियोजना की पहली एवं दूसरी इकाई जुलाई, 2009 तथा नवम्बर, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

3- 2x250 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना :

इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाइन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्सन, टेस्टिंग, कमिशनिंग तथा सम्बन्धित सिविल कार्यों हेतु मै0 बी0एच0ई0एल0 को आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस परियोजना की पहली एवं दूसरी इकाई अक्टूबर, 2009 तथा फरवरी, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

4- 2x500 मेगावाट अनपरा 'डी' तापीय विद्युत परियोजना :

इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाइन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्सन, टेस्टिंग, कमिशनिंग तथा सम्बन्धित सिविल कार्यों हेतु मै0 बी0एच0ई0एल0 से टेक्निकल आफर प्राप्त हो गये हैं तथा कार्मिशयल आफर शीघ्र अपेक्षित है। मेन प्लान्ट के कायदिश पारित हो जाने पर प्रथम तथा द्वितीय इकाई की कमिशनिंग क्रमशः 40 एवं 46 माह में सम्भावित है।

5- ताप विद्युत गृहों की रिफर्बिशमेंट योजना :

5.1 ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की 5x50 मे0वा0 इकाइयों की रिफर्बिशमेन्ट योजना-इन इकाइयों के चालू होने से 100 मे0वा0 की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त हो सकेगा तथा इन इकाइयों से 70 प्रतिशत औसत पी0एल0एफ0 प्राप्त होने की आशा है। इन इकाइयों के जीवनकाल में 15 वर्ष की वद्धि होने की भी आशा है।

5.2 ओबरा 'ब' ताप विद्युत गृह की 5x200 मे0वा0 इकाइयों की रिफर्बिशमेन्ट योजना-इस योजना के अन्तर्गत ओबरा "बी" तापीय परियोजना की 200 मे0वा0 क्षमता इकाइयों की जीर्ण इकाइयों को रिफर्बिशमेन्ट कार्य मै0बी0एच0ई0एल0 द्वारा किया जा रहा है जिस पर लगभग रु0 1635 करोड़ की लागत सम्भावित है। मै0 बी0एच0ई0एल0 को माह मई, 2006 में इस सम्बन्ध में आशय-पत्र निर्गत कर दिया गया है तथा दिनांक 21-2-2007 को इस कार्य के लिए राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं मै0 बी0एच0ई0एल0 के मध्य अनुबन्ध भी किया जा चुका है। योजना की जीरो डेट 20-6-2006 है। इस योजना का कार्य 20-12-2008 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। योजना पूर्ण होने के पश्चात इस तापीय विद्युत गृह की इकाइयों का औसत पी0एल0एफ0 80 प्रतिशत तक हो जाने की आशा है एवं इकाइयों के जीवन काल में लगभग 15 वर्ष की वृद्धि होने की भी आशा है।

6- ताप विद्युत गृहों की नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना :

6.1 भारत सरकार की ए0पी0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनपरा 'अ' ताप विद्युत गृह की रु0 26.10 करोड़ पनकी ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-3 एवं 4 की रु0 31.43 करोड़ तथा पारीछा ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या 1 एवं 2 की रु0 8.02 करोड़ की पेजर और रु0 32.80 करोड़ की नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना पूर्ण हो गई है तथा अनपरा पनकी एवं पारीछा से प्रस्तावित पी0एल0एफ0 क्रमशः 79 प्रतिशत, 55 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।

6.2 हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या 6 एवं 7 पर ए0जी0 एण्ड एस0पी0 योजना के अन्तर्गत रु0 55.34 करोड़ की लागत वाली नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अन्तर्गत इकाई संख्या-7 (100 मे0वा0) का कार्य पूर्ण कर इकाई चालू कर ली गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इकाइयों से 53 प्रतिशत औसत पी0एल0एफ0 प्राप्त होने की आशा है।

6.3 अनपरा 'अ' ताप विद्युत गृह की 5x210 मे0वा0 इकाइयों हेतु नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना पर लगभग रु0 68.96 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है जिसके दिनांक 30-9-2007 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इसके पूर्ण होने पर इकाइयों का पी0एल0एफ0 79 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

6.4 ओबरा "अ" ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या 6 (100 मे0वा0) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु रु0 52.47 करोड़ लागत की नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन के अन्तर्गत मै0 पी0एफ0सी0 द्वारा रु0 42.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत हो गया है। योजना दिनांक 06-12-2007 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। स्कीम पूर्ण होने पर इकाई का पी0एल0एफ0 35 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत होने की आशा है। योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित

निजी क्षेत्र में लगने वाली विभिन्न प्रमुख परियोजनायें निम्नवत् हैं :-

(अ) तापीय एवं जल विद्युत परियोजनायें

कुल अनुबन्धित क्षमता-2130 मे0वा0

क्र0सं0	परियोजना का नाम	विकासकर्ता का नाम	क्षमता (मे0वा0 में)
1	श्रीनगर जल विद्युत लि0 परियोजना	मेसर्स अलकनन्दा हाइड्रो पावर कं0	330 मे0वा0 (4x82.5 मे0वा)
2	विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना	मेसर्स जय प्रकाश पावर बैन्चर्स लि0	400 मे0वा0 (4x100 मे0वा)
3	रोजा ताप विद्युत परियोजना	मै0 रोजा पावर सप्लाई कं0	600 मे0वा0 (2x300 मे0वा)
4	जवाहर ताप विद्युत परियोजना	मेसर्स जवाहरपुर पावर प्रा0 लि0	800 मे0वा0 (4x400 मे0वा)

(ब) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर ऊर्जा क्रय हेतु निजी क्षेत्र में लगने वाली विभिन्न तापीय परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1	अनपारा सी तापीय विद्युत परियोजना	मै0 लैन्को कोण्डा पल्ली पावर प्राइवेट लि0	1000मे0वा0 (2x500 मे0वा)
2	बारा (इलाहाबाद) तापीय विद्युत परियोजना		1980 मे0वा0 (3x660 मे0वा)
3	करछना (इलाहाबाद) तापीय विद्युत परियोजना		1320 मे0वा0 (2x660 मे0वा)

एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में 1320 मेगावाट क्षमता का तापीय विद्युत गृह जनपद इलाहाबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(स) <u>सह उत्पादन (चीनी मिलों द्वारा उत्पादित विद्युत)</u>

कुल अनुबन्धित क्षमता	(924.66 मे0वा0)
चालू इकाइयां	(427.86 मे0वा0)
निर्माणाधीन इकाइयां	(496.8 मे0वा0)

नत्थी 'ख'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृष्ठ 39 पर।)

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज दिनांक 13 जुलाई, 2007 को जो माननीय मंत्री/सदस्य अपने लिखित भाषण प्रस्तुत किये हैं, वे संलग्न हैं।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री वेदराम भाटी)-

आज औद्योगिक वातावरण और श्रम परिदृश्य में बदलाव आया है फिर भी देश के अन्य प्रदेशों की भांति ही उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास भी मूलतः औद्योगिक शान्ति पर निर्भर है और इस महत्वपूर्ण कार्य को सेवायोजक-श्रमिक प्रतिनिधिगण के बीच संराधन प्रक्रिया अपनाकर सुलझाने/बनाये रखने की विशेषज्ञता प्रादेशित श्रमायुक्त संगठन में सुलभ है। श्रम विभाग प्रयासरत रहा है कि उद्योग और श्रम के बीच पारस्परिक सहयोग एवं तालमेल तथा सामंजस्य की कार्यशैली निरन्तर विकासमान रहे ताकि प्रदेश में आधिकाधिक निवेशोन्मुखी विकास होता रहे। इसी दृष्टि से विभाग के कार्य और छवि में गुणात्मक परिवर्तन आया है और प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति बेहतर हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में आपका ध्यान कुछ नए विभागीय कदमों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

श्रमिकों/श्रम संगठनों द्वारा समय-समय पर अपनी मांगों/समस्याओं से सम्बन्धित मांग-पत्र नियोजकों को दिये जाते हैं। निराकरण न होने की स्थिति में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक अशान्ति की सम्भावना के परिप्रेक्ष्य में त्वरित हस्तक्षेप कर पक्षों के मध्य वार्ता के माध्यम से विवादों का निराकरण कराया जाता है। इससे औद्योगिक अशान्ति का वातावरण समाप्त होता है और अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का निर्माण होता है।

चीनी उद्योग के कर्मकारों के वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए श्रम आयुक्त, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में गठित त्रि-पक्षीय समिति के निष्कर्षों के आधार पर उक्त उद्योगों के कर्मचारियों के लिए वेतन के पुनरीक्षण और भत्तों का निर्धारण 30 सितम्बर, 2008 तक लागू रहेगा। यह पुनरीक्षित मजदूरी की दर देश में अधिकतम है, जिससे लगभग एक लाख श्रमिक लाभान्वित हुए हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनश्चित कराने हेतु कड़े निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं। कृषि एवं अनुषांगिक प्रक्रियाओं के नियोजन जिसमें भूमि को जोतना और बोना, किसी सम्पूर्ण कृषि वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना कृषि उपज को मण्डी के लिए तैयार करना और भण्डार या मण्डी में देना या मण्डी तक परिवहन के लिए पहुंचाने का कार्य और सभी आकार के फार्मों में, जिनमें म्यूनिसिपल एवं कैन्टूनमेन्ट की सीमाओं के 06 किलोमीटर के भी स्थित फार्म भी सम्मिलित हैं, में मसरूम की खेती सहित कृषि कार्य के आनुषांगिक रूप में या उसके साथ-साथ की जाने वाली समेष्ट क्रियाऐं, वन सम्बन्धी या काष्ठ उपकरण सम्बन्धी क्रिया, जो किसी कृषक द्वारा या कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य के आनुषांगिक रूप में या उसके साथ-साथ की जाती है तथा दुग्ध उद्योग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और उनकी आनुषांगिक क्रियाऐं सम्मिलित हैं, में न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कर उक्त नियोजन में कार्यरत

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर रु0 100 प्रतिदिन अथवा रु0 2600 प्रतिमास कर दी गयी है।

1,36,04,812 खेतीहर मजदूर एक करोड़ छत्तीस लाख चार हजार आठ सौ बारह लोग।

प्रदेश में कुल 65 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बीड़ी के उद्योग में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-3 (बी) के तहत वेतन पुनरीक्षण किया जा चुका हैं कृषि के नियोजन में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को पुनरीक्षण कर रु0 100 प्रतिदिन किया जा चुका है। चाय बागान के नियोजन में कोई भी प्रतिष्ठान न होने के कारण वेतन पुनरीक्षण नहीं किया जाना है एवं कांच की चूड़ी, ईंट-भट्ठा व कालीन उद्योग में मात्रानुपाती दर कार्यरत श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण पर विचार करने हेतु श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

प्रदेश में स्थित दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों तथा कारखानों के पंजीयन और लाइसेन्सों के नवीनीकरण हेतु चलाये गये अभियानों के दौरान जिस दौरान व्यापार मण्डलों व औद्योगिक संगठनों से समन्वय कर पारस्परिक सुविधानुसार शिविर आयोजित किये जाते हैं, जहां श्रम विभाग के अधिकारी मौके पर पंजीयन/नवीनीकरण करते हैं। व्यापारियों और दुकान-वाणिज्य अधिष्ठानों कार्य करने वाले कर्मियों के लिए अब मेसर्स आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के सहयोग से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 31-08-2008 तक चलायी जा रही है। बीमा योजना में 15 से 70 वर्ष की आयु के श्रमिकों एवं सेवायोजकों को रुपया 200 प्रीमियम पर पांच वर्ष के लिए रु0 2 लाख का दुर्घटना बीमा किया जाता है।

भारतीय ब्वायलर अधिनियम, विनियम व अन्य नियमावलियों का प्रदेश में भली-भांति संचालन किया गया है। फलस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या नगण्य रही है। वर्ष 2006-07 में कुल 2443 ब्वायलर्स एवं 275 इकोनोमाइजर्स कार्यरत थे, इसी अवधि में 2051 ब्वायलर्स एवं 119 इकोनोमाइजर्स का निरीक्षण हुआ व कुल 133 ब्वायलर्स एवं 03 इकोनोमाइजर्स का पंजीयन किया गया। अर्जित राजस्व रुपया 130.92 लाख रहा।

बाल श्रम समस्या के कारणों में गरीबी मुख्य कारण है। आर्थिक रूप से विपन्न कुछ परिवारों में परिवार के मुखिया के असाध्य बीमारी से पीड़ित होने/शारीरिक विकलांगता आदि कारणों से ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए कार्य करना मजबूरी हो जाती है। ऐसे परिवारों की दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के 10 बाल श्रम बाहुल्य जनपदों में ऐसे परिवारों के कार्य करने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनके लिए निरन्तर पढ़ायी की अनिवार्य शर्त रखते हुए रु0 40,000 तक आर्थिक सहायता कक्षा-5 उत्तीर्ण होने तक तथा रु0 100 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु कन्डीशनल कैश-ट्रांसफर स्कीम का प्रस्ताव किया गया है ताकि बच्चों को मजबूरीवश कार्य करने के लिए बाध्य न होना पड़े। इस स्कीम के अन्तर्गत 11-वीं पंचवर्षीय योजना में 260 बाल श्रमिकों को चिन्हांकित कर उन्हें लाभान्वित करने के लक्ष्य के सापेक्ष्य रु0 120 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए रु0 7.40 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

प्रदेश के 38 जनपदों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा 05 जनपदों में इण्डस बाल श्रम परियोजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत 9-13 आयुवर्ग के बाल श्रमिकों के लिए 1895 विशेष बाल श्रमिक विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 94338 है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में इन विद्यालयों के माध्यम से 8246 बच्चों को कक्षा-5 उत्तीर्ण/शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है।

प्रदेश के कई जनपदों, जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना/इण्डस बाल श्रम परियोजना संचालित नहीं हैं, उनमें से 23 जनपदों में बाल श्रम समस्या के उन्मूलन हेतु बाल श्रमिकों का गहन सर्वेक्षण कराये जाने का लक्ष्य है। चिन्हित बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश कराकर नियमानुसार पुनर्वासित कराया जाएगा। बाल श्रमिकों के चिन्हांकन के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में रु0 59.50 लाख परिव्यय निर्धारित किया गया है। जिसमें वर्ष 2007-08 में 4-5 जनपदों में बाल श्रमिकों का चिन्हांकन कराने हेतु रु0 11.90 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

वर्ष 2006-07 में प्रदेश में 329 बन्धुआ श्रमिक चिन्हांकित किये गये जिनमें से 155 बन्धुआ श्रमिक अन्य राज्यों के थे और 182 बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वासन प्रदेश में कराया जाना था। विगत वर्षों के पुनर्वासन हेतु अवशेष 51 बन्धुआ श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल 233 बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वासन कराया जाना था जिनमें से 143 बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वासन करा दिया गया है, शेष बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में कराया जाना है।

शासन में प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों के लिए दि बिल्डिंग एण्ड अदर कान्सट्रक्शन वर्कर्स एक्ट-1996 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त का विनियमन) नियमावली-2007 विचाराधीन है। इस नियमावली में किये गये अनेक कल्याणकारी प्राविधानों से उत्तर प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में लगे सभी श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रदेश शासन द्वारा उक्त अधिनियम के प्रवर्तन हेतु शासकीय अधिसूचनाएं निर्गत करते हुए 'निरीक्षक' पंजीयन अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उ0प्र0 में क0रा0बी0 अधिनियम, 1948 के अधीन विद्युत चालित प्रतिष्ठानों में कम से कम 10 तथा गैर-विद्युत चालित संस्थानों में कम से कम 20 कर्मचारी कार्य करने वाले कारखानों में उन कामगारों पर लागू है, जिनकी मासिक वेतन सीमा रु0 10000.00 तक है। यह योजना मुख्यतः कामगारों व सेवा-योजकों के अंशदान पर निर्भर है। योजना से आच्छादित श्रमिकों के वेतन से 1.75 प्रतिशत तथा सेवायोजकों से कामगारों के वेतन का 4.75 प्रतिशत अंशदान वसूली कर कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के खाते में जमा किया जाता है। योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले छः हितलाभों चिकित्सा हितलाभ, बीमारी हितलाभ, प्रसूति हितलाभ, अपंगता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ तथा अंतिम संस्कार हितलाभ में से चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने का दायित्व उ0प्र0 सरकार का है। राज्य सरकार इसे श्रम विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराती हैं।

वर्तमान में यह सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन संचालित 124 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय तथा 15 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों द्वारा 546000 बीमांकितों एवं उनके परिवारजनों को प्राप्त करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में 482050 बीमांकितों एवं उनके परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। चिकित्सा हितलाभ पर हुये व्यय का कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत 7/8 भाग कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिपूर्ति की जाती है। शेष 1/8 भाग या निर्धारित सीमा से अधिक हुये व्यय का वहन राज्य सरकार को करना होता है। वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रति बीमांकित प्रतिवर्ष रु0 900.00 की सीलिंग व्यय के लिये निश्चित की गयी हैं।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये कर्मचारी राज्य बीमा योजना में आयोजनागत पक्ष में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पाण्डुनगर, कानपुर के लिये नेत्र तथा नाक, कान, गला विभाग के सुदृढ़ीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

प्रदेश के औद्योगिक विकास के अनुरूप कुशल शिल्पकारों की पूर्ति करने तथा युवक-युवतियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा 258 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। जिसमें 55 विभिन्न व्यवसायों में 51000 सीटों पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इन संस्थानों में स्पेशल कम्पोनेन्ट्स प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित 14 संस्थान सम्मिलित हैं। इन 14 विशिष्ट संस्थानों में 70 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित हैं तथा 15 प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्ग तथा शेष 15 प्रतिशत सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाते हैं तथा वर्ष 2006-07 में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत खोले गये 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 60 प्रतिशत सीटे अनुसूचित जाति एवं 20 प्रतिशत सीटें पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित हैं।

प्रदेश में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को रोजगार बाजार की मांग के अनुरूप करने हेतु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कदम उठाये गये हैं।

उद्योगों एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय एवं सहभागिता स्थापित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 27 संस्थानों में इन्स्टीट्यूट मैनेजमेन्ट कमेटी गठित करके प्रशिक्षण को और लाभकारी बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में 500 आई0टी0आई0 के उच्चीकरण का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। इसमें प्रथम चरण में प्रदेश के 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा-बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, नोयडा, मेरठ, बहराइच, इलाहाबाद एवं गाजीपुर को "सेन्टर आफ एक्सीलेन्स" के रूप में विकसित कर योजना चलायी जा रही हैं द्वितीय चरण में 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा अलीगढ़, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, इटावा, झांसी, लखीमपुर खीरी एवं मिर्जापुर में वर्ष 2006-07 में चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। तृतीय चरण हेतु 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा मुरादाबाद, रामपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी एवं रायबरेली में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजना चलाये जाने पर विचार किया जा रहा है।

वर्ष 2007-08 के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं :-

1-सी0ओ0ई0 के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित करने हेतु सिविल कार्य, साज-सज्जा/मशीनें एवं आय-व्यय की आपूर्ति की व्यवस्था किया जाना।

2-वर्ष 2006-07 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में खोले गये 25 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत पदों के लिये आवर्तक व्यय की व्यवस्था कराया जाना।

3-वर्ष 2006-07 में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत खोले गये 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत पदों के लिये आवर्तक व्यय की व्यवस्था कराया जाना।

4-एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत 04 अल्प अवधि के व्यवसाय में स्वीकृत पदों का आवर्तक व्यय की व्यवस्था कराया जाना।

5-37 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में खोले गये व्यवसायों (20 संस्थानों में हेयर एवं स्किन केयर व्यवसाय तथा 17 संस्थानों में फैशन टेक्नालोजी व्यवसाय) के स्वीकृत पदों के लिये आवर्तक व्यय की व्यवस्था कराया जाना।

6-प्रदेश में चल रहे भवनों का निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि की व्यवस्था कराया जाना।

7-जहां भूमि उपलब्ध हो गयी है वहां के भवन निर्माण कराया जाना।

8-प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में साज-सज्जा की कमी की आपूर्ति हेतु व्यवस्था कराया जाना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सेवायोजन

सेवायोजन कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य नियोजकों एवं रोजगार के इच्छुकों के मध्य सम्पर्क स्थापित करा कर रोजगार सहायता उपलब्ध कराना है। बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता उपलब्ध कराने, व्यवसाय मार्ग निर्देशन के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने, स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करने तथा रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों की सूचना के एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार हेतु वर्तमान में जनपद स्तर पर 58 सेवायोजन कार्यालय हैं, जिनमें क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन कार्यालय हैं इसके अतिरिक्त 13 विश्वविद्यालयों में सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, निदेशालय में 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय तथा क्षेत्र में शारीरिक अक्षमता से ग्रसित बेरोजगारों को लाभ प्रदान किये जाने हेतु 16 विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विकलांग बेरोजगारों को विशेष रूप से सेवायोजन सहायता, व्यवसाय मार्ग निर्देशन, स्वतः नियोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। समाज के निर्बल वर्ग यथा-अनुसूचित जाति, जन-जाति, पिछड़ी जाति के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं।

सेवायोजन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त इन्हें इण्टरनेट के माध्यम से एक साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे एक स्थान पर उपलब्ध रोजगार के अवसर को पूरे प्रदेश के बेरोजगारों की जानकारी में लाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त रोजगार बाजार के आंकड़ों तथा व्यवसायिक साहित्यों को कम समय में अद्यतन कर बेरोजगारों के लाभार्थ उपलब्ध कराया जाएगा। व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय स्तर तथा प्रदेश स्तर पर रोजगार साहित्य बेरोजगारों के लाभार्थ प्रकाशित कराया जायेगा। निजी क्षेत्र में भी सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रांगण चयन की भी व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी।

यह देखते हुए कि सवेतन रोजगार के अवसर निरन्तर कम होते जा रहे हैं। सेवायोजन कार्यालय बेरोजगारों को स्वतः रोजगार के लिये उत्प्रेरित करते हुए सम्बन्धित संस्थाओं/एजेन्सी के ऋण प्राप्त करने हेतु उनके प्रार्थना पत्र ऋण स्वीकृत हेतु प्रेषित करते हैं। माह की 15 तारीख को प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में रोजगार दिवस मनाये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस अवसर पर व्यवसाय विशेषज्ञों को बुलाकर उनकी वार्तायें भी कराया जाता है और बेरोजगारों का स्वतः रोजगार के लिये उत्प्रेरित किया जाता है तथा इच्छुक अभ्यर्थियों का स्वतः रोजगार हेतु चयन कराया जायेगा।

वैश्वीकरण के वर्तमान परिदृश्य में रोजगार की प्रकृति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, रोजगार के इस परिवर्तनशील परिदृश्य में यह आवश्यक है कि बेरोजगारों को रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार अवसरों की जानकारी प्राप्त करायी जाये तथा साथ ही साथ उन्हें इसकी भी जानकारी उपलब्ध करायी जाये कि वे किस प्रकार की शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त कर सवयं को उक्त रोजगार के प्रति उपयुक्त बना सकें।

वार्षिक योजना 2007-08

वित्तीय वर्ष 2007-08 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत सेवायोजन प्रखण्ड की योजनाओं हेतु रु0 100.00 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया है। जिसमें स्पे0 कम्पो0 प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान सम्मिलित कर उपरोक्त के सापेक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित योजना प्रस्तावित हैं :-

1-स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मथुरा तथा ललितपुर जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के भवनों का निर्माण।

2-लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा तथा कानपुर जनपदों के सेवायोजन कार्यालयों की नेटवर्किंग।

3-कानपुर देहात फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, महोबा एवं अम्बेदकर नगर में शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना।

4-बेरोजगारों हेतु नव सृजित जनपदों यथा-चित्रकूट, चंदौली, संतकबीर नगर, श्रावस्ती एवं ज्योतिबाफूले नगर में जिला पंजीयन केन्द्रों की स्थापना।

मैंने अत्यन्त संक्षिप्त रूप से श्रमिक वर्ग की आशाओं/आकांक्षाओं से जुड़े श्रम विभाग व उसके अधीन संगठनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है, आपने मुझे ध्यान पूर्वक सुना जिसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। आपके माध्यम से मैं सभी सदस्यगणों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे और उसके बाद श्रम विभाग की अनुदान संख्या-76 व 77 की अनुदान मांगों पर अपनी अनुज्ञा प्रदान करेंगे, ताकि श्रम विभाग की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को वर्ष 2007-08 में क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

धन्यवाद !

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददद् प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्मानित सदन में बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूं नेता सदन, इस महान प्रदेश की महान मुख्य मंत्री बहिन कुमारी मायावती जी का जिन्होंने गांव और गरीब के हितों के लिए महत्वपूर्ण ग्राम्य विकास विभाग के बजट को गांव और गरीब मजदूर के बेटे, बंधुवा मजदूर के बेटे मुझ अकिंचन को इस लायक बनाया कि मैं बजट प्रस्तुत कर सकूं। करुणामयी बहिन जी की छत्र-छाया में आज गांव का गरीब अपने को सुरक्षित व गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहिन जी के नेतृत्व में उसका न केवल विकास होगा, उसकी गरीबी दूर होगी बल्कि उसे स्वाभिमान के साथ इंसानियत की जिन्दगी जीने का हक मिलेगा। बहिन जी के नेतृत्व में यह सरकार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर कर बनी है। माननीय अध्यक्ष जी आज पूरे उत्तर प्रदेश में 97,942 गांव, 52,002 ग्राम सभायें हैं एवं 820 विकास खण्ड हैं। इनमें 13 करोड़ 16 लाख जनता निवास करती है। इस ग्रामीण जनता के उत्थान,

विकास, रोजगार तथा कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग सतत् प्रयत्नशील है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2006-07 में ग्राम्य विकास विभाग का कुल पुनरीक्षित बजट 2561.62 करोड़ रुपये का था। वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल बजट अनुमान 2407.80 करोड़ रुपये का है जो कि विगत वर्ष से 153.82 करोड़ रुपये कम है। कमी का मुख्य कारण यह है कि विगत वर्ष में भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' संचालित थी, जो इस वर्ष बन्द कर दी गयी है। इस योजना के बन्द होने से 315 करोड़ रुपये की कमी आयी है। इसी प्रकार इस वर्ष 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना' में 17 जिले और चयनित किये गये हैं। फलस्वरूप इन 17 जिलों में 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' का 85 करोड़ रुपये कम हो गया। इसी प्रकार विगत वर्ष एस0सी0पी0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवास योजना का 300 करोड़ रुपया पूर्ववर्ती सरकार ने खर्च नहीं किया। इसलिए नियोजन विभाग ने इस वर्ष इस योजना में मात्र 200 करोड़ रु0 प्राविधानित किये हैं। 100 करोड़ की कमी की है परन्तु खुशी की बात है कि हमने 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना' में 17 जिले और चयनित करवाकर विगत वर्ष में 130 करोड़ रुपये के सापेक्ष इस वर्ष 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है अर्थात् रु0 70.00 करोड़ अधिक प्राविधानित है।

मान्यवर, विगत वर्ष कल्याणकारी सेक्टर में पूर्व सरकार की अकर्मण्यता के कारण कम खर्च होने से कुल 153.82 करोड़ की कमी है जिसे हम आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक अनुदान के माध्यम से बढ़ायेंगे।

मान्यवर, विगत 60 वर्षों में रोजगार की कमी, सामाजिक अवमानना तथा जुल्म ज्यादती का शिकार होकर बड़ी संख्या में लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन हुआ है। इस अनियोजित और अप्रत्याशित पलायन से शहर अव्यवस्थित हो गये हैं। ऐसे पलायन किये हुए दुःखी, पीड़ित लोग शहरों में आकर भी नालों के किनारे, रेल की पटरी के किनारे यहां-वहां जहां कहीं जगह देखी झुग्गी-झोपड़ी बनाकर नारकीय जीवन जीते हैं अर्थात् शहर आकर भी दुःख दूर नहीं हुआ है। गांवों से शहरों की ओर के इस अनियोजित पलायन को हमारी सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है। इसलिए गांवों में न केवल श्रम आधारित रोजगार बल्कि व्यवसाय आधारित रोजगार के अधिक से अधिक अवसर भी सृजित करना ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अवस्थापना सुविधायें विकसित करना तथा कल्याणकारी योजनायें चलाना ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रमों में है। गांवों से पलायन को रोकना हमारा लक्ष्य है।

मान्यवर, श्रमपरक रोजगार सृजित करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में दो योजनायें संचालित हैं। 39 जिलों में रोजगार गारण्टी योजना तथा 31 जिलों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संचालित की जा रही है। पहले मैं 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना' के बारे में बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के 39 जिलों में जिसमें बुन्देलखण्ड के सभी जिले तथा लखनऊ, फैजाबाद, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर व इलाहाबाद को छोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह योजना चलायी जा

रही है। योजना में 90 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार तथा 10 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार व्यय करती है। प्रत्येक परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारन्टी दी गयी है। धन की कोई कमी नहीं है चूंकि धन मांग पर आधारित है इसलिए जितना धन खर्च किया जाता है, भारत सरकार से उतना धन आ जाता है।

सर्वजन समाज की मसीहा बहिन कुमारी मायावती जी ने सरकार बनते ही 58 रुपये मजदूरी की दर को बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। इस योजना की विशेषता यही है कि मजदूर के मांग करने पर यदि 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो सरकार उसको बेरोजगार भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता एक माह तक 20 रुपये प्रतिदिन तथा अगले महीने 40 रुपये प्रतिदिन की दर से देय होगा। विगत वर्ष सरकार के उदासीन रवैये के कारण मात्र 830 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया। कुल 26 लाख परिवार लाभान्वित हुए तथा 792.28 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी। चालू वित्तीय वर्ष में हम 2000 लाख मानव दिवसों का सृजन करेंगे। अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया है। 8 जुलाई को **'रोजगार गारन्टी दिवस'** मनाया गया है। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कार्यवाहियां की गयी है। इस वर्ष हम राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करेंगे।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-

यह भी रोजगारपरक योजना है जो भारत सरकार से 75:25 के अनुपात में संचालित है। इस योजना में खाद्यान्न, गेहूं और चावल का वितरण भी किया जाता है। इस योजना के माध्यम से 600 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना-

यह योजना भारत सरकार के 75 प्रतिशत सहयोग से तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। कुल उपलब्ध धनराशि से 60 प्रतिशत अनुदान, 20 प्रतिशत अवस्थापना, 10 प्रतिशत प्रशिक्षण एवं 10 प्रतिशत रिवाल्विंग फण्ड पर व्यय किया जाता है। इस योजना से मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग ही लाभान्वित होते हैं। लाभार्थियों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 40 प्रतिशत महिलायें तथा 03 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों हेतु कोटा निर्धारित है। इस योजना में विगत वर्ष 308.17 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध थी परन्तु पूर्व सरकार की उदासीनता के कारण मात्र 261.42 करोड़ रुपये ही व्यय किये जा सके। रु0 2.57 लाख स्वरोजगारी लाभान्वित हुए। वर्ष 2007-08 में रु0 410 करोड़ का अनुदान तथा रु0 676 करोड़ का ऋण प्राविधानित है जिसमें राज्यांश रु0 96.25 करोड़ होगा तथा 2.87 लाख लोगों को स्वरोजगारी बनाया जायेगा।

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना :-

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के नारे को चरितार्थ करते हुए केवल उत्तर प्रदेश सरकार के अपने संसाधनों से सभी जाति, वर्ग के व सभी आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2006-07 में रु0 20 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना :-

इस केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 तक एक हजार से ऊपर तक की आबादी के सभी गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। 40 जनपदों में लोक निर्माण विभाग व 30 जनपदों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। योजनारम्भ से रु0 2266.69 क़रोड़ का व्यय करके 16474 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराकर 7634 बस्तियों को जोड़ा गया है। 2007-08 में रु0 1675 करोड़ व्यय करके 3795 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराकर 2301 बस्तियों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि :-

माननीय बहिन जी ने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि रु0 1.00 करोड़ से बढ़ाकर रु0 1.25 करोड़ कर दिया है। इस वर्ष इस मद में रु0 630 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अभी तक रु0 33.00 लाख प्रति विधान क्षेत्र निर्गत किया जा चुका है।

<u>आदर्श जलाशय योजना :-</u>

भू-जल के गिरते हुए स्तर को रिचार्ज करने हेतु वर्ष 2006-07 से यह योजना प्रारम्भ की गई है। गत वर्ष इस योजना में रु0 75.00 करोड़ का प्राविधान रखा गया था जिसमें से रु0 34.46 करोड़ व्यय करके 1829 तालाबों का निर्माण कराया गया। तालाबों के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आयी हैं जिसकी जांच करवा रहा हूं। वर्ष 2007-08 में रु0 50.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस वर्ष 17 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू होने से इस मद में बजट कम हो गया है।

इन्दिरा आवास योजना :-

दुःखद है कि आजादी के 60 वर्ष पश्चात् भी लाखों परिवार आवास विहीन हैं तथा घास-फूस की मड़ई में अथवा कच्चे मकानों में निवास करते हैं। वर्ष 1995 में बहिन कु0 मायावती जी ने इस योजना को भ्रष्टाचार के दलदल से निकालने के लिए निर्माण कार्य लाभार्थी के हाथ में दिया और एकाउन्टपेयी चेक द्वारा भुगतान सुनिश्चित कराया। परन्तु अभी भी इस योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती हैं। वर्ष 2003 में बहिन जी के शासन के दौरान स्थाई पात्रता सूची तैयार की गई है। यह योजना मूलरूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए है। बी0पी0एल0 सूची में भी शिकायतें हैं। गरीबों की मसीहा बहिन जी इस सूची को पारदर्शी निष्पक्ष तथा निर्विवादित बनाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। कोशिश की जायेगी कि सभी गरीबों को बी0पी0एल0 सूची में पूरी पारदर्शिता के साथ शामिल कर लिया जाये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार इन्दिरा आवासों के आवंटन व निर्माण में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रति कृत संकल्पित है। सरकारी कर्मचारी लाभार्थी को भयभीत करता है कि "आप हमें पांच हजार रुपया दो नहीं तो 50 प्रतिशत की अगली किश्त नहीं देंगे"। इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है कि दूसरी किश्त की धनराशि को न्यून बनाया जावे। पथरीले धरातल वाले जो विकास खण्ड हैं, जहां पर पक्का मकान बनाना कठिन व मंहगा है वहां पर

इन्दिरा आवास के निर्माण हेतु रु0 27,500 दिये जायेंगे। वर्ष 2007-08 में रु0 636.87 के परिव्यय का लक्ष्य निर्धारित है जिससे 2,54,750 आवास निर्मित होंगे।

अनुसूचित जाति-जनजाति आवास योजना :-

मान्यवर, विगत वर्ष एस0सी0पी0 योजना का 300 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति-जनजाति आवास योजना के लिए निर्धारित की गई थी। परन्तु विगत सरकार नहीं चाहती थी कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को मड़ई की जगह पक्के मकान मिले। इसलिए पूरी धनराशि ज्यों कि त्यों रखी रह गई। यह दलित विरोधी लोगों ने एक भी आवास नहीं बनने दिये पैसा सड़ गया। सड़ कर अगले वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपया रह गया। इससे समाजवादी पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता उजागर होती है।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम अचल राजभर)-

1-आज परिवहन जैसे जन सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मैंने अपने सूक्ष्म समय की जिम्मेदारी के सापेक्ष विभाग में गुणवत्ता लाने हेतु प्रयास किया है, जिसके सापेक्ष यह भी कहना महत्वपूर्ण होगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सत्ता की बागडोर संभालते ही सरकार ने आम जनता से सम्बन्धित सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं इन सेवाओं को गरीब जनता के लिये सुलभ बनाने का संकल्प लिया है। मूलभूत सेवाओं का लाभ जन सामान्य और विशेष रूप से गरीब, श्रमिक एवं छात्रों तक पहुंचाने के लिये सरकार कृत संकल्प है तथा इस दिशा में परिवहन व्यवस्था की एक महत्पूर्ण प्राथमिकता है।

2-वित्तीय वर्ष 2006-2007 हेतु राजस्व वसूली प्राप्ति का कुल वार्षिक रु0 1450 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2007 तक रु0 1130.44 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति की गई जो लक्ष्य के सापेक्ष 77.96 प्रतिशत है। वर्ष 2007-08 हेतु रु0 1533 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जैसाकि मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उल्लिखित किया है।

3-मा0 मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण करते ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य के बीच प्रतिदिन 3 लाख से अधिक आने जाने वाले यात्रियों की दर्द एवं पीड़ा का एहसास करते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मध्य बसों के संचालन में एक लम्बे समय से चले आ रहे अवरोध को समाप्त करने के निर्देश दिये। इस आदेश के क्रम में दिल्ली राज्य के मा0 परिवहन मंत्री जी के साथ सहमति बनाकर दोनों राज्यों के मध्य परिवहन सेवायें शुरू की गयीं और इसकी व्यापक प्रशंसा हुई। दिल्ली की भांति अन्य सीमावर्ती राज्यों से भी परिवहन समझौते को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया ताकि सीमावर्ती राज्यों से आवागमन स्थाई रूप से सुचारु एवं सुगम हो सके। मैंने उत्तराखण्ड के मा0 परिवहन मंत्री जी से वार्ता की है तथा समझौता अन्तिम चरण में है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त के साथ वार्ता कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर लिया गया है।

4-हमारी सरकार प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन बनाने तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को देश का सर्वश्रेष्ठ परिवहन निगम के रूप में विकसित एवं

स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह सिर्फ नारा नहीं है बल्कि हम इसे कर दिखायेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार सारे विकल्प देख रही है। पुरानी व्यवस्था में व्यापक तथा मूल सुधार की आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत हमने प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के सभी पहलुओं का अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। अध्ययन के दायरे में परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निजी पूंजी निवेश की संभावनायें भी तलाशी जाएंगी। हमारा उद्देश्य एक ऐसी परिवहन व्यवस्था विकसित करने का है जिसमें न कि केवल सस्ती, सुगम यात्रा सम्भव हो सके, बल्कि यात्रा सुखमय और आनन्ददायी भी रहे।

5-सरकार प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं जनसामान्य को अवरोध रहित सेवा प्रदान करने के प्रति कटिबद्ध है। इस कड़ी में एक क्रान्तिकारी तथा जनोपयोगी निर्णय लेते हुए **"आओ ले जाओ परिमट"** योजना लागू की गयी है। अभी तक परमिट सामान्यतः राज्य परिवहन प्राधिकरण और संभागीय परिवहन प्राधिकरणों की बैठकों में स्वीकृत होते रहे हैं। प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों के अन्य व्यस्तताओं के कारण यह बैठकें कई बार अल्प अंतराल पर नहीं हो पाती थीं और परमिट प्राप्त करने हेतु मोटर व्यवसायी को महीनों दौड़ना पड़ता था। **"आओ ले जाओ परिमट"** योजना में अब यह समस्यायें दूर हो गयी हैं और परमिट जारी करने का अधिकार संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रतिनिधानित किया गया है। वाहन की पंजीयन पुस्तिका, फिटनेस प्रमाण-पत्र तथा कर जमा करने का प्रमाण-पत्र, बीमा, निर्धारित शुल्क तथा समय सारिणी के साथ अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट प्राप्त करने हेतु अब सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर उसी दिन सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा तत्काल परमिट जारी कर दिया जाएगा। किसी अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर परमिट की संख्या में कोई सीमा नहीं होगी।

6-सुधार के लिये मैंने 3 चरणों में परिवहन विभाग के समस्त अधिकारियों से वार्ता की, परिवहन निगम की समस्त पंजीकृत यूनियन के साथ बैठक की तथा पहली बार उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के ट्रांसपोटर्स से एक व्यापक विचार-विमर्श हेतु परिवहन विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। समस्त प्राप्त सुझावों को परीक्षित किया जा रहा है और जो व्यापक परिवर्तन हम लायेंगे उसमें यह सब सुझाव परिलक्षित होंगे। अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के सिलसिले में माह मई और जून में कार्य की गति में तीव्रता आई और मई तथा जून, 2007 के कार्यकाल में गत वर्ष के सापेक्ष इसी अवधि की तुलना में रु0 938.12 लाख अधिक राजस्व अर्जित किया गया। उक्त एकत्र राजस्व रु0 15918.28 लाख है तथा पिछले 03 वर्षों के मई, जून महीनों में सर्वाधिक है।

7-परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन की कई सम्भावनाएं हैं। रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने, ग्रामीण अंचलों के नये मार्गों को जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से जोड़कर जन सामान्य को पर्याप्त एवं सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तर्क संगत योजना बनाई जायेगी।

8-विभाग द्वारा चालन लाइसेन्स तथा वाहन पंजीयन निर्गत करने की व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करने पर विचार किया जा रहा है और नियमों के सरलीकरण के साथ संभागीय परिवहन अधिकारी

तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों में जनता की सुविधा के लिये निर्धारित प्रपत्रों एवं आवश्यक अभिलेखों का सरलीकरण किया जायेगा ताकि जनता को कार्य कराने में कठिनाई न हो। परिवहन विभाग के आधुनिकीकरण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है ताकि जनसामान्य के परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों में सुगमता हो सके। वर्तमान में परिवहन विभाग के 39 कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2007-08 में शेष सभी कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने की योजना है।

9-प्रदेश में परिक्षेत्रीय स्तर पर विश्वस्तरीय मोटर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना भी प्रस्तावित है जिससे कि सड़कों पर वाहन का सुरक्षित चालन एवं सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

10-मा0 अध्यक्ष जी ट्रकों में ओवरलोडिंग की एक ऐसी समस्या है जिसके विषय में ट्रांसपोर्टर संगठनों ने मुझसे खुले आम अनुरोध किया है कि विभाग सख्ती से रोक लगाये और आवश्यकतानुसार सामान भी जब्त करे। माल वाहनों के ओवरलोडिंग करने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त तो होती है साथ ही साथ वाहन पर चालक का नियंत्रण भी पर्याप्त नहीं होता। मोटर वाहन कानून में ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त प्राविधान किये गये हैं जिसमें भारी जुर्माना लगाये जाने के साथ क्षमता से अधिक माल उतारे जाने की भी व्यवस्था की गई है परन्तु ट्रकों में हो रही ओवरलोडिंग पर अभी भी अंकुश नहीं लग पाया है। अतः प्रभावी प्रर्वतन द्वारा ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शीघ्र ही ट्रकों में ओवरलोडिंग के विरुद्ध एक सुनियोजित एवं प्रभावी वृहद अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान आर्थिक दण्ड और माल उतरवाने के अतिरिक्त अब ओवरलोड माल लेकर संचालित ट्रकों के परमिट एवं उसके चालक का लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही भी अमल में लायी जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

11-वर्तमान सरकार के कार्यकाल मई-जून 2007 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस बेड़े में औसतन 7445 बसें रहीं, जो कि गत वर्ष से 288 बसें अधिक हैं। इस मध्य परिवहन निगम द्वारा कुल 15.36 करोड़ किलोमीटर बस संचालन किया गया, जो कि गत वर्ष से लगभग 01 करोड़ अधिक है। निगम द्वारा रु0 231.85 करोड़ की आय अर्जित की गयी, जो कि गत वर्ष से लगभग रु0 14.25 करोड़ अधिक है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल मई-जून 2007 में निगम द्वारा रु0 41.85 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया जो कि गत वर्ष की इसी अवधि से रु0 3.28 करोड़ अधिक है। निगम की बस उपयोगिता वर्तमान में सरकार के कार्यकाल की अवधि में 337 किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन प्राप्त हुयी, जो कि गत वर्ष की इसी अवधि की बस उपयोगिता 329 किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन से 08 किलोमीटर अधिक है। इसी प्रकार परिवहन निगम की बसों का लोडफैक्टर 71 प्रतिशत प्राप्त हुआ जो कि गत वर्ष से 01 प्रतिशत अधिक है। मई-जून 2007 में निगम की बसों का ईंधन औसत 5.35 किलोमीटर प्रति लीटर प्राप्त हुआ, जो कि गत वर्ष के ईंधन औसत 5.23 किलोमीटर प्रति लीटर से अधिक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह सभी उपलब्धियां विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक रहीं।

12-जैसा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने आपको अपने बजट भाषण में अवगत कराया है कि परिवहन निगम द्वारा जन सामान्य को पर्याप्त एवं उच्च कोटि की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन निगम बस बेड़े में आलोच्य वित्तीय वर्ष **2007-08** में **2000** नई बसों को शामिल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता के विकल्प का भी अध्ययन कराया जायेगा।

13-परिवहन निगम द्वारा प्रदेश में **241** बस स्टेशनों से वातानुकूलित, अन्य विशिष्ठ एवं साधारण परिवहन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष मेरा यह प्रयास होगा कि जिन जनपद मुख्यालयों पर बस स्टेशनों की स्थापना अभी तक सम्भव नहीं हो पायी है, उन जनपद मुख्यालयों पर बस स्टेशनों का निर्माण एवं विकास सुनिश्चित कर लिया जाये।

14-इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राज मार्गों पर पड़ने वाले तहसील मुख्यालयों, जिन पर बस स्टेशन स्थापित नहीं है, पर चरणबद्ध तरीके से बस स्टेशनों का निर्माण एवं विकास सुनिश्चित किया जायेगा।

15-परिवहन निगम में वर्तमान में नियमित चालकों, परिचालकों के अतिरिक्त समिति के माध्यम से संविदा के आधार पर चालकों एवं परिचालकों की सेवायें ली जा रही हैं। मेरा यह प्रयास है कि परिवहन निगम जन-सामान्य को समयशीलता के साथ उच्च कोटि की परिवहन सेवा उपलब्ध करायें, इसके लिये परिवहन निगम में नियमित चालकों एवं परिचालकों, स्टेशन इंचार्ज एवं तकनीकी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

16-परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों की कार्यकुशलता, दक्षता एवं यात्रियों से सद्व्यवहार करने के लिये निगम के प्रशिक्षण संस्थान में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

17-यात्री-सुविधाओं में निरन्तर विस्तार करने की हमारी कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। सभी बस स्टेशनों का कायाकल्प किया जायेगा और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण, उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे। मेरा यह भी प्रयास होगा कि परिवहन निगम द्वारा संचालित वातानुकूलित एवं विशिष्ठ परिवहन सेवाओं के रख-रखाव के लिये वर्तमान कार्यशालाओं में उपयुक्त आधुनिक तकनीक का विकास किया जायेगा।

18-समाज के सबसे गरीब एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये महत्वपूर्ण प्रयास तो किये ही जा रहे हैं साथ ही आज के आधुनिक जन-जीवन के वित्तीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा उच्च श्रेणी की तेज गति वाली बसें भी संचालित की जायेंगी, जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

19-कानपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला, डा0 राम मनोहर लोहिया कार्यशाला तथा क्षेत्रीय कार्यशालाओं में गैरेज मैकेनिक हेल्पर एवं बाडी मैकेनिक हेल्पर को 6 माह के प्रशिक्षण दिये जाने की सुविधा करायी जायेगी। हमारी सरकार विभिन्न स्रोतों से रोजगार सृजन के लिये सकारात्मक प्रयास कर रही है और इसी प्रयास की कड़ी में कानपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसायिक लाइसेन्सधारियों तथा

निजी क्षेत्र के ड्राइविंग लाइसेन्सधारियों को भी इस प्रशिक्षण संस्थान में डा0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

20-अन्त में मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि यद्यपि मेरे स्तर से, परिवहन विभाग के समस्त अधिकारियों के स्तर से तथा परिवहन व्यवसायियों के स्तर से प्राप्त सुझावों एवं अनुभवों को संकलित कर हम परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। मा0 सदस्यों से मैं आवाह्न करता हूं कि वे अपने तजुर्बों और ज्ञान का लाभ हमें दें और आप सभी माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों का सदन के भीतर एवं बाहर दोनों जगह मैं स्वागत करूंगा। आपके अनुभव एवं ज्ञान का लाभ उठाते हुये हम और सुधार के लिये अग्रसर हो सकेंगे।

21-मेरे बजट प्रस्तुतीकरण को ध्यान पूर्वक सुनने के लिएं माननीय सदस्यों का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 10,77,34,000 रुपये (दस करोड़ सतहत्तर लाख चौंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

वस्त्रोद्योग विभाग का वर्ष 2007-08 का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर बनी यह सरकार, जो दबे कुचले लोगों के उत्थान के प्रति कटिबद्धता जाहिर की है। उसके तहत **इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार इस विभाग पर पूरा बजट अपने संसाधनों से देने जा रही है।** पूर्व में भारत सरकार द्वारा सहायता एवं अनुदान की राशियों से चलने वाले इस विभाग को कुछ लोगों ने कामधेनु समझ कर इस तरह दोहन किया। प्रदेश की माने जाने वाले तथा जिसकी पहचान देश में ही नहीं पूरे विश्व में है जैसे-वाराणसी में सिल्क साड़ी उद्योग, सीतापुर में दरियां, गाजीपुर में कटवर्क, अमरोहा में फाईल वर्क, गोरखपुर में बेड कवर, गाजियाबाद में टेरीटावल, बाराबंकी में स्कार्फ का उत्पादन जैसे प्रमुख उत्पादकों को प्रभावित किया है। वहीं हैण्डलूम से जुड़े हुए गरीब, मजदूर, बुनकर की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाले ये उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं, इससे भारत सरकार की ही नहीं पूरे प्रदेश की आर्थिक क्षति हो रही थी।

हथकरघा उद्योग ऐसा कुटीर उद्योग है जो प्रदूषण रहित तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला, अधिकांश लोगों को बेरोजगारी देने वाला है। केन्द्रीय योजनाएं बन्द होने के बाद पहली बार हमारी लोकप्रिय सरकार में हमारी नेता बहन कु0 मायावती ने इसकी मर्यादाओं को कायम रखने तथा रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6.64 लाख बुनकरों के लाभ हेतु 28 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। इस सरकार ने अपनी यह प्राथमिकता दी है कि हम वर्ष 2007-08 में इस योजना के

माध्यम से 30 हजार लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1 लाख 50 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इन उत्पादों से होने वाले बिक्री को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बुनकरों को लाभ पहुंचाने की नियति से 10 प्रतिशत के छूट की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, जो वर्ष 2009 तक जारी रहेगी। **इस वर्ष नयी प्रस्तावित योजनाओं का विवरण क्रमशः इस प्रकार है :-**

1-हथकरघा अवस्थापना विकास योजना-

इस योजना के तहत चाहे समिति के बुनकर हों चाहे व्यक्तिगत बुनकर हों इनका शोषण हुआ है। जिनके पास कम से कम 10 करघे हों उनको 6 हजार रुपये प्रति बुनकर अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जानी है। इसका अनुपात 90:10 प्रतिशत का होगा। जिसमें राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत (रु0 5400.00) एवं बुनकर/बैंक/वित्तीय संस्था का अंश 10 प्रतिशत (रु0 600.00) होगा।

2-नवीन करघे-

इस सम्बन्ध में एस0आई0एस0 में पंजीकृत बुनकरों के समूह को योजना के अन्तर्गत 8000.00 रु0 प्रति बुनकर को अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध कराया जायेगा। सहायता का अनुपात 50:50 होगा। जिसमें 50 प्रतिशत राज्य सरकार (रु0 4000.00) एवं 50 प्रतिशत बुनकर/ बैंक/वित्तीय संस्था का (रु0 4000.00) होगा।

3-डाबी-

जो बुनकर एस0आई0एस0 में पंजीकृत हों, को योजनान्तर्गत रु0 4000.00 प्रति बुनकर अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। सहायता का अनुपात 50:50 को होगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत (रु0 2000.00) एवं 50 प्रतिशत बुनकर/बैंक/वित्तीय संस्था का (रु0 2000.00) होगा।

4-जैकार्ड-

जो बुनकर एस0आई0एस0 में पंजीकृत हों, को योजनान्तर्गत रु0 6000.00 प्रति बुनकर अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। सहायता का अनुपात 50:50 को होगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत (रु0 3000.00) एवं 50 प्रतिशत बुनकर/बैंक/वित्तीय संस्था का (रु0 3000.00) होगा।

5-एसेसरीज-

इसके लिए 2000.00 रु0 प्रति बुनकर अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

इसके अतिरिक्त अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना जो इस सरकार ने पहली बार घोषित की है, इसके तहत ग्रामीण विकास से संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं में बुनकरों को सम्मिलित करते हुए इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति तथा सामान्य जाति के लोगों एवं अन्य लोगों को मिलेगा। इस हेतु हमारा प्रयास होगा कि बढ़िया तकनीकी निर्माण अच्छी सुविधाओं के तहत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके साथ बुनकरों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने, उनके स्वास्थ्य एवं उनके अन्य अवस्थापना सुविधायें दिलाने में सरकार पूरी तरह संवेदनशील रहेगी। पावरलूम को बढ़ावा देने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। पावरलूम को क्रय करने हेतु अंश 75 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 25 प्रतिशत बुनकर का होगा। कार्यशाला हेतु 300.00 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से उपलब्ध कराया जायेगा।

मान्यवर, मैं इस सदन के सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसमें गरीबों से जुड़े हुए अतिसंवेदनशील इस व्यवस्था में सहयोग दें जिससे प्रदेश का नाम हो, पुनः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना गौरव प्राप्त कर सके।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी बहुत योग्य, अनुभवी एवं गम्भीर व्यक्ति है और हम दोनों ने साथ-साथ गठबंधन की सरकार में मंत्रीपरिषद् में कार्य किया है। मा0 परिवहन मंत्री जी ने अपने बजट में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 33% लोगों के हित में कोई ऐसी घोषणा नहीं की जिससे वह भी सम्पन्न समाज के बराबर आ सके। मान्यवर, मैं समझता था कि दलित, शोषित के उत्थान का भरपूर प्रचार करने वाली मा0 मंत्री जी की सरकार कम से कम उन्हें परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा किये जाने का प्रत्येक परिवार को यात्रा पास निर्गत किये जाने की घोषणा करेंगे, लेकिन नहीं किया गया है। मान्यवर, वर्तमान बहुजन समाज पार्टी की चौथी बार प्रदेश में सरकार बनी है लेकिन गरीबों के हित में किये जाने हेतु किसी भी प्रकार की नीति का उल्लेख मा0 मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में नहीं किया है।

मान्यवर, प्रदेश की कुल आबादी लगभग 17 करोड़ से अधिक है जिसमें 17 मण्डल, 70 जनपद, 300 तहसीलें, 820 विकास खण्ड और 52 हजार ग्राम सभाओं सहित 689 नगर पालिका परिषद, निगम एवं नगर पंचायतें हैं।

मान्यवर, परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी सुविधायें सीधे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार के आवागमन से सीधे जुड़ा है। किसी प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटन विकास तभी सम्भव है जब उस प्रदेश में ऊर्जा, कृषि, स्वरोजगार, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं से जुड़ा हो जिसके लिए माल एवं यात्री परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर बिना रखे सम्भव नहीं है जो परिवहन मंत्री जी ने अपने बजट व्यवस्था में नहीं किया है। मान्यवर, प्रदेश की परिवहन व्यवस्था से आने वाले पर्यटकों की पहली मुलाकात होती है यदि वह अच्छी नहीं है तो प्रदेश की नकारात्मक छवि बनती है और पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मान्यवर, परिवहन आयुक्त एवं परिवहन निगम संगठन द्वारा दिये गये आंकड़े आपस में विरोधाभासी हैं जिससे लगता है कि परिवहन विभाग के इन दोनों संगठनों के मध्य समन्वय नहीं है जिसका कुछ उदाहरण मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष

प्रस्तुत कर रहा हूं। परिवहन आयुक्त संगठन ने प्रदेश में कुल पक्की सड़कों की दूरी एक लाख किमी0 वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 तथा 2007-08 में बतायी है जिसमें कुल राष्ट्रीकृत मार्ग 22,323 किमी0 बताया गया है तथा परिवहन निगम के बस बेड़े ने वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 में निरन्तर 8 हजार बसों की संख्या तथा वर्ष 2006-07 में ही बसों की संख्या 7141 बतायी गयी है जबकि उसके विपरीत परिवहन निगम संगठन द्वारा वर्ष 2004-05 में 118063 कि0मी0 एवं वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में 127108 किमी0 प्रदेश में निर्मित पक्की सड़कों का उल्लेख किया गया है जिसमें कुल राष्ट्रीयकृत मार्ग 26729 किमी0 बताया गया है तथा बसों के बेड़े में भी वर्षवार आंकड़ों में अन्तर है। मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह भी कहना है कि अभी दो दिन पूर्व 11 जुलाई को लोक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट विवरण के अवलोकन की यदि कृपा करें तो देखेंगे कि प्रदेश में कुल दो लाख से अधिक किमी0 की पक्की सड़कें प्रदेश में बन चुकी हैं जिस पर परिवहन निगम वर्ष 2007-08 में यदि दो हजार नई बसें भी खरीद रहा है तो भी अनुबन्धित 1200 बसों को शामिल करते हुए कुल 7200 बसें ही प्रदेश की 17 करोड़ आबादी के मध्य यातायात हेतु उपलब्ध करा सकेगा जो जन सुविधा की दृष्टि से किसी भी स्थिति में जनहित में नहीं लगता है। मान्यवर, यदि परिवहन निगम की आय, व्यय एवं विभिन्न विभागों पर उसके बकाये की दृष्टि डालें और सरकार का परिवहन निगम पर यात्री कर के रूप में जो लगभग 800 करोड़ रुपया है को उनके लाभ-हानि में शामिल कर लें जिसे शामिल होना भी चाहिए तो परिवहन निगम कई सौ करोड़ के घाटे में है। इसलिए सदन के समक्ष परिवहन निगम द्वारा जो आंकड़े लाभ के पिछले तीन वर्षों में तिगुनी वृद्धि के प्रस्तुत किये गये हैं वह सरासर सदन को गुमराह करने वाले हैं। मान्यवर, परिवहन निगम ने अपनी बसों को 96% आन रोड रहने की और प्रति बस लगभग 321 किमी0 के संचालन की भी बात बतायी है और वर्ष 2005-06 में 13.70 करोड़ एवं वर्ष 2006-07 में 41.96 करोड़ का लाभ बताया है और अपने लाभ में वाहनों से सम्बन्धित अवमूल्यन राशि को भी कागजों पर जोड़ते हुए कागजी आंकड़ों में अधिक लाभ प्रस्तुत करने की जादूगरी करके सदन के समक्ष गलत तस्वीर प्रस्तुत की है।

मान्यवर, परिवहन निगम के प्रति बस कर्मचारियों का औसत 5.43 से लेकर 6.25 प्रति बस कार्यरत बस स्टाफ का अनुपात भी बताया गया है, बस द्वारा अर्जित आय केवल अधिष्ठान मद में ही अधिक खर्च होगी जिससे पूंजीगत व्यय के लिए कोई शेष न बचने के कारण हम जन सुविधाओं को कैसे पूरा करेंगे इसका भी कोई उल्लेख परिवहन मंत्री जी ने नहीं किया है। मान्यवर, परिवहन निगम ने जो वर्ष 2007-08 में वार्षिक योजना से सम्बन्धित अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है उसमें पूंजी निवेश की दृष्टि से बसों के क्रय, बाडी निर्माण, जीर्णोद्धार, भूमि भवन, यंत्र एवं संयंत्र आदि पर कुल 299 करोड़ प्रस्तावित है जिसकी पूर्ति हेतु 20 करोड़ राज्य सरकार एवं 40 करोड़ केन्द्र सरकार का पूंजी अंशदान एवं 7.95 करोड़ बैंकों से ऋण एवं निगम के आंतरिक संसाधनों से 231.4 करोड़ की व्यवस्था किये जाने की बात बतायी गयी है, जबकि 67.96 करोड़ का जो वित्तीय भार निगम पर आ रहा है वह उनके बकाये जो आंकड़ों के अनुसार परिवहन निगम का पुलिस पर 11.86 करोड़, श्रम विभाग पर बेरोजगार भत्ता बांटने में 9.47 करोड़, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कन्या विद्या धन कार्यक्रम में

शिक्षा विभाग पर 5.89 करोड़, प्रोटोकाल पर 3.80 करोड़, राज्य सम्पत्ति विभाग पर 3.7 करोड़, सूचना निदेशालय पर 3.23 करोड़, सचिवालय प्रशासन पर 2.24 करोड़, अभिसूचना विभाग पर 7.3 करोड़, राज्यपाल सचिवालय पर 53.26 लाख, परिवहन आयुक्त संगठन पर 44.86 लाख, निर्वाचन पर 44.59 लाख, होमगार्ड पर 40.50 लाख तथा केन्द्र सरकार के कुछ विभागों पर 29.13 लाख सहित विधान सभा निर्वाचन पर 2007 में चुनाव कार्य में निगम की कुल 2200 बसों का किराया लगभग 86 करोड़ यदि वसूल कर लिया गया होता तो ऋण पर लगने वाला ब्याज लगाकर वहां हम निगम का घाटा कुछ कम कर सकते थे वहीं वर्ष 2007-08 में बस में वृद्धि कर सकते थे जो नहीं किया गया है, जिससे निगम संगठन अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन दिखता है। मैं मा0 मंत्री जी का इस ओर व्यक्तिगत रूप को ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मान्यवर, यदि प्लान मद में अधिक धनराशि रखी गयी होती तो अब तक निगम के स्थायी बस स्टेशन जिनकी संख्या-241 है बहुत ही जर्जर है तथा 80 वाहन अड्डे किराये के मकान में है उन्हें ठीक कराने में और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में भी हम कार्य करते जिसे नहीं देखा गया है। मान्यवर, परिवहन मंत्री जी ने यात्री बीमे की राशि भी केवल 20 हजार प्रति यात्री रखी है जिसे कम से कम एक लाख रखा जाना चाहिए। मान्यवर, मंत्री जी का ध्यान निगम के बस अड्डों एवं रास्ते में पड़ने वाले यात्री विश्राम गृहों की ओर भी नहीं गया जिसके लिए उन्हें निगम द्वारा नियंत्रित एवं संचालित सुसज्जित जलपान गृहों, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ प्रशासन, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं, पी0सी0ओ0 सुविधा सहित अन्य सुविधाओं को दिये जाने की घोषणा करनी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि परिवहन निगम द्वारा यात्रीकर का 800 करोड़ सरकारी खजाने में नहीं जमा किया जा रहा है वहीं अपनी वाहनों को बिना परमिट के मार्गों पर चलाकर परमिट फीस भी चोरी की जा रही है, वाहनों में चालक एवं परिचालक बिना वर्दी के अपना कार्य कर रहे हैं जिससे सही पहचान में भी कठिनाई भी यात्रियों को आती है।

मान्यवर, मेरा विनम्र अनुरोध मा0 मंत्री जी से है कि यदि भारतीय रेल निजी क्षेत्र में मेट्रो रेल चलाने की तथा भारतीय वायुयान के साथ निजी वायुयान चलाने की अनुमति दी जा सकती है तो प्रदेश की पक्की सड़कों जिसमें राष्ट्रीयकृत, अराष्ट्रीयकृत मार्ग पड़ता है जिस पर माल वाहन, कृषि कार्य में लगे वाहन, मोटर कारें व मोटर साइकिलें बराबर चलायी जा रही है उस पर परिवहन निगम के साथ निजी बसों को क्यों चलाये जाने की व्यवस्था हेतु सरकार वांछित संशोधन नहीं कर रही है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि यदि परिवहन निगम को निजी क्षेत्र में दे दिया जाय तो सरकार को निगम से मिलने वाले राजस्व की राशि भी अधिक होगी और घाटे के इस निगम से छुटकारा मिलेगा और बेहतर जन सुविधायें भी प्रदेश की जनता को मिलेगी और मा0 मंत्री जी को भी यश प्राप्त होगा।

मा0 मंत्री जी जो को ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी, केवल मोटरयान अधिनियम की धारा 99 से 104 को देखना होगा और धारा 100 (2) के अन्तर्गत निगम की राष्ट्रीयकृत योजनाओं में उन्हें आवंटित ट्रिपों, बसों की संख्या एवं आवंटित समय सारिणी के समकक्ष निजी बसों के संचालन का प्राविधान कराना होगा। यदि यह कर दिया गया तो परिवहन विभाग के राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि के

साथ-साथ अवैध संचालन पर भी नियंत्रण होगा, साथ ही यह भी बताया है कि यदि मंत्री जी ने मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया तो परिवहन विभाग राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में प्रदेश के सभी विभागों से आगे होगा। मान्यवर, अभी सरकार ने मंत्री परिषद के निर्णय की घोषणा से समाचार पत्रों द्वारा अवगत कराया था कि "आओ परमिट ले जाओ" जो कोई नई बात नहीं है, वह पहले से ही मोटरयान अधिनियम की धारा 70,71,72 के अन्तर्गत उपलब्ध है। यदि मा0 मंत्री जी अवैध संचालन रोकने के प्रति गम्भीर हों तो प्रदेश के सभी राष्ट्रीयकृत मार्ग के तहसील मुख्यालय से जनपद मुख्यालय के भाग पर निजी बसों के संचालन की अनुमति हेतु उपलब्ध निगम की राष्ट्रीयकरण योजनाओं में धारा 100 (2) में संशोधन हेतु प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देश देने की कृपा करें, साथ ही मान्यवर, देश के अन्य प्रदेशों में भी प्रदेश परिवाहन के साथ निजी बसों के बेड़े की संख्या में वृद्धि हेतु धारा 100 (2) का अनुपालन कराते हुए अन्तर राज्यीय यातायात की पारस्परिक योजनाओं को निश्चित समय सीमा के भीतर समझौते हेतु अपने विभाग को निर्देश दें कि जिससे अपने देश की सीमा को प्रदेश देशवासी कम धन खर्च कर प्रदेश की परिवहन सेवा में लगी बसों से कर सकें। मैं पुनः प्रदेश की जनता के हित और प्रदेश के राजस्व हित में परिवहन उद्योग को नया जीवन, नया स्वरूप एवं गरीब के हित में निजी बसों को प्रदेश के सभी मार्गों पर संचालित किये जाने हेतु वैध परमिट की व्यवस्था का अनुरोध कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के कर्मठ परिवहन मंत्री जी इस कार्य को करके नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के अन्य प्रदेशों के लिए गरीबों के उत्थान के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

मान्यवर, आपका ध्यान परिवहन आयुक्त संगठन की ओर भी दिलाना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी ने प्रदेश में 33% गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य, पिछड़े, अनुसूचित वर्ग के लोगों को सरकारी सेवाओं में अपने विभाग में सेवायोजित किये जाने की भी किसी योजना का कोई उल्लेख अपने बजट में न करके उन्होंने अपने सरकार के गरीब विरोधी होने का प्रमाण दिया है। मान्यवर, परिवहन आयुक्त संगठन ने अपने साहित्य के माध्यम से अपने विभाग के सभी कार्यक्रमों का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है वह भी बड़ा निराशाजनक है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में विभाग ने राजस्व प्राप्ति का क्या लक्ष्य निर्धारित किया था और उसके सापेक्ष लक्ष्य पूर्ति की स्थिति क्या है। मेरी निश्चित जानकारी है कि निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। चूंकि परिवहन आयुक्त संगठन ने अपनी सूचना में कहीं भी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है लेकिन जो मुझे जानकारी है वर्ष 2005-06 में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 1400 करोड़ एवं वर्ष 2007-08 में 1500 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है जो किसी भी स्थित में बिना एम0वी0 एक्ट की धारा 100 (2) में संशोधन किये नहीं प्राप्त हो सकता है। यदि मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने सुझाव के अनुसार संशोधन करते हुए निजी बसों को वैध परमिट निर्गत किये जाने की व्यवस्था कर दी गयी तो कई हजारों की संख्या में निजी बसें खरीदी जायेंगी जिससे मार्ग कर, अतिरिक्त कर, पंजीयन शुल्क, फिटनेस फीस, परमिट फीस, के रूप में अभूतपूर्व राजस्व वृद्धि होगी और निर्धारित लक्ष्य से अधिक धनराशि भी विभाग को प्राप्त होगी जिससे हम जन सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से विभाग को मजबूत पूंजीगत व्यय के लिए आगे बढ़ा सकेंगे। मान्यवर, दूषित परमिट नीति के कारण ही बसों के पंजीकरण की

संख्या हर वर्ष कम होती जा रही है, यदि निगम की हर वर्ष पंजीकृत हो रही बसों की संख्या यदि हम घटा दें तो हम देखेंगे कि निजी क्षेत्र में वर्ष 2005-06 में कुल 300, एवं 2006-07 में कुल 431 बसों की संख्या पंजीकृत हुई है। यदि निजी क्षेत्र की बसों का प्रदेश के प्रत्येक जनपद में संख्या का अनुपात देखें तो वह 4.1 से लेकर 5 बस प्रति जनपद आ रही है जो किसी भी स्थित में जनहित की सेवा नहीं कर सकती, इस ओर मा0 मंत्री जी का ध्यान नहीं गया इसलिए भी मा0 मंत्री जी का प्रस्तुत बजट न तो सरकार के राजस्व हित में है और न ही जनहित में। मान्यवर, वर्तमान समय में प्रदेश के कुल राष्ट्रीयकृत मार्ग जिन पर परिवहन निगम अतिरिक्त बसें चला रहे हैं उपलब्ध पक्के मार्ग का लगभग 13.95 प्रतिशत है जो बहुत ही निराश करने वाला है। मान्यवर, पविहन निगम एवं निजी बसों के मध्य अतिरिक्त कर के निर्धारित की भी अलग-अलग शासकीय नीति है। निजी बसों से निर्धारित किमी0 पर प्रतिमाह और निगम की बसों से प्रतिमाह उनके द्वारा अर्जित आय वसूल की जा रही है जिसे भी मा0 मंत्री जी को देखकर व्यवहारिक एवं एकरूपता में रखने के निर्देश देने चाहिए जो उनके बजट भाषण में नहीं है। साथ ही मा0 मंत्री जी निगम व निजी बसों का संचालन लाभकारी हो, फीजीबुल एवं वायबुल हो सुझाव है कि प्रत्येक को समय सारणी एवं निर्धारित ट्रिपों के आधार पर ही स्थायी परमिट निर्गत किये जायं जिसका भी कोई उल्लेख मा0 मंत्री जी के बजट भाषण में नहीं है।

मान्यवर, मा0 मंत्री जी को आपके माध्यम से यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि यदि अवैध संचालन एवं एम0बी0 एक्ट की धारा 207 का परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे दुरुपयोग को रोकना चाहते हैं तो एक ही वाहन अड्डे से निगम व निजी परिवहन के बसों का संचालन एक ही वाहन अड्डे से निर्धारित ट्रिपों एवं समय सारिणी के अनुसार कराने हेतु नियमों में संशोधन करा दें तो अवैध संचालन प्रत्येक दशा में बन्द हो जायेगा।

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछले साढ़े तीन वर्षों में नई बसों की खरीद, बाडी के निर्माण पुर्जों की खरीद सहित परिवहन विभाग को समाप्त करने का जो प्रयास किया था उसकी जांच कराये जाने का भी कोई उल्लेख अथवा घोषणा उनके द्वारा करते हुए सदन को नहीं अवगत कराया गया है जिससे लगता है कि वर्तमान सरकार भी जनता से जुड़े इस विभाग को समाप्त करने में ही विश्वास करती है। मान्यवर, प्रदेश में मा0 कल्याण सिंह जी, मा0 राम प्रकाश गुप्त जी एवं मा0 राजनाथ सिंह की सरकार ने जहां निजी परिवहन को उद्योग का दर्जा दिये जाने की बात कही थी वहीं परिवहन निगम को निजी क्षेत्र में दिये जाने का प्रयास भी प्रारम्भ किया था जो प्रदेश के हित में होता परन्तु सरकारों की अदला-बदली में उस महत्वाकांक्षी योजना को लागू होने में बाधा उत्पन्न की। मान्यवर, मा0 मंत्री जी द्वारा श्री राजनाथ सिंह जी की सरकार में माल वाहनों द्वारा आसानी से देश के प्रत्येक भाग को उत्तर प्रदेश से होकर ढोये जाने वाली वस्तुओं को बिना रोक-टोक के "गोल्डेन कार्ड" योजना लागू करके दी थी जिससे प्रदेश का राजस्व भी बढ़ा था, पुलिस विभाग का हस्तक्षेप बन्द हुआ था और व्यापारी अपने सामान को रेल मार्ग के स्थान पर सड़क मार्ग से ले जाने व ले आने के लिए प्रोत्साहित हुये थे। जिसके कारण सभी प्रकार के निजी क्षेत्र में माल वाहन भारी संख्या में प्रदेश के भीतर खरीदे गये थे और उससे जहां औद्योगिक उत्पादन को बल मिला था वहीं व्यापार कर इन्ट्री फीस, परमिट फीस, माल कर, पंजीयन शुल्क आदि मदों में भी राजस्व

की भारी वृद्धि हुई थी। मान्यवर, परिवहन आयुक्त संगठन ने उसे बन्द कर दिया है जिससे उनके प्रवर्तन अधिकारियों को माल वाहनों से निजी तौर अवैध धन मिल सके और राजकीय राजस्व की क्षति होती रहे। मान्यवर, मा0 मंत्री जी को इस दिशा समयबद्ध निर्देश देने चाहिए। मान्यवर, मा0 परिवहन मंत्री जी ने अपने विभाग की प्रस्तावित महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी दृष्टि नहीं डाली अन्यथा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, प्रदेश के कुल 54 चेक पोस्टों जिसमें 18 के उच्चीकरण का प्रस्ताव विगत चार वर्षों से बजट के माध्यम से रखा जाता है पर कोई कार्यवाही न कर विभाग ने जहां अपने निकम्मेपन को प्रमाणित किया है वहीं लगता है कि मा0 मंत्री जी ने भी ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर अपना ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, जल परिवहन जैसा महत्वपूर्ण विषय जो लोगों को प्रदूषण मुक्त सेवा उपलब्ध करा सकता है। जिसमें भारत सरकार का भी सहयोग मिल रहा है उसे योजना बनाने तक ही विभाग ने तक ही रखा है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी द्वारा सड़क सुरक्षा योजना, कार्यालय भवनों के निर्माण, पारदर्शिता मापन यंत्र, विश्व स्तरीय ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं राज्य परिवहन एवं नियोजन संस्थान की स्थापना, मास ट्रांसपोर्ट योजना के सम्बन्ध में ही कोई समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति की बात अपने बजट में नहीं बताई है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसको देखने से लग सके कि सरकार प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को वह मजबूत करना चाहते हैं। मान्यवर, बसों, ट्रकों तथा अन्य प्रकार के वाहनों से जो वर्तमान में परमिट शुल्क वसूला जा रहा है वह इतना अधिक है कि कोई भी लघु उद्यमी एक वाहन खरीदकर प्रदेश की लागू वर्तमान परिवहन नीति के साये में न तो बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी कर सकता है, न ही तकनीकि दृष्टि से वाहन को ठीक कर सकता है और न ही स्थायी परमिट के लिए निर्धारित 4500 फीस अदा कर सकता है और न ही लागत मूल्य पर 5% पंजीयन शुल्क ही जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में केवल परमिट नीति का संशोधन ही सरकार एवं वाहन स्वामियों को सुविधा प्रदान कर सकता है। मान्यवर, यातायात नियमों का खुले आम उल्लंघन हो रहा है और चल रही वाहनों के बांयें ओर से ओवर टेक करने का प्रचलन लखनऊ शहर में ही देखने को मिल सकता है परन्तु न तो मा0 मंत्री जी के परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और न ही यातायात नियंत्रण के लिए लगाये गये पुलिस कर्मी ही कोई प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के यातायात की यही व्यवस्था है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी केवल परमिट नीति की ओर अपना ध्यान दे दें तो अवैध संचालन से उत्पन्न परिवहन विभाग, पुलिस विभाग अपराधी तत्वों के भ्रष्टाचार से प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं निजी बस परिवहन को हम निजात दिला सकते हैं। मान्यवर, परिवहन निगम संगठन को भी सुझाव और देना चाहता हूं कि उनके द्वारा वातानुकूलित बसें चलायी गयी है, इसके अतिरिक्त लम्बी दूरी की अन्य श्रेणी के बसों का संचालन कराया जा रहा है जो खराब रख-रखाव के कारण अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण यात्री, मरीज, बच्चे, महिलायें परेशान होती हैं और उससे परिवहन निगम के प्रति पूरे प्रदेश में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। मान्यवर, परिवहन विभाग के बजट में मा0 मंत्री जी ने प्रदेश की सीमा से लगी प्रदेशों में इण्टर स्टेट बसों जिनमें निजी बसें भी शामिल हैं जन सुविधा की दृष्टि से भी कोई घोषणा नहीं की है। मान्यवर, सड़कों पर दुर्घटना कम हो इसके लिए गति नियंत्रण पर विशेष बल हो और चालक मानसिक रूप से स्वस्थ हों और सभी श्रेणी के वाहन तकनीकी दृष्टि से पूर्णतया स्वस्थ हों। मान्यवर, प्रदेश की

सरकार उद्योग एवं कृषि सहित अन्य के लक्ष्य की वृद्धि एवं प्राप्ति का जितना ढिंढोरा पीटती है क्या मान्यवर, का कोई लक्ष्य बिना ऊर्जा की उपलब्धता परिवहन के अच्छे संशोधनों के अभाव में पूर्ण हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं कभी नहीं हो सकता, लेकिन मा0 मंत्री जी एवं उनकी सरकार ने परिवहन व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से उदासीनता बरती है जिस पर जितना खेद व्यक्त किया जाय वह कम है।

मान्यवर, मा0 परिवहन मंत्री जी सदन में समाजवादी पार्टी की सरकार के प्रस्तुत बजटों की तर्ज पर और अक्षरशः उसी की नकल उतारते हुए विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार किये बजट को ही अपनी भाषा में प्रस्तुत कर दिया है इसके अलावा अपना कोई विचार व नीति उनके द्वारा नहीं जोड़ा जा सका है। प्रस्तुत बजट पूरी तरह से जन विरोधी, गरीब विरोधी, पूंजीपतियों को सहयोग देने वाला तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सुविधाओं के विरुद्ध है। परिवहन उद्योग जिससे प्रदेश के कई लाख लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है उनके विरुद्ध है, किसी प्रकार की कोई नीति ऐसी नहीं है जो प्रदेश के परिवहन उद्योग के हित की हो। ऐसी स्थिति में इस दिशाहीन परिवहन विभाग के बजट का पुरजोर विरोध करते हुए मैं अपने सुझावों को स्वीकार किये जाने का अनुरोध करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने हेतु मा0 अध्यक्ष जी आपने जो अवसर दिया मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी,

कटौती के प्रस्ताव पर मैं कुछ बोलूं इससे पहले यह आवश्यक है कि विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ कर दिखाया है उनको पहले धन्यवाद दिया जाये। इस सदन में मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि मेरे प्रस्ताव पर सुनीता विलियम जो भारतीय मूल की हैं तथा इस समय अमेरिका में निवास कर रही है तथा नासा में ऐरोनाट है ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक एक लम्बी अवधि बिताकर एक रिकार्ड बनाया है जिससे महिलाओं की उपलब्धियों में एक मील का पत्थर कहा जायेगा। यही नहीं विज्ञान के क्षेत्र में जब कभी उपलब्धियों की बात आयेगी सबसे पहले भारतीय मूल की सुनीता विलयम स्वर्णक्षरों में रेखांकित होंगी। इसलिये सबसे पहले मैं सुनीता विलयम को बधाई देता हूं जिसे उन तक पहुंचाया जाये।

श्रीमन् विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाज की एक मूलभूत आवश्यकता बन गयी है। किसी भी प्रकार यदि हम कोई भी कार्य करें तो वह प्रौद्योगिकी की देन होती है। जिस आदरणीय सदन में हम बैठे हैं उसमें हो रही कार्यवाहियों में भी उसका योगदान है। यही नहीं जितने भी कार्य हो रहे हैं सब में तकनीकी उपयोग किया जा रहा है। इसलिये इस विभाग की कटौती में भारी मन से बोल रहा हूं। जितना बजट दर्शाया गया है सारा का सारा तो वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को जाता है। यदि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सुदूर संवेदन उपयोग उपकेन्द्र तथा सी0एस0टी0 का बजट देखा जाये तो यह ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन संसदीय मर्यादाओं का पालन करना है इसलिये कहना ही पड़ता है कि बजट कम किया जाये क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश में अपने स्तर का कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। उसके कारण विभागीय मंत्री जी स्वयं जानते होंगे। अपने उत्पत्ति के समय विभाग

जितना था आज भी उतना ही है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया गया जबकि इसकी अपार संभावनायें हैं।

विभाग और प्रौद्योगिकी आज प्रदेश के जितने विभाग हैं सबके साथ सहभागी है। चाहे नगर विकास की सीमाओं को नापना हो, बाढ़ विभाग के अन्तर्गत बाढ़ विभीषिका को नापना हो, जंगलों के क्षेत्रफल को नापना हो, गंगा उद्गम को देखना हो, ग्लेशियर के घटने को देखना हो, नये आविष्कारों को कराना हो, नयी तकनीक को अपनाना हो, सारे कार्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ विभाग द्वारा किये जाते हैं किन्तु शासन ने आज तक इस विभाग को इतना ज्यादा उपेक्षित किया है कि आइंसटीन जहां बैठे होंगे उनकी भी आत्मा दुखी होगी। सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में दो निदेशक एक ब्यूरोक्रेट तथा दूसरा टेक्नोक्रेट,यह व्यवस्था है विज्ञान विभाग की जो उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। जब एकुरथ को दो पहिये खींचेंगे तो रथ एक दिशा में जायेगा ही नहीं क्यों कि अहं की लड़ाई सामने आ जायेगी। यदि सरकार की नीयत विज्ञान के प्रति साफ है तो पहले यह दोहरी व्यवस्था समाप्त हो तथा विज्ञान को विज्ञान की भांति उन्मुक्त होकर काम किया जाये। यदि कार्य निस्तारण पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो अपने मानक के अनुसार विज्ञान उत्तर प्रदेश में कोई कार्य नहीं कर सका है। इसका सारा दायित्व गत सरकार को तथा वर्तमान सरकार को भी जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, सूरजकुण्ड लखनऊ में स्थापित परिषद् ने गत दस वर्ष में एक भी नया काम नहीं किया है जबकि सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र की सोंच इसी परिषद् की थी। इस परिषद् ने शनि आकार की नक्षत्रशाला के निर्माण में भ्रष्टाचार का जरूर रिकार्ड बनाया जिसके चलते गोरखपुर एवं लखनऊ की नक्षत्रशालायें आज भी बुरी स्थिति में हैं। परिषद् द्वारा जितने भी रिसर्च कराये गये उनके पापुलराइजेशन के लिये एक भी काम नहीं हुआ सारा पैसा अकारण व्यय में गया। यहीं नहीं राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं दिखायी जाती है जिससे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो।

यदि उत्तर प्रदेश के शिक्षा पर नजर डाली जाये तो एक बड़ा विस्मयकारी तथ्य सामने आयेगा जिस पर न तो गत सरकार और न ही वर्तमान सरकार ध्यान दे रही है वह बिन्दु है छात्रों में विज्ञान की पढ़ाई के प्रति अरुचि। आज विज्ञान छात्रों की रुचि घटती जा रही है। किन्तु इस विभाग ने आज तक इस पर विचार नहीं किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में विज्ञान के साथ ज्यादा ही राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की सरकार ने जो वैज्ञानिक सम्मान नियमावली बनाई थी जिसमें छात्रों को भी सम्मानित किया जाता था अपनी नियमावली से बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही है ऐसे में प्रदेश में विज्ञान का भला होगा सोचा भी नहीं जा सकता।

किसी भी विभाग के लिये उसके नीति का अभिलेख होना जरूरी हैं वर्ष 97-98 में विज्ञान नीति बनाने की कवायद शुरू हुई थी जो शायद आज तक नहीं बन पायी है ऐसे में जब नीति ही नहीं होगी तो विज्ञान का काम करना ही मुश्किल है।

जिस समय उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल एक था, प्योर साइंस के लिये वेधशाला उपलब्ध थी जो खगोलविज्ञान के लिये तथा ज्योतिष के लिये तारों पर अध्ययन करता था। उत्तरांचल बंटवारे में वेधशाला आवंटित हो गयी उत्तरांचल को क्योंकि वह नैनीताल में थी। इससे पहले कि बंटवारा होता

तत्कालीन भा0ज0पा0 सरकार के जमाने में काउंसिल आफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी की वार्षिक बैठक में तय किया गया कि नैनीताल में टाटा इंस्टीट्यूट फार फण्डामेंटल रिसर्च द्वारा स्थापित की गयी बहुत बड़ी दूरबीन के लगने से वहां से हटायी गयी दूरबीन को या तो गोरखपुर विश्वविद्यालय जहां खगोल विज्ञान है अथवा वाराणसी विश्वविद्यालय जहां ज्योतिशशास्त्र है के नियंत्रणाधीन किसी उपयुक्त स्थान पर उसे स्थापित किया जाये जिससे प्रदेश में प्योर साइंस भी हो तथा खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान फले फूले, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। विज्ञान के प्रति इस प्रदेश की निर्दयता वैज्ञानिकों तथा पढ़े लिखे लोगों को जरूर आन्दोलित कर सकती है। इस सरकार में अगर विज्ञान के प्रति थोड़ी भी सोच हो तो इस पर तत्काल क्रियान्वयन करवायें यदि इसे भा0ज0पा0 शासनकाल का प्रस्ताव न मानना चाहे तो माने पर विज्ञान के साथ क्रूर मजाक न हो।

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र इतना महत्वपूर्ण हो सकता है किन्तु विज्ञान के प्रति सरकारों की उदासीनता की नीति ने इसको भी नहीं छोड़ा। सबसे अच्छे वैज्ञानिक केन्द्र को छोड़ने पर मजबूर हैं। भ्रष्ट वैज्ञानिक डाटा तक बेंच डालते हैं। अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी का पद ब्यूरोक्रेट के पास है विभागीय मंत्री शक्ति हीन क्योंकि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेण्टर के सारे अधिकार अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी के पास हैं।

वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की उदासीनता किसी से छिपी नहीं है। इतना महंगा उत्पाद यह बनायेंगे कि गरीब आदमी जिसके लिये वैकल्पिक ऊर्जा बनायी गयी उसे खरीद नहीं सकता। भारत सरकार माइक्रोहाइडिल प्रोजेक्ट पर शत प्रतिशत अनुदान दे रही है किन्तु निःशुल्क उपलब्ध नहरों के जल पर यह विभाग कार्य नहीं कर सकता जबकि ऊर्जा की इतनी ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश में है। चीन जैसे राष्ट्र ने मात्र दस साल में जल के दोहन से इतनी बिजली बना ली है कि उसकी इकोनोमी विश्व में सब से शिखर पर है हमारा प्रदेश बहराइच एवं लखीमपुर जनपद में उपलब्ध सरयू नहर का उपयोग कर आज तक कोई कार्य नहीं कर सकी। कटौती के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मानव विकास को संदर्भित इतने महत्वपूर्ण विभाग पर मुझे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, यह एक ऐसे विभाग के बजट पर बहस हो रही है जो कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और हमारे दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम आपने नागरिकों का जीवन बेहतर करना चाहते हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें कम से कम लागत पर बेहतर से बेहतर संसाधन मुहैया कराना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खलिहान में बैठा किसान खेत की मेड़ पर बैठा, खेतिहर मजदूर टूटी हुई झोपड़ी में बैठे हुए, चूल्हे में मुंह डालकर आग को फूंकती हूई महिला, अधनंगे और कुपोषित बच्चों की जिन्दगी, छोटे-छोटे उद्योगों में लगे हुए श्रमिक यह सब बेहतर जिन्दगी जी सकें तो न सिर्फ प्रदेश की आय बढ़ेगी बल्कि इन सब की निजी व व्यक्तिगत आय भी बढ़ सकेगी और उन्हें बेहतर मानवीय और सामाजिक जीवन जीने के लिए अपनी पहुंच के अन्दर सारी सुविधायें उपलब्ध हो सके और उत्तर प्रदेश ने सिर्फ अपना विकास कर सके बल्कि देश के विकास में भी अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाहन कर सके तो हमारा देश आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सैद्धान्तिक और रणनीतिक रूप से अपनाने के सिवाये कोई और विकल्प नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो विज्ञान और तकनीक से अछूता हो। जनम से लेकर मरण तक हर क्षण, हर पल अगर हम बुद्धिमान हैं और विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को जाते हैं तो हम बहुत बेहतर नागरिक की तरह जीवन जी सकते हैं। कभी सोच कर देखिये मानव सभ्यता पहले शिकार करके अपना जीवन बिताती थी और कच्चे मांस को चबाकर खाया करती थी। यदि आग के माध्यम से भोजन पकाने की तकनीक का विकास न हुआ होता, आदमी ने जानवर के नजदीक जाकर उसे मारने की कला की जगह तीर-धनुष से मारना न सीखा होता और सिर्फ आज के लिए भोजन इकट्ठा करके खाने की जगह भोजन संग्रह करने की कला नहीं सीखी होती तो मानव सभ्यता आज भी आदम सभ्यता बनी होती। आज के युग में देखने में यह अत्यन्त छोटे अविष्कार लगते हैं शायद कोई इन्हें तकनीक मानने से भी इंकार कर दे लेकिन विकास के यही छोटे-छोटे खोजें समाज के सामान्य नागरिकों के मानसिक समपर्ण और उनकी सोच इस समाज में सकारात्मक परिवर्तन के कारण बने।

अध्यक्ष महोदय, कभी सोच कर देखिये अगर चरखा और तकली का अविष्कार नहीं हुआ होता, आदमी ने भाप के इंजन की तकनीक न सीखी होती, ग्राहम वेल ने टेलीफोन की तकनीक न विकसित की होती और मारकोनी टेलीग्राफ की तकनीक लेकर हमारे बीच न आये होते तो आज हमारा जीवन कहां खड़ा होता ? यह विदेशियों का उदाहरण इसलिए कि यह हमें अच्छे लगते हैं और हम स्वीकार करते हैं। सच्चाई का दूसरा पहलू यही है कि दुनिया के किसी भी कोने में तकनीक विकास सबसे पहले अगर कहीं हुई है तो इस भारत वर्ष में हुई थी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सभ्यता की इस दौड़ में हमसे हमारी यह क्षमता छिनती चली गयी और हम विकास की लड़ाई में पिछड़ते चले गये। नहीं तो सत्यता यही है कि जब अंग्रेज पहली बार भारत में आये थे तो उन्होंने कपास के पौधों को देखा तो वह चकित रह गये। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय समाज इतना बुद्धिमान और चतुर है कि शरीर को ढंकने के लिए कपड़ा बनाने के लिए वह भेड़ों के चमड़े में से बाल उधेड़ करके प्रयोग करते हैं और भारतीयों ने कपड़ों के लिए धागा पेड़ों पर उगाने की कला विकसित कर ली है।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने भारत की वैज्ञानिक मंशा और क्षमता का बहुत वृहद् वर्णन किया है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उनके विरुद्ध राकेट का प्रयोग किया था यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि श्री रंगपट्नम की लड़ाई में अंग्रेज उस राकेट को देखकर बहुत ही भयभीत हुए थे। उन्होंने उस राकेट को ले जाकर अध्ययन कराया और फिर उस राकेट का प्रयोग फ्रांसीसियों के विरुद्ध किया। बिजली को बैट्री की ताकत में बन्द करने की कला हमें पढ़ाया जाता है कि पाश्चात् जगत ने हमें दिया था लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की पहली बैट्री अगस्त मुनि ने बनाई थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्पष्ट लिखा है कि घड़े में कापर डाला जाये, कापर के ऊपर कापर सल्फेट का बुरादा डाला जाये और फिर उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा और पारे का घोल डाला जाये और उसके ऊपर तारें डाली जायें तो बिजली अपने आप उत्पन्न होती है। यह अविष्कार करने के लिए उनके पास न तो बड़े-बड़े उपकरण थे और न ही बड़े संस्थान, अध्यक्ष

महोदय, था तो सिर्फ अंतदृष्टि, विश्लेषण की क्षमता और अपने चारों ओर उपस्थित प्रकृति के विभिन्न तत्वों से समन्वय और संयोजन करने की कला।

अध्यक्ष महोदय, भारत की पहचान ढेर सारे वाद्य यंत्रों और संगीत के क्षेत्र में उसकी उपलब्धता से होती है। प्रथम चरण में उनका अविष्कार जब हुआ तो भारतीय मनीषियों को किसी बहुत बड़ी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं थी। एक ऋषि एक तालाब के बगल में खड़े थे कि अचानक बारिश होने लगी। वर्षा की बूंदे तालाब पर पड़े हुए पत्तों पर गिरने लगी। उन्होंने ध्यान से सुना अलग-अलग पत्तों से अलग-अलग आवाज आ रही थी। छोटे पत्तों और बड़े पत्तों से निकलने वाली आवाज की मधुरता और पानी में पड़ने वाली बूंदों में अन्तर था। उन पत्तों को उठाकर वह घर ले गये। एक बर्तन में पानी भरकर उसमें उन पत्तों को रखकर बूंद-बूंद पानी गिराकर प्रयोग किया और भारत के प्रचीनतम् वाद्ययन्त्र जिसे बहुत बाद में तबले का नाम दिया उसका जनम हुआ। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी प्रचीन वैज्ञानिक शक्ति पर गर्व था, गर्व है और गर्व रहना चाहिए। जिन मिसाइल्स की आज बात की जा रही है, जिन्हें बड़े-बड़े वाहनों से छोड़ा जाता है ऐसी मिसाइल्स श्री कृष्ण अपनी उंगलियों पर लेकर चलते थे जो पूरी तरह से लक्ष्य आधारित होती थी और गर्दन काटने के पश्चात् लौटकर पुनः उंगलियों पर आ जाती थी। आज हम सुपरसानिक जहाजों की चर्चा करते हैं उस जमाने में हमारे पास पुष्पक विमान हुआ करते थे। आज हम विभिन्न साधनों से नकली बारिश करने का प्रयोग करते हैं उस जमाने में हमारे पास बारिश करने वाले तीर होते थे। आज हम टेलीविजन पर बैठकर दुनियाभर के दृष्य देखते हैं आज से हजारों वर्ष पहले संजय धृतराष्ट्र को यही बताता था तो लोग उन्हें कपोलकल्पित कहते थे। आज हम क्लोनिंग के जरिये आदमी बनाने का प्रयास करते हैं किन्तु यह एक तथ्य और सत्य है कि गणेश पार्वती मां के पसीने से उत्पन्न हुए थे। आज प्लास्टिक सर्जरी में बड़े-बड़े अविष्कार किये जा रहे हैं और तथ्य यह है कि शंकर भगवान ने गणेश जी के कटे मुंह पर हाथी का मुंह जोड़ दिया था।

अध्यक्ष महोदय, संकल्पनायें हवा में नहीं पैदा होती, सोचने की सीमा नहीं होती है। जिन चीजों को हम महसूस करते नहीं, जानते नहीं उन चीजों तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती। साहित्यकार जब उन्हीं तथ्यों को लिखते हैं तो उनके पीछे हजारों वर्षों की परम्परा ने उन तथ्यों और तत्वों के प्रयोग की कहानी छिपी होती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रदेश के सभी विभागों में से सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। आज के युग में तो इसे सभी विभागों की आत्मा मानना चाहिए। अगर हम इस विभाग का सही प्रयोग करें तो हर विभाग की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि हो सकती हैं जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम विज्ञान और तकनीक की चर्चा न करें। किसानों को अपनी जमीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मृदा की गुणवत्ता और संरक्षण के लिए, मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटेशियम के अनुपात के लिए निर्भर तो विज्ञान पर ही रहना है। यह हमारी वैज्ञानिक अज्ञानता का ही प्रभाव है कि हमारे किसान अत्यधिक नाइट्रोजन खाद का प्रयोग कर रहे हैं। विज्ञान का अगर सही प्रयोग किया जाय तो किसान पूर्व में यह जान सकता है कि कब वर्षा होने वाली है और बाढ़ कब आयेगी। बरसात की सम्भावना से वह अपनी अगौती और पिछैती फसलों का निर्धारण कर सकते हैं। परम्परागत बीजों के स्थान पर शोधित बीजों का प्रयोग भी विज्ञान है और इन बीजों की जगह अधिक

उत्पादकता देने वाले हाईब्रिड बीजों का प्रयोग बिना तकनीक सम्भव नहीं था। कैमिकल-फर्टिलाइजर्स की खोज भी तकनीक विकास के बिना सम्भव नहीं थी और यह चीजें यदि हमें नहीं मिलती होती तो 70 के दशक में शायद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मूलतः जिसका थोड़ा-बहुत प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया हरित क्रान्ति न हुई होती। आज विज्ञान और तकनीक के नाते ही हम यह समझ पाये हैं कि रासायनिक खादों पर अत्याधिक निर्भरता हमारी दीर्घकालिक हित में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए कि हमारे किसानों की इतनी मेहनत के बावजूद हमारे प्रदेश में गेहूं, धान और गन्ने की उत्पादकता में इतनी कमी आई हैं सही तकनीक का प्रयोग करके हम किसानों को इससे काफी कम मेहनत पर उन्हें अधिक उत्पादकता दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा न जाने कितना अनाज ग्रामीण परिवेश में भण्डारण की सुविधा न होने के कारण खराब होता है। एक जमाने में किसान पुआल के खोलों में आंच रखते थे। अगर तकनीक सही तरीके से अपनाई जाये तो पुआल के घरों और कोल्ड-स्टोरेजों के बीच का ऐसा रास्ता खोजा जा सकता है जो बड़ा ही सुरक्षित हो। गांव के भीतर हो और पानी, बिजली के इंजनों को भी ठण्डा रखने की क्षमता रखता हो। हमारे प्रदेश में पूरे देश की 20-25 प्रतिशत सब्जी और फल पैदा होता है और कितना दुखद है कि सही भण्डारण न होने के नाते, प्रसंस्करण न होने के नाते, सही तरीके से पैकेजिंग न होने के नाते हम उनको दूसरे प्रदेशों में बेचकर आय अर्जित कर पाते हैं और न विदेशों में भेज पाते हैं। प्याज से लेकर आम तक हमारे यहां बाहर से आता है। हम देश का सबसे अधिक आलू पैदा करते हैं। न जाने कितना आलू सही भण्डारण न किये जाने के कारण सड़ जाता है। हमने अपने यहां पोटेटो चिप्स की फैक्ट्री भी नहीं लगाई। ढेर सारे कृषि आधारित उद्योग हैं जिन्हें थोड़ी तकनीक में छोटे-छोटे परिवर्तन करके ग्रामीण परिवेश में उनका उपयोग किया जा सकता है। जिससे कृषि पर निर्भर करोड़ों नागरिकों को अतिरिक्त आय का संसाधन मिल जायेगा। कृषकों की आय का बहुत बड़ा साधन उनका पशुधन होता है। तकनीक विकास के दौर में अगर हम सही प्रजनन की ओर और अति हीर्माकृत वीर्य के प्रयोग को लोकर्काकरण कर दें तो हमारे दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ी उत्साहक वृद्धि हो सकती है। हमारा किसान पैदा तो करता है लेकिन हम सामान का सही मूल्य उसको नहीं दे पाते हैं। संचार क्रान्ति के इस युग में अगर हम सचमुच ग्रामीण परिवेश में इन इण्टरनेट बाजारों को पहुंचा दें तो शायद किसी भी किसान का कोई भी अनाज उसे लाभकारी मूल्य दिये बिना पाया नहीं जायेगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की 6 प्रतिशत जमीन जलप्लावित है। हम यह तकनीक नहीं विकसित कर पाये कि इस जलप्लावित जमीन में कौन सी चीज बोई जा सकती है जिससे उत्पादकता भी बढ़े, कृषकों की आय भी बढ़े और जल समस्याओं का समाधान भी हो सके। जेट्रोफा और गलाईसेरीजिया जो हमारी बंजर जमीनों के उपयोग के लिए अच्छा माध्यम हो सकती हैं आज भी कागज के पन्नों में पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज भी हम वह तकनीक विकसित नहीं कर पाये जिससे मातायें अपने खून की कमी को पूरा कर लें। टी0 वी0 और मलेरिया की वैक्सीन का अविष्कार हो जाये, मातृत्व का जीवन एक सुरक्षित जीवन हो जाये और इतनी बड़ी संख्या में माताओं को प्रसव के दौरान मरना न

पड़े। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में पोलियो के केस मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने कोल्ड चेन की तकनीक का सही प्रयोग नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, हम गांव में बिजली की कमी से परेशान हैं। आज तक हमने पवन चक्कियों का या खोई, कोड़े या कृषक-सह उत्पादों के माध्यम से बिजली पैदा करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित नहीं किया। हमारे घर ढेर सारे उपकरणों से भरे होते हैं लेकिन हमारे पास बिजली नहीं होती। हम आज भी घरों के अन्दर सोलर बिजली या फोटोसेल्स नहीं पहुंच पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिकता के इस युग में हम गांव में बैलगाड़ी पर चलने में थोड़ा बेकार महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन बैलगाड़ी को चलाने वाला गाड़ीवान अगर गाड़ी चलाते हुए मोबाईल से बात करता रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं। आज जमाना ई-चौपाल का आ गया है और ग्रामीण परिवेश में नौजवानों की क्षमता का उपयोग करके आउटसोर्सिंग का आ गया है और हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है कि अभी भी लकीर का फकीर बना हुआ है। आज हम चाहें तो लखनऊ में बैठे-बैठे उत्तर प्रदेश के एक-एक महानगर, कस्बे, टाउन एरिया और गांव की एक-एक इंच जमीन का नक्शा प्राप्त कर सकते हैं। जंगल कट कर 8 प्रतिशत आ गया है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वन विभाग जिन वृक्षों को लगाने का दावा करता है वह कभी लगे कि नहीं। अगर हमने रिमोट सेंसिंग का सही उपयोग किया होता तो हमारे पास वनाच्छादन के एक-एक इंच का हिसाब होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की निर्देशिका को पढ़ रहा था और यह निर्देशिका बताती है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक बताता है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ताकत से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। कस्तूरी हमारी पीठ में है और उसकी ताकत नहीं पहचान पा रहे हैं। शोध प्रोत्साहन के लिए पहले 35 लाख था इस सरकार ने 390 लाख कर दिया, प्रौद्योगिकी विकास उच्चीकरण और स्थानान्तरण के लिए पहले 5 लाख थे इस सरकार ने 30 लाख कर दिया, उद्यमिता विकास का पहले 2 लाख था इस सरकार ने 50 लाख कर दिया, पेटेण्ट सेल के लिए पहले 5 लाख था इस सरकार ने 12 लाख कर दिया। बायोटेक्नोलाजी के लिए पहले 40 लाख था इस सरकार ने 200 लाख कर दिया। यह सरकार दावा कर सकती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का परिव्यय बढ़ाने का प्रयास किया है लेकिन 16.62 करोड़ की जनसंख्या का जीवन बेहतर करने के लिए यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मूंस मोटा तो हुआ है लेकिन लोढ़ा बनकर रह गया है। लखनऊ और रामपुर नक्षत्रशाला की चर्चा तो परिव्यय में की गयी लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस गोरखपुर नक्षत्रशाला के बारे में लगातार सदन में विषय उठाता रहा जो 6 करोड़ की लागत की जगह पर 23 करोड़ की लागत पर तैयार हुआ और लोकर्कार्पित हुआ वह पिछले 8 महीनों से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता के कारण बन्द पड़ा है। जिसके बारे में इसी सत्र में मैंने विभिन्न नियमों में विषय उठाया 301 की नोटिस दी, आवास विभाग के बजट चर्चा में आवास मंत्री के संज्ञान में विषय दिया और उन्होंने सदन में आश्वासन भी दिया तथा अतारांकित प्रश्न भी लगाये। अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस आय-व्ययक में इस तारामण्डल के लिए एक रुपये की भी व्यवस्था नहीं की गयी।

अतः महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इस बजट को सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में अनभिज्ञता का उदाहरण मानते हुए नीतिगत आधार पर इसका विरोध करता हूं और आग्रह करता हूं कि सरकार इस आय-व्ययक को वापस लेकर एक नया आय-व्ययक सदन में प्रस्तुत करे जिसमें अनुसंधान एवं रिसर्च पर कम से कम सकल घरेलू उत्पादन का 2.5 प्रतिशत व्यय की व्यवस्था की गई हो जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिल सके।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 327 विधान सभा (619)-27-11-2007-813 (कम्प्यूटर)।